# 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर

## मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका

(A Handbook For Training of Mukhiya, Sarpanch and other Panchayat Representatives on "Disaster Risk Reduction and Management")

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

(आपदा प्रबंधन विभाग) पंत भवन, द्वितीय तल, पटना-1

Phone No : 0612-2522032, Fax : 0612-253231, Email id- info@bsdma.org Website : www.bsdma.org

# आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्तपुस्तिका

## प्रस्तावना

*बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ भूमि से घिरे राज्यों में होने वाली सभी प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी ओर कई वर्षों से सुखाड़ आपदा ने इसके बड़े भू–भाग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य भूकंप, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफान, नौका दुर्घटना, वज्रपात, नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाएँ, अग्निकांड, शीतलहर, लू, सड़क दुर्घटना, असमय भारी वर्षा आदि आपदाओं से समय–समय पर प्रभावित होता रहा है।*

*प्रस्तुत पुस्तिका बिहार राज्य के सभी मुखिया, सरपंचों एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण हेतु विकसित की गयी है। यह सर्व विदित है कि किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पांडर होता है। अतएव आपदाओं के जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की महती भूमिका है। समुदाय को इस महती भूमिका के निर्वह्न हेतु जागरुक एवं सक्षम बनाने का कार्य पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से बेहतर तरीके से हो सकता है। इसी पृष्टभूमि में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुखिया एवं सरपंच सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों के बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण हेतु योजना बनाकर यह पुस्तिका विकसित की है ताकि उनके माध्यम से हमारे गाँव के लोग आपदाओं की रोकथाम, शमन एवं उनके कुप्रभावों से समुदाय के जान–माल की क्षति को कम करने हेतु जागरुक एवं सक्षम बन सकें। प्रशिक्षण के दौरान यह पुस्तिका सभी पंचायत प्रतिनिधियों के हाथों में होगी ताकि उनमें प्रशिक्षण के दौरान अपने जिले/पंचायत की आपदाओं की समझ पुख्ता हो सके एवं वे आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की बारीकियाँ सीख सकें।*

*मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तिका का सदुपयोग कर बिहार के जिलों के मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि समुदायों को बहुआपदा के संबंध में जागरुक कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समुचित प्रबंधन करने में सहयोग देंगे और राज्य के आपदा पीड़ितों की कठिनाईयों को दूर करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेगें।*

**भवदीय**

**(व्यास जी)**
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

# मैं अपनी पंचायत को आदर्श बनाउंगा।

## मुखिया/वार्ड सदस्य/सरपंच के रूप में पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका

मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पूरी ग्राम सभा का बिना किसी भेदभाव के प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा मानना है कि पंचायती राज अधिनियम में दिये गये दायित्वों व जिम्मेदारियों के अलावा पंचायत क्षेत्र की जनता अपने जन-प्रतिनिधि से ढेरों अपेक्षाऐं रखती है, जो अधिनियम में दिये गये प्रावधानों से बहुत ज्यादा हैं । ऐसी स्थिति में मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र को बहुमुखी रूप से, बिना किसी उँच-नीच का भेद किये, बिना किसी जाति-धर्म एवं महिला-पुरूष का भेद किये, विकसित करने का संकल्प ले सकते हैं जिससे उनकी पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित हो सके। अतएव समुदाय एवं सरकार के सहयोग से मैं अपनी पंचायत के सवार्गीण विकास एवं उसे आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु निम्नलिखित कार्य करूंगा -

---

1. संपर्क पथ निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत के सभी टोलों को सभी मौसम में चालू रहने वाले पथ से जोड़ना।
2. सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत सभी गलियों को पक्का करना एवं पानी निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण कराना।
3. पूरी पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए सरकार के सात निश्चय के कार्यक्रम से सहयोग प्राप्त करना।
4. सभी घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराना।
5. सभी घरों में नल का जल उपलब्ध कराना।
6. गांव के सभी गलियों में समुचित रौशनी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
7. चूंकि ग्रामीण कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर करते हैं, अतः मैं जलवायु परिवर्तन से कृषि पर होने वाले प्रभावों के मद्देनजर जैविक खेती, बाढ़ एवं सूखारोधी बीजों और उपयुक्त फसल पैटर्न को बढ़ावा देने का कार्य करूंगा।
8. जलवायु परिवर्तन एवं अल्प वषार्पात के कारण भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण मानव एवं जानवरों को पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। अतः सामुदायिक जल श्रोतो को अतिक्रमण से मुक्त रखने और उन्हें गहरा बनाने का कार्य करुँगा ताकि जल संरक्षण संभव हो सके ।
9. बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ रोधी बीजों एवं उपर्युक्त फसल पैटर्न को बढ़ावा।
10. अनाज के उत्पादन में वृद्वि हेतु उन्नत कृषि

और फसल तकनीकों को बढ़ावा।

11. गांव में भूकम्परोधी घरों के निर्माण पर जोर देना एवं गांव में वृक्षारोपण को बढ़ावा।
12. ग्रामीणों के सहभागिता से पंचायतों को आपदा से सुरक्षित रखने के उपायों पर कार्य करना।
13. यह सुनिश्चित करना कि गाँव में कोई भूखा न रहे।
14. यह सुनिश्चित करना कि सभी भूमिहीन और बेघर ग्रामीणों को वासभूमि का पर्चा मिल जाय।
15. सभी हितधारकों के सहयोग से अपनी पंचायत को आपदा से सुरक्षित बनाना।
16. यह सुनिश्चित करना कि स्कूल जाने योग्य उम्र के सभी लड़के एवं लड़कियाँ स्कूल अवश्य जाय।
17. यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़के एवं लड़कियाँ कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करें।
18. यह सुनिश्चित करना कि सभी गर्भवती महिलाओं की बच्चा जनने के पूर्व एवं बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित जाँच हो और बच्चे का जन्म अस्पताल में हो।
19. सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
20. बाल विवाह पर रोक लगाना।
21. पंचायत के लोगों को स्वस्थ रखने हेतु स्वस्थ रहने के तरीकों को बढ़ावा देना।
22. दहेज विरोधी अभियान चलाना।
23. सभी जातियों एवं धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव उत्पन्न करना।
24. पंचायतों को नशा मुक्त करना।
25. युवाओं को समाजिक, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शमिल करना।
26. पुस्तकालय को स्थापित कर ग्रामीणों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना।
27. यह सुनिश्चित करना कि कोई घरेलू अत्याचार न करे।
28. यह सुनिश्चित करना कि विधवा, बूढ़े एवं अशक्त लोगों को उनके परिवार द्वारा समुचित सुरक्षा मिले।
29. जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक भेद भाव से उपर उठकर सभी को सम्मान की जिन्दगी मिले, इसे सुनिश्चित करना।
30. पंचायत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना।
31. पंचायत के सभी लोगों की आर्थिक स-हभागिता सुनिश्चित करना।
32. पंचायत को धुआँ रहित बनाने के लिए गैस चूल्हा के उपयोग को बढ़ावा देना।

---

*- एक पंचायत प्रतिनिधि*

*(स्रोत- 'आसा' संस्था द्वारा पंचायतों के साथ संवाद हेतु विकसित अवधारणा पत्र से साभार )*

# विषय सूची


| क्र. सं. | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी (राज्य स्तरीय/प्रखंड स्तरीय) | 01-04 |
| 2. | बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचय | 05-08 |
| 3. | बिहार राज्य की बहु-आपदा प्रवणता | 09-10 |
| 4. | पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य | 11 |
| 5. | बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में परीकल्पित 'सुरक्षित गाँव' की पृष्टभूमि | 12-13 |
| 6. | प्राकृतिक आपदाओं की सामान्य जानकारी | |
| | क. भूकंप सुरक्षा, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण एवं भूकंप से सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल | 14-41 |
| | ख. बाढ़ आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी, इंप्रोवाइज्ड राफ्ट बनाने की तकनीक एवं पशुओं की सुरक्षा | 42-50 |
| | ग. सुखाड़ प्रबंधन एवं उसके लिए की जाने वाली तैयारी | 51 |
| | घ. चक्रवाती तूफान / आँधी से बचाव की जानकारी | 52-53 |
| | ङ. वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय | 54-55 |
| | च. लू (गरम हवा) से बचाव के उपाय | 56-57 |
| | छ. शीतलहर से बचाव के उपाय | 58-59 |
| | ज. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर सामान्य जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य | 60 |
| | झ. आपदाओं के समय पेयजल, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य | 61-62 |
| | ञ. सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव | 63-72 |
| 7. | मानव जनित आपदाओं की सामान्य जानकारी | |
| | क. नाव दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय | 73-74 |
| | ख. पानी में डूबने से सुरक्षा एवं उपाय | 75-86 |
| | ग. सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय | 77-78 |
| | घ. अगलगी की रोकथाम के उपाय | 79-81 |
| | ङ. भगदड़ / भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय | 82-85 |
| 8. | स्वस्थ रहने के कुछ उपाय - 'दस का दम, स्वस्थ रहेंगे हम ' | 86 |
| 9. | सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर एवं प्रक्रियाएं | 87 |
| 10. | प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण | 87 |
| अनुलग्नक | | |
| | क. अंचलाधिकारी/मुखिया/सरपंच द्वारा जारी अगलगी से बचाव हेतु उपाय से संबन्धित निर्देश | 88-125 |

अध्याय 01

# प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी

## 1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी:

### (क) मुखिया, सरपंचों एवंअन्य पंचायत प्रतिनिधियों के आपदा न्य ूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

**प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| क्र0 सं0, | समय, | प्रशिक्षण की विषय वस्तु/ गतिविधि, |
|---|---|---|
| | | **प्रथम दिवस** |
| 1 | 0900-0930 | पंजीकरण |
| 2 | 0930-1000 | उद्घाटन सत्र |
| 3 | 1000-1130 | <u>परिचय एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य</u><br>(1) प्रशिक्षण का उद्देश्य।<br>(2) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचय।<br>(3) बिहार राज्य के बहु-आपदा प्रवणता के बारे में<br>(4) प्रस्तावित प्रशिक्षण की भूमिका, आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका। |
| , | **1130-1145** | **चाय ,** |
| | | **प्रकृतिक आपदाओं पर सामान्य जानकारी,** |
| 4 | 1145-1230 | भूकंप सुरक्षा एवं भूकंपरोधी भवनों का निर्माण |
| 5 | 1230-0100 | बाढ़ आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी (मानव व पशुओं सहित) |
| 6 | 0100-0130 | सुखाड़ प्रबंधन एवं उसके लिए की जाने वाली तैयारी |
| , | **0130-0215** | **भोजनावकाश,** |
| 7 | 0215-0330 | चक्रवाती तूफान / आँधी से बचाव की जानकारी<br>वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय<br>लू (गरम हवा) से बचाव के उपाय<br>शीतलहर से बचाव के उपाय |
| 8 | 0330-0430 | पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर सामान्य जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य |

# अध्याय 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी

| क्र0 सं0, | समय, | प्रशिक्षण की विषय वस्तु/ गतिविधि, |
|---|---|---|
| | | आपदाओं के समय पेयजल, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य |
| , | **0430-0445** | **चाय ,** |
| 9 | 0445-0630 | सर्प दंश तथा अन्य आपदाओं (बाढ़ के समय पशुओं को बाहर निकालना, इंप्रोवाइज्ड राफ्ट बनाने की तकनीक) से सुरक्षा एवं बचाव की तकनीक का प्रदर्शन तथा भूकंप से सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल |
| **द्वितीय दिवस,** | | |
| 1 | 0900-0930 | प्रथम दिवस प्रशिक्षण का सार-संक्षेप |
| **मानव जनित आपदाओं की सामान्य जानकारी,** | | |
| 2 | 0930-1115 | नाव दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय<br>पानी में डूबने की घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय<br>सड़क दुर्घटनाओंसे बचने के उपाय<br>अगलगी की रोकथाम के उपाय<br>भगदड़ / भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय<br>दस का दम, स्वस्थ रहेंगे हम |
| , | **1115-1130** | **चाय ,** |
| 3 | 1130-1200 | सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर एवं प्रक्रियाएं |
| 4 | 1200-0200 | प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण |
| , | **0200-0245** | **भोजनावकाश,** |
| 5 | 0245-0430 | मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संबन्धित जिलें प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना |
| | 0430-0445 | **चाय** |
| 6 | 0445-0545 | प्रमाण पत्र वितरण एवं समापन |

# (ख) मुखियाए सरपंचों एवं अन्य पंचायत प्रति-निधियों का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण

**प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| क्र0 सं0, | समय, | प्रशिक्षण की विषय वस्तु/ गतिविधि, |
|---|---|---|
| | | **प्रथम दिवस** |
| 1 | 0900-0930 | पंजीकरण |
| 2 | 0930-1000 | उद्घाटन सत्र |
| 3 | 1000-1130 | <u>परिचय एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य</u><br>(1) प्रशिक्षण का उद्देश्य।<br>(2) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचय।<br>(3) जिले के बहु-आपदा प्रवणता के बारे में<br>(4) प्रस्तावित प्रशिक्षण की भूमिका, आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका। |
| , | **1130-1140,** | **चाय ,** |
| | | **प्रकृतिक आपदाओं पर सामान्य जानकारी,** |
| 4 | 1140-1210 | भूकंप सुरक्षा एवं भूकंपरोधी भवनों का निर्माण |
| 5 | 1210-1250 | बाढ़ प्रवण जिलों / पंचायतों के लिए बाढ़ एवं सुखाड़ आपदा से बचाव के संबंध में (मानव व पशुओं सहित) |
| 6 | 1250-0130 | चक्रवाती तूफान / आँधी से बचाव की जानकारी<br>वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय<br>लू (गरम हवा) से बचाव के उपाय<br>शीतलहर से बचाव के उपाय |
| , | **0130-0215** | **भोजनावकाश,** |

# अध्याय 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी

| क्र0 सं0, | समय, | प्रशिक्षण की विषय वस्तु/ गतिविधि, |
|---|---|---|
| | | आपदाओं के समय पेयजल, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य |
| , | **0430-0445** | **चाय ,** |
| 9 | 0445-0630 | सर्प दंश तथा अन्य आपदाओं (बाढ़ के समय पशुओं को बाहर निकालना, इंप्रोवाइज्ड राफ्ट बनाने की तकनीक) से स ुरक्षा एवं बचाव की तकनीक का प्रदर्शन तथा भ ूकंप से सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल |
| **द्वितीय दिवस,** | | |
| 1 | 0900-0930 | प्रथम दिवस प्रशिक्षण का सार-संक्षेप |
| **मानव जनित आपदाओं की सामान्य जानकारी,** | | |
| 2 | 0930-1115 | नाव दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय<br>पानी में ड ूबने की घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय<br>सड़क दुर्घटनाओंसे बचने के उपाय<br>अगलगी की रोकथाम के उपाय<br>भगदड़ / भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय<br>दस का दम, स्वस्थ रहेंगे हम |
| , | **1115-1130** | **चाय ,** |
| 3 | 1130-1200 | सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर एवं प्रक्रियाएं |
| 4 | 1200-0200 | प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण |
| , | **0200-0245** | **भोजनावकाश,** |
| 5 | 0245-0430 | मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संबन्धित जिलें प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना |
| | 0430-0445 | **चाय** |
| 6 | 0445-0545 | प्रमाण पत्र वितरण एवं समापन |

अध्याय 02

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचय

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

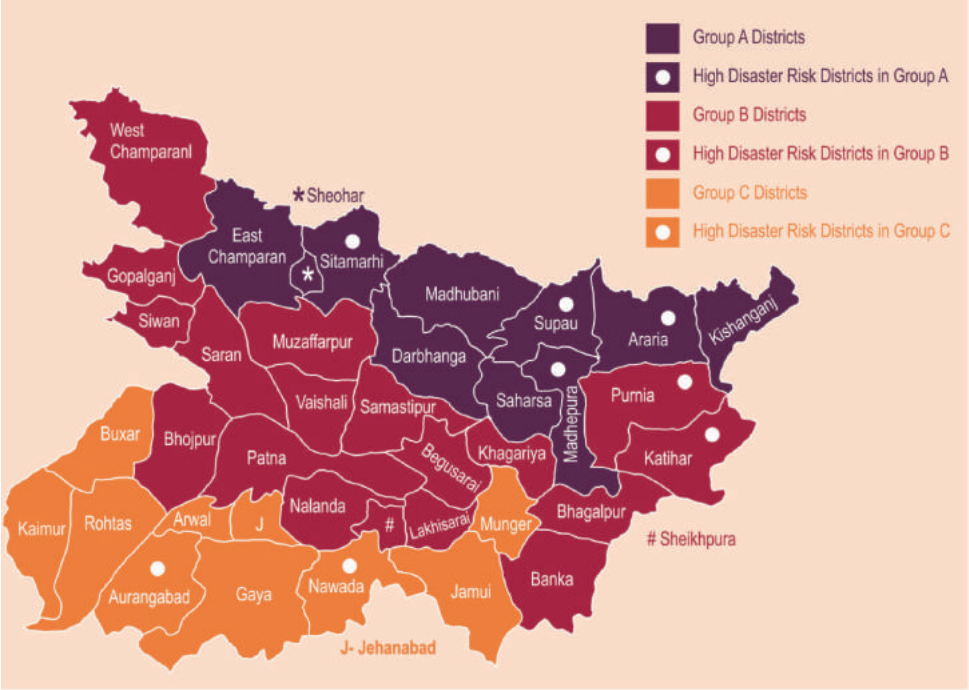


बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ तथा योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के लिए किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का गठन किया गया है- (1) राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, (2) राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष संबन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं एवं (3) जिले स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष जिले के जिला पदाधिकारी (जिलाधिकारी) होते हैं।

राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष अपने कार्यों के निर्वहन के लिए पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नामित करते है जो प्राधिकरण के सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत करते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या- 3449 दिनांक 6 नवंबर, 2007 द्वारा किया गया था।

# राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कृत्यः-

- राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों का निरूपण करना
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराना साथ-साथ जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराना एवं उसका अनुमोदन करना।
- राज्य में चिन्हित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्य योजनाएँ बनाना तथा उसके क्रियान्वयन के लिए संबन्धित विभागों/निकायों की क्षमता वृद्धि करना।
- विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न संबन्धित विभागों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना एवं उसे लागू करने में उनको तकनीकी रूप से सहयोग प्रदान करना।
- आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियों एवं योजनाओं को लागू कराने के लिए विभिन्न हितभागियों में समन्वय स्थापित कराना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए योजनाएँ तैयार कराना एवं उन्हें क्रियान्वित करना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने सक्षम बनाने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में दिशा-निर्देश तैयार करना एवं सहयोग प्रदान करना आदि प्रमुख कार्य हैं।

# जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

**आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 के अनुसार आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना सं0 1502 दिनांक 13.06.2008 द्वारा बिहार के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किये गये हैं। प्राधिकरण के अन्य सदस्य हैं:-**

1. अध्यक्ष जिला परिषद-सह-अध्यक्ष होगा।
2. उप विकास आयुक्त, पदेन - सदस्य।
3. पुलिस अधीक्षक, पदेन - सदस्य।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन - सदस्य।
5. अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य), पदेन - सदस्य।
6. जिला के वरीयतम अभियंता, पदेन - सदस्य।

## जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कृत्य:-

1. जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिलें में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
2. जिला प्राधिकरण:-

I) जिले के लिए जिला रिस्पांस योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।

II) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण कर सकेगा।

III) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिलें में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों एवं स्थानीय प्राधिकारो द्वारा किए गए हैं।

IV) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

V) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचय

सकेगा, जो आवश्यक हों।

**VI**) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित कर सकेगा।

**VII**) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण कर सकेगा।

**VIII**) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

**IX**) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों को सुगम बना सकेगा।

**X**) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा, उसका अनुर-क्षण कर सकेगा तथा पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

**XI**) जिला स्तरीय आपदा मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार कर सकेगा एवं उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

**XII**) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

**XIII**) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

**XIV**) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आशंका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रुप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा।

**XV**) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

**xvi**) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

अध्याय 03

# बिहार राज्य की बहु-आपदा प्रवणता

केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश के परिपेक्ष्य में चक्रवाती तूफान, सुखाड़, भूकम्प, अगलगी, बाढ़, सुनामी, ओला-वृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला एवं शीतलहर आपदाओं की श्रेणी में रखा गया है एवं इसके लिए अलग-अलग साहाय्य मानदर निर्धारित किये गए हैं जिसके आलोक में संबंधित प्रभावित राज्य के द्वारा आपदा ग्रस्त को राहत प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में स्थानीय प्रकृति की निम्नलिखित आपदाओं को अधिसूचित किया गया है- वज्रपात, लू, अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबो/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित आपदाएं यथा - सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाएं विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं है जिसमें प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जान-माल की क्षति होती है।

बिहार देश के सर्वाधिक बहु आपदा प्रभावित राज्यों मे से एक है।

♦ **प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, परंतु हम इन आपदाओं के जोखिम और इनके कुप्रभावों को बेहतर आपदा प्रबंधन के द्वारा कम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आने वाली मुख्य आपदाएं निम्नवत हैं -**

❖ प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और लगभग हर साल आने वाली आपदा है। बिहार में 15 जिले अति बाढ़ प्रवण एवं 13 जिले बाढ़ प्रवण हैं।

❖ हमारे राज्य के सभी जिले भूकंप प्रवण हैं जिनमें 8 जिले भूकम्प के सर्वाधिक खतरनाक जोन V के अंतर्गत, 24 जिले जोन IV के अंतर्गत एवं शेष 6 जिले जोन III में आते हैं।

अध्याय 03

# बिहार राज्य की बहु-आपदा प्रवणता

❖ हमारे राज्य में चक्रवाती तूफान एवं आंधी-पानी, तथा ठनका गिरने की काफी घटनाएं हो रही हैं।

❖ वर्षा काल में लंबे समय तक अल्प वर्षापात एवं जल चक्र के असंतुलन की वजह से बिहार के लगभग सभी जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।

❖ यहाँ पर ठंढ में शीत लहर एवं गर्मी के महीनों में लू का प्रकोप बना रहता है।

❖ गर्मी के दिनों में अगलगी की भयंकर घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है।

♦ **मानव जनित आपदाओं को रोक सकते हैं, अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें। ये आपदाएं निम्नलिखित हैं:-**

❖ सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष राज्य में लगभग पाँच हजार बहुमूल्य जानें जाती हैं। सड़क सुरक्षा उपायों एवं मोटर वाहन नियमावली के प्रभावी इस्तेमाल से इनमें कमी ला सकते हैं एवं रोक सकते हैं।

❖ दशहरा के मेलों, छठ पूजा इत्यादि में भगदड़ की घटनाओं के फलस्वरूप लोगों की जाने जा रही है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है।

❖ उफनायी नदियों/तालाबों में स्नान करने, कपड़ा और बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर/किशोरियों/बच्चों/बूढ़ों एवं महिलाओं की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है।

❖ नाव दुर्घटनाओं में बहुमूल्य मानव जिन्दगियाँ असमय काल कवलित हो जाती हैं। नाव में सुरक्षा के नियमों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था कर हम नाव दुर्घटना में मानव-क्षति रोक सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं।

अध्याय 04

# पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य

देश के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 स्थानीय शासन के परिमाप में एक नया आयाम जोड़ दिया है। जिसमें पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में पहचान दी। जिसके अंतर्गत उनके अधिकार, गठन, कार्य, वित्तीय शक्तियाँ एवं चुनावी प्रक्रिया तथा उसमे समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण इत्यादि। फलतः इतने सक्षम संविधानिक संगठन होकर इनकी भूमिका आपदा प्रबंधन में महती भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इस कारण इनके शक्तियों की पहचान कराना इसके साथ-साथ इनके दायित्वों एवं जिम्मेदारिओं को विश्लेषित कर इनको आपदा प्रबंधन में एक लाभार्थी की भूमिका मे न रहकर बल्कि आपदा प्रबन्धक की भूमिका में लाने की आवश्यकता बहुत पहले महसूस की जा रही थी।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में भी सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायतें ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्ही आदि कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना और ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

बिहार राज्य ने एक और कदम बढ़ाते हुये बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर पंचायतों को और भी अधिकार हस्तांतरित किए हैं और आपदा प्रबंधन के लिए वार्ड स्तर पर भी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रविधान अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (6) के बाद एक नयी उप धारा (7) को अंतःस्थापित किया है।

आपदा की प्रकृति स्थानीय होती है और इसके रिस्पांस हेतु समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर सीधा प्रभाव होता है। दैनंदिन कार्यों के लिए समुदाय अपने पंचायत प्रतिनिधियों के संपर्क में आता है और उनके साथ उनका संवाद सीधा और सुगम होता है। पंचायत प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि से स्थानीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपदा रिस्पांस (बचाव एव राहत) के कार्य प्रभावी तरीके से संपादित किये जा सकेगें। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की नाजुकता (Vulnerability) के विश्लेषणके लिए ग्राम सभा एवं पंचायत प्रतिनिधियों का जागरूक होना आवश्यक है। आपदाओं के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों के जागरूक होने से स्थानीय समुदाय अपने स्थानीय प्रकृति के आपदाओं के विश्लेषण और उसके न्यूनीकरण, बचाव एवं रिस्पांस की योजनाऐं सटीक रूप से तैयार कर सकती हैं।

उपरोक्त जिम्मेवारियों के निर्वहन में पंचायतों का प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक है जिनके माध्यम से राज्य के प्रत्येक दूर दराज के गावों तक पहुंचा जा सकता है और आपदा प्रबंधन की संस्कृति जन-जन तक विखेरी जा सकती है। तभी हम सुरक्षित बिहार की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। इसी लिए पंचायत के प्रत्येक चुने हुये मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरे राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की योजना का सूत्रण किया है।

# अध्याय 05 बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में परिकल्पित "सुरक्षित गाँव" की पृष्ठभूमि में पंचायतों की भूमिकाः-

*पंचायतें स्थानीय स्वशासन की सबसे अहम कड़ी है एवं उनका जुड़ाव व संवाद समुदाय से प्रत्येक दिन बना रहता है साथ ही पंचायत के प्रतिनिधि सरकार के विभिन्न स्तर के लोगों के साथ अनेक योजनाओं के कारण जुड़े रहते है तथा उनकी अपने पंचायत क्षेत्र के प्रति जवाबदारी भी रहती है। इन परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्ही कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है–*

- पंचायत प्रतिनिधि अपने पंचायत क्षेत्र में घटित होने वाली या संभावित आपदाओं की पहचान कर उससे होने वाले संभावित खतरों से लोगों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
- संभावित या होने वाले खतरों से बचने के उपाय पर लोगों से चर्चा कर उसका निराकरण ढूंढ सकते हैं एवं उससे प्रभावित होने वाले समुदाय को पूर्व में जानकारी देकर उनका बचाव कर सकते हैं।
- गाँव में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों में लोगों की मदद से देख सकते हैं कि उन विकास कार्यों से और जोखिमों के बढ़ने का खतरा तो नहीं है यदि ऐसा होता है तो उसमे आवश्यक संशोधन कर उसको सुरक्षित एवं स्थायी विकास में परिवर्तित कर अकते हैं।
- गाँव में सामयिक होने वाली आपदाओं के पहले समुदाय के स्तर पर परिवार वार तैयारी करवा सकते हैं जिससे होने वाले खतरों को कम किया जा सके।
- गाँव में संचालित होने वाली योजनाओं के अंतर्गत समय पूर्व व्यवस्था कर सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं जैसे– पशुओं का टीकाकरण, समय से राशन एवं किरसिन तेल का वितरण, बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण, सुरक्षित शरण स्थल कि पहचान और अन्य विभिन्न कार्य विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में ( आपदाओं के विषय के भाग में विस्तृत जानकारी दी गयी है।)
- गाँव में संचालित होने वाली विभिन्न ढांचागत विकास की योजनाओं जैसे– महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, विद्यालय भवन निर्माण, नाली, गली पक्की योजना, विद्युतीकरण, पंचायत भवन निर्माण, पेयजल एवं अन्य इस तरह कि योजनों को आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षित विकास कि अवधारणा को क्रियान्वित कर सकते हैं कि कैसे ढांचागत विकास सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी परिस्थियों में समुदाय के काम आ सकेगा।

# अध्याय 05 बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में परिकल्पित "सुरक्षित गाँव" की पृष्ठभूमि में पंचायतों की भूमिका:-

- ❖ गाँव की विकास योजना निर्माण के दौरान उन सभी प्रस्तावों को अग्रसारित कर सकते हैं जिनसे गाँव में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम किया जा सके जैसे–ऊंची सड़कों/संपर्क पाठ का निर्माण, आपदारोधी भवनों का निर्माण कटान एवं बहाव वाले स्थान पर वृक्षारोपण इत्यादि।
- ❖ इन सब कार्यों के साथ लोगों में एकजुटता लाना एवं सामाजिक समरसता लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिनके द्वारा समुदाय को एक साथ लेकर बड़ी से बड़ी विकट परिस्थियों का मुकाबला कर सकते हैं।
- ❖ आपदा और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम का ग्रामीण स्तर पर विश्लेषण।
- ❖ "सुरक्षित गाँव" चेकलिस्ट का निर्माण जिससे कि ग्रामीणों एवं गॉव से जुड़े सभी हितधारकों का मार्ग दर्शन हो सके।
- ❖ ग्रामीण जोखिम विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए ग्रामीणों की क्षमतावृद्धि।
- ❖ ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का कार्यान्वयन एवं अनुसरण।
- ❖ आपदाओं की रोकथाम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन हेतु समुदाय के साथ मिलकर काम करना।
- ❖ Community Disaster Response Team का गठन ।
- ❖ निरंतर मॉकड्रील का आयोजन ।
- ❖ आपदाओं की रोकथाम एवं उनके कुप्रभावों को कम करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
- ❖ गोताखोरों एवं बचाव दल का प्रशिक्षण ।
- ❖ मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम में भागीदारी।
- ❖ आपदाओं के घटित होने पर राहत एवं बचाव कार्यों का पंचायत स्तर पर समन्वय करना।
- ❖ राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशासन को सहयोग देना।

- भूकम्प एक प्राकृतिक <u>खतरा</u> **(Hazard)** है। नरम मिट्टी वाले स्थल एवं कमजोर संरचना भूकम्प से संवेदनशील **(Vulnerable)** रहते हैं। खतरा से संवेदनशील को जोखिम **(Risk)** में रहते हैं। जोखिम की स्थिति में भूकम्प आने पर आपदा आ जाती है।

- आपदा महाविपत्ति एव गहरे संकट की स्थिति है। जन–माल का भारी नुकसान होता है। पर्यावरण की क्षति एवं क्षरण हो सकता है। अतिशय मानवीय पीड़ा होता है। संभलने के लिये बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
- भूकम्प से लोग नहीं मरते, भूकम्प में कमजोर घरों के ढ़हने से लोग मरते एवं घायल होते हैं। अतएव हम अपने घरों एवं सामुदायिक भवनों को सुरक्षित बनाकर भूकम्प से जान की क्षति को रोक सकते है अथवा कम कर सकते हैं।

## टेक्टोनिक प्लेट क्या है ?

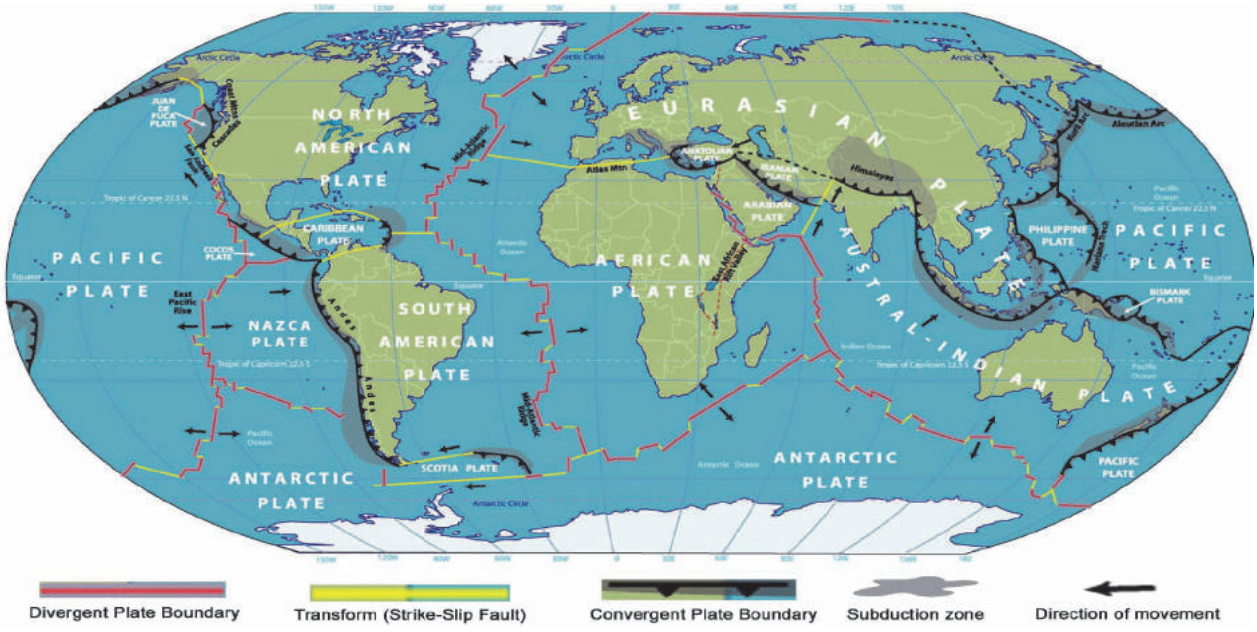

## टेक्टोनिक प्लेट क्या है ?

- धरती का सतह करीब 70–100 कि.मी. मोटे सात विशाल टेक्टोनिक प्लेटों एवं कुछ छोटे प्लेटों से बना है।
- टेक्टोनिक प्लेटें औसतन 10 सें.मी. प्रतिवर्ष की गति से विभिन्न दिशाओं में चलायमान हैं।
- ज्यादातर, टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर भूकम्प आता है।

- जब प्लेट एक दूसरे को ढ़केलतीं है, तो पहाड़ बनता है;
- जब एक दूसरे से दूर जातीं है, तो दरार बनता है;
- जब अगल–बगल चलतीं है, तो सतह परिवर्तित हो जाता है।

## भूकम्प कैसे आता है ?

धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के बीच अत्यधिक दबाव होने पर, विशाल चट्टानें अचानक टूटकर शीघ्रता से खिसक पड़तीं हैं। यह भारी झटका या विस्फोट है। विस्फोट से अतिशय यांत्रिक उर्जा उत्पन्न होता है।

**फोकस से सभी दिशाओं में कम्पन तरंगें फैलने लगतीं है। धरती के अंदर की तरंगें जब ईपीसेंटर पर पहुँचतीं है, तो धरती के सतह पर तरंगें बनतीं हैं और फैल जातीं हैं। और धरती की सतह डोलने लगतीं है।**

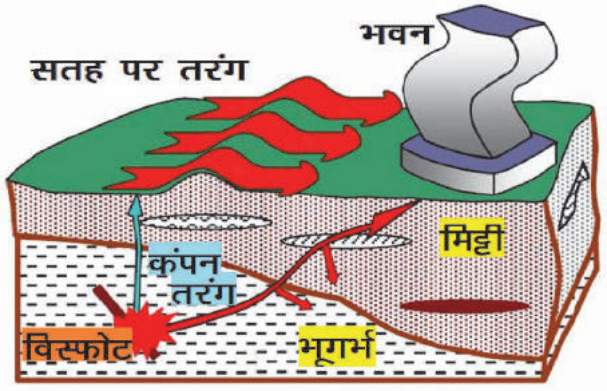


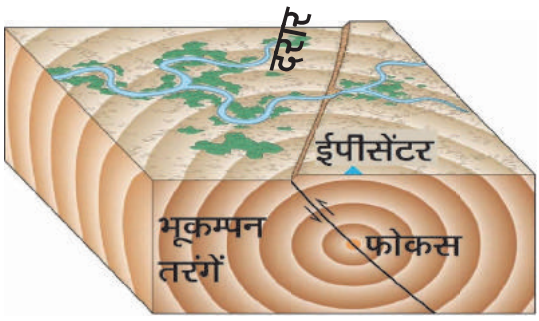

## भूकम्प का परिमाण (MAGNITUDE)

जितना बड़ा विस्फोट होगा, भूकम्प उतना ही बड़ा होगा। भूकम्प का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। सिस्मोग्राफ द्वारा परिमाण मापते हैं।

- परिमाण **M1** से **M10** तक हो सकता है। **M3** से कम का भूकम्प घरती पर प्रतिदिन हजारों आते हैं, परन्तु हम महसूस नहीं करते।
- **M8** से बड़े भूकम्प प्रलयंकारी हैं, घरती पर साल भर में एक आते हैं। **M7** से **M8** के भूकम्प घरती पर साल भर में 15–20 आते हैं।
- बिहार के 1934 के भूकम्प **M8.4** द्वारा उत्सर्जित उर्जा हिरोशीमा पर गिराये बम का 4000 गुणा था।

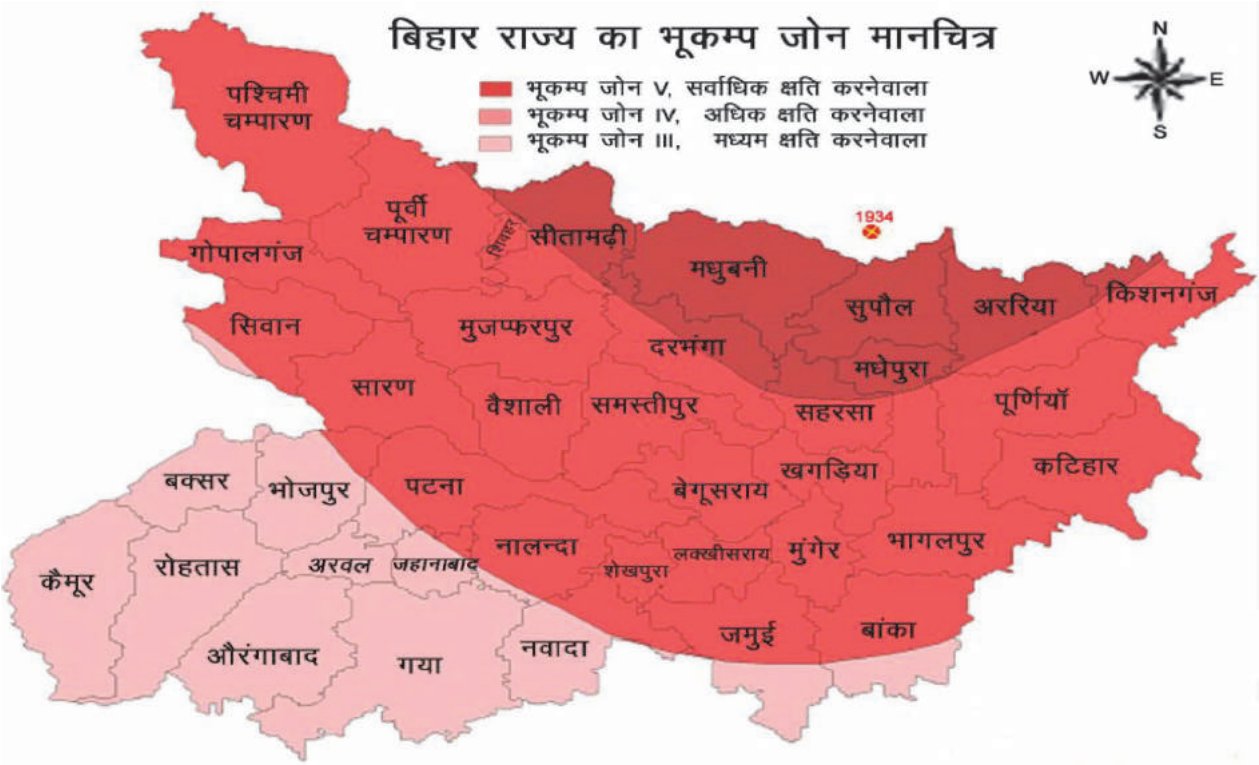


## भूकम्प से खतरे

### मुख्य खतरा
- चट्टान दरार विस्थापन
- अचानक भूकम्पन

### द्वितीयक खतरा
- जमीन का फटना
- मिट्टी का द्रवीकरण
- भूस्खलन
- बाढ़, सुनामी
- आग लगना
- रसायन छलकना

### भूकम्प से क्षति
- मानव निर्मित संरचनाऐं
- यातायात/संचार
- जीवनोपयोगी सेवाऐं
- भोजन सामग्री

### भूकम्प का प्रभाव
- मकान की बर्बादी
- आवागमन बंद
- सम्पत्ति की हानि
- हताहत

## जमीन के सतह पर भूकम्प का प्रभाव

मिट्टी का द्रवीकरण

मिट्टी का धँसना

जमीन पर दरारों का फटना

भूस्खलन

# भूकम्प सुरक्षा के लिये क्या करें ? क्या न करें ?

**भूकंप आने पर क्या करें-**

- गैस सिलेण्डर बंद कर दें।
- मेन स्विच ऑफ कर दें।
- गिरने वाली चीजों से सिर को बचाएं।
- बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड पेड़ से दूर रहें।
- खुले मैदान में आ जाऐं, घायलों की सहायता करें।
- भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें।
- आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।
- आलमारी को क्लैम्प से, दीवार में जकड़ दें।
- मजबूत टेबुल या पलंग के निचे छिप जाएं।
- भूकंप के झटके थम जाने तक टूट कर गिरने वाले प्लास्टर, शीशे, ईट पत्थर आदि से बचने के लिए किसी पलंग या मजबूत मेज के नीचे घुस जाएं अथवा कमरे के कोने में या किसी दरवाजे के नीचे खड़े हो जाएं।
- भूकंप के झटकें रूक जाने के बाद अपने घर/स्कूल/कार्यालय की ईमारतों से निकलकर तुरंत खुले मैदान में आ जाएं।

**भूकंप आने पर क्या न करें-**

- कांच की खिड़कियोंय, आलमारियों, पंखों, भारी शीशों, उंचाई पर रखे भारी सामान, लटके हुए गमलों आदि के पास न खड़े हों।
- अफवाहों पर ध्यान न दें सरकार एवं प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं का पालन करें।

**यदि आप गाड़ी चला रहे हैं :–**

- अपने वाहन को सड़क के बायें ओर रोक लें।
- फ्लाई ओवरों, पुलों, बिजली के तारों, खम्भों, साईन बोर्डों आदि से दूर चले जाएं तथा गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के किनारे झुककर बैठ जाएं।

## भूकम्प से पहले

घर को सुदृढ़ कर भूकम्परोधी बनाएं।

भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें

अलमारी को क्लैम्प से, दीवार में जकड़ दें।

बचाव एवं प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।

झुको–ढको–पकड़ो का नियमित रिहर्सल करें।

आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।

अपने आस–पास सुरक्षित स्थलों की पहचान कर लें।

## भूकम्प के समय

हड़बड़ाकर मत भागें।

कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहें।

मजबूत टेबुल या उँचे पलंग के नीचे छिप जाएं।

गिरने वाले चीजों से दूर रहें।

सिर को बचाएं।

यदि गाड़ी चला रहे हों, तो

सड़क के किनारे रूकें, पुल पर न चढ़ें।

यदि सिनेमा या मॉल में हों, तो

अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रूकने पर, क्रम से बाहर निकलें।

| इमरजेंसी फोन : | |
|---|---|
| पुलिस | 100 |
| अग्निशमन | 101 |
| एम्बुलेंस | 102,108 |
| राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, पटना | 0612–2217305 |
| जिला नियंत्रण कक्ष, पटना | 0612–2219810 |
| पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना | 0612–2201975–78 |

## भूकम्प का झटका रूकने पर

गैस सिलिन्डर बन्द करें।

मेन स्विच ऑफ करें।

घर से बाहर निकलें।

लिफ्ट का उपयोग न करें।

सीढ़ी से उतरें।

गिरने वाली चीजों से सिर को बचाएं।

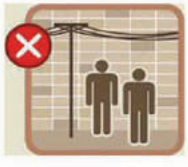

बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।

खुले मैदान में आ जाएँ, घायलों की सहायता करें।

## भारवाहक दीवार वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए

**सरल आकृति के भवन बनाएं।**

जहाँ तक संभव हो, सरल आयताकार भवन बनाएं; दोनों क्षैतिज दिशाओं में, समान दूरी पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिवारें बनाना चाहिए।

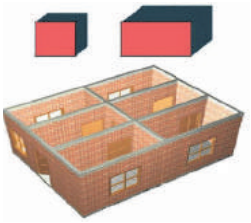

असममित (unsymmetrical) भवनों में भूकम्प से ऐंठन होता है।

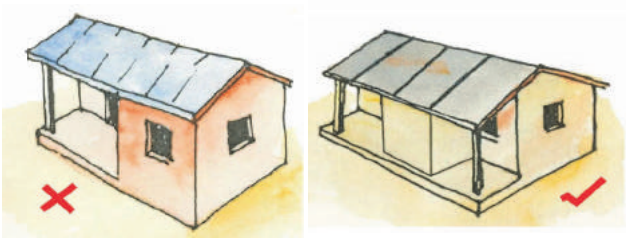

जहाँ तक संभव हो, मकान के कमरे एवं बरामदा सममित (symmetrical) बनाना चाहिए।

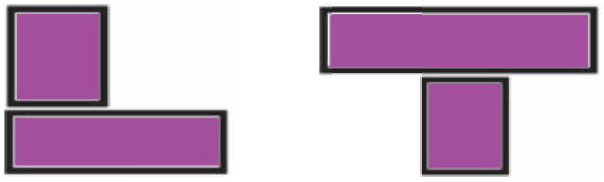

L-आकार या T-आकार के भवन में गैप देकर भवन को आयताकार बनाएं।

छत से नींव तक बल का प्रवाह सरल एवं सीधा होना चाहिए।

भवन के उपरी मंजिल का वजन हल्का होना चाहिए।

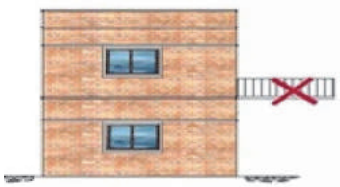

जहाँ तक सम्भव हो, अत्यधिक बाहर निकले हुए बालकोनी या छज्जा मत बनाएं।

सभी दरवाजों एवं खिड़कियों के लिंटल एक ही लेवेल पर रखें।

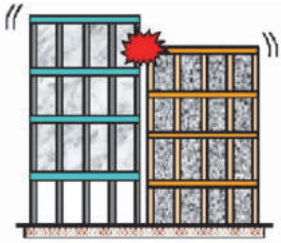

भूकम्प में पास–पास के दो भवन आपस में टकरा सकते हैं, गैप रखें।

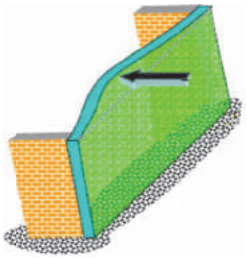

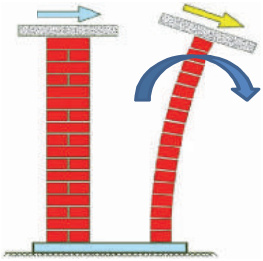

125 मिमी. मोटा दिवार भूकम्प में मुड़ सकता है। 250 मिमी. मोटा दिवार बनाएं।

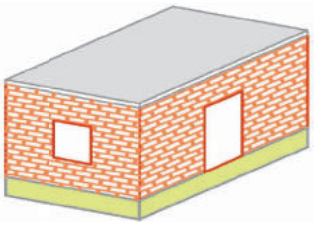

आर.सी.सी छत दिवारों के उपरी सिरों को बांधकर रखती है।

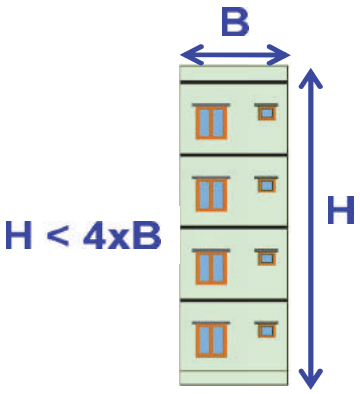


मकान की उँचाई मकान की चौडाई के चार गुने ज्यादा मत रखें।

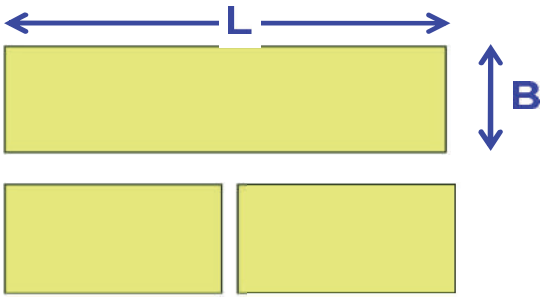


मकान की लम्बाई मकान की चौडाई के तीन गुने ज्यादा मत रखें। 30–35 मिमी गैप देकर बनाएं।

ढ़ीले, भरे गये या दलदली जमीन पर मकान मत बनाऐं। मकान सदा ठोस जमीन पर आधारित होना चाहिए।

## भारवाहक दीवार वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए

**प्रत्येक दिवार की लम्बाई एवं उँचाई की जाँच कर लें।**

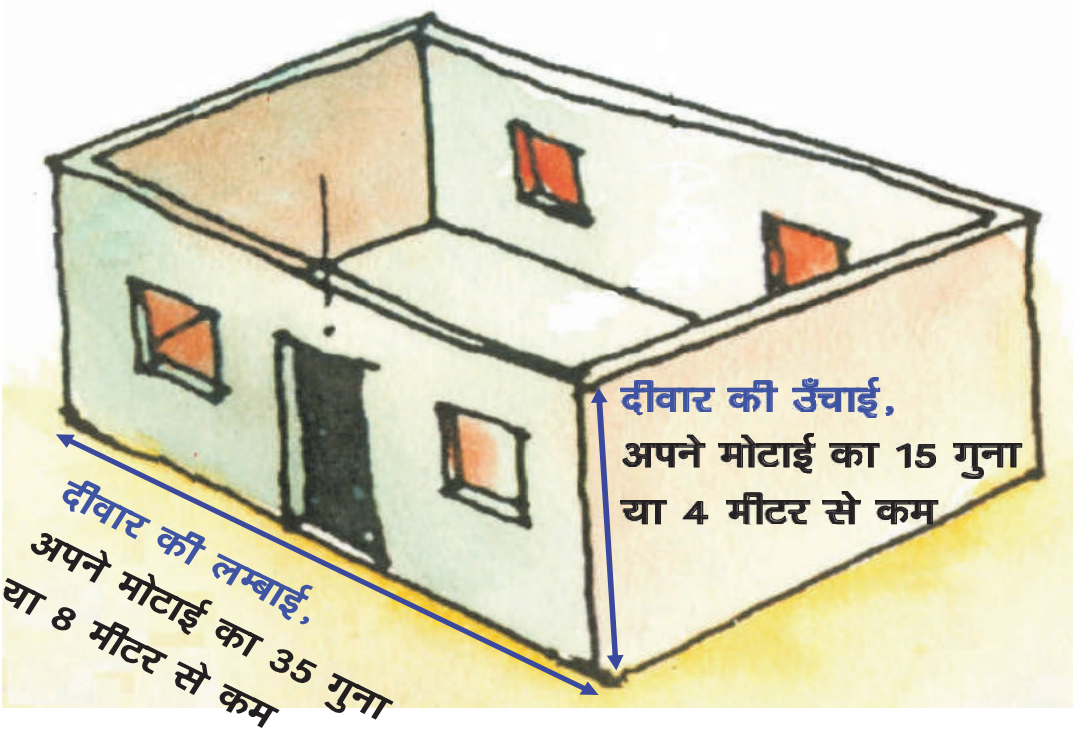


## भारवाहक दीवार वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए

**भवन की दिवारों में दरवाजों एवं खिड़कियों के आकार कम से कम रखें।**

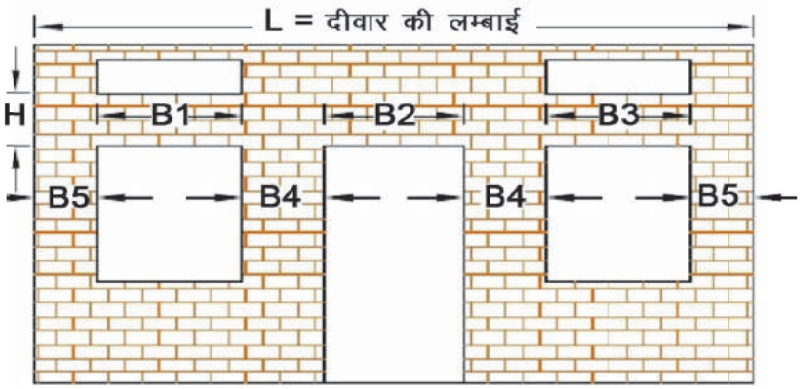


सभी कमरों के किसी भी दीवार में, **B1+B2+B3**, कितना रखेंगे ?

एक मंजिले मकान में, **L** के 50 % से कम
दो मंजिले मकान में, **L** के 42 % से कम
तीन मंजिले मकान में, **L** के 33 % से कम

**B4**, दो ईंट की लम्बाई से ज्यादा रखें।
**B5**, एक ईंट की लम्बाई से ज्यादा रखें।
**H**, 450 मिलीमीटर से ज्यादा रखें।

## भूकम्परोधी प्रबलन

| भूकम्प जोन | मकान की अधिकतम ऊँचाई | ईंट जोड़ाई मसाला का अनुपात | क्षैतिज भूकम्परोधी आर.सी.सी. बैंड | दीवार के कोनों एवं किनारों पर खड़े स्टील के छड़ |
|---|---|---|---|---|
| V | तीन मंजिल (12 मीटर से कम) | सिमेंट:बालू – 1:4 | कुरसी बैंड<br>लिंटेल बैंड<br>सिल्ल बैंड<br>छत बैंड | कमरों के सभी कोनों पर तथा एक मीटर से बड़े दरवाजों एवं खिड़कियों के दोनों तरफ |
| IV | चार मंजिल (15 मीटर से कम) | सिमेंट:बालू – 1:4 | कुरसी बैंड<br>लिंटेल बैंड<br>छत बैंड | कमरों के सभी कोनों पर तथा 1.5 मीटर बड़े से द्वारों के दोनों तरफ |
| III | चार मंजिल (15 मीटर से कम) | सिमेंट:बालू – 1:6 | कुरसी बैंड<br>लिंटेल बैंड<br>छत बैंड | दो मंजिल से उँचे मकान के कमरों के सभी कोनों पर |

## भूकम्परोधी भवनों में आर.सी.सी. बैंड एवं खड़ा छड़

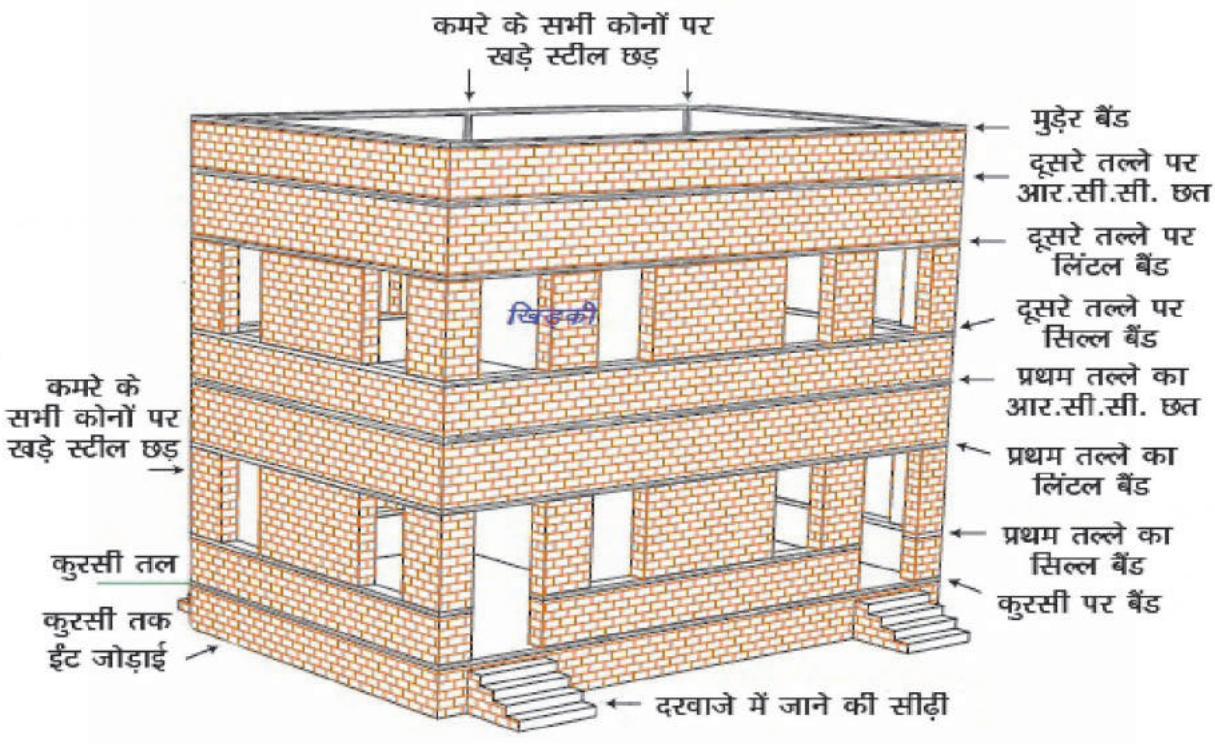

## दिवारों के जोड़ पर, बैंड में छड़ बाँधने का सही तरीका

दिवार की लम्बाई, भूकम्प जोन एवं मकान के उपयोग के अनुसार लम्बा छड़ लगाया जाता है।

भूकम्प जोन V में 5 मीटर तक लम्बे दिवार में, 8 मिमी. का 3 छड़ बिछाएं।

चूड़ी एवं झुमका 150 मिमी. की दूरी पर लगाएं।

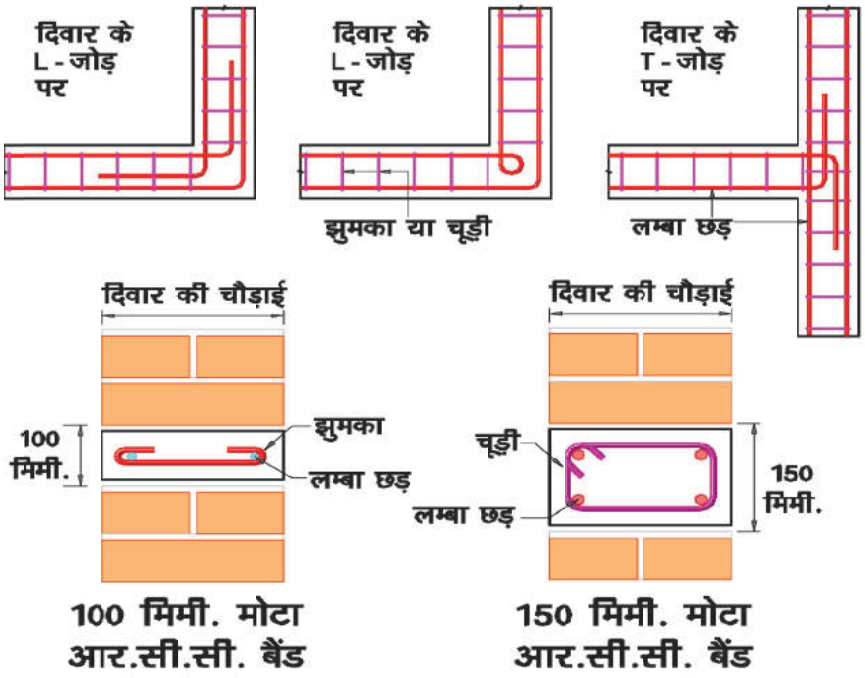


## भारवाहक दीवार वाले भूकम्परोधी भवन

दिवार के सभी कोनों पर पॉकेट बनाएं,
पॉकेट में छड़ खड़ा करें, छड़ नींव से छत तक जाएगा।

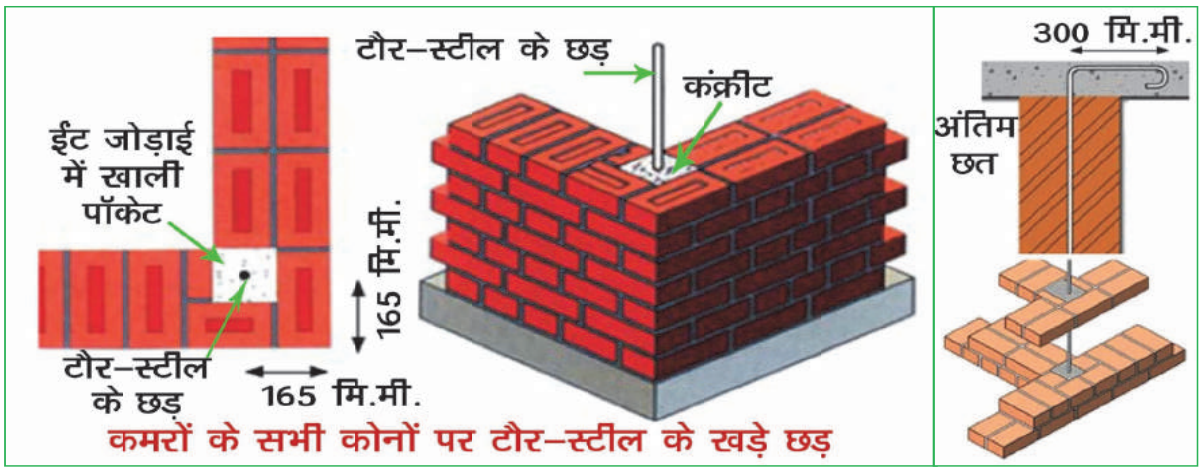


कमरों के सभी कोनों पर टौर–स्टील के खड़े छड़

एकमंजिल मकान में 12 मिमी. का एक छड़ दो या तीन मंजिल मकान में 16 मिमी. का एक छड़ तथा चार मंजिल मकान में 20 मिमी. का एक छड लगाएं।

## भारवाहक दीवार वाले भूकम्परोधी भवन
## बड़े खिड़कियों एवं दरवाजों का प्रबलन

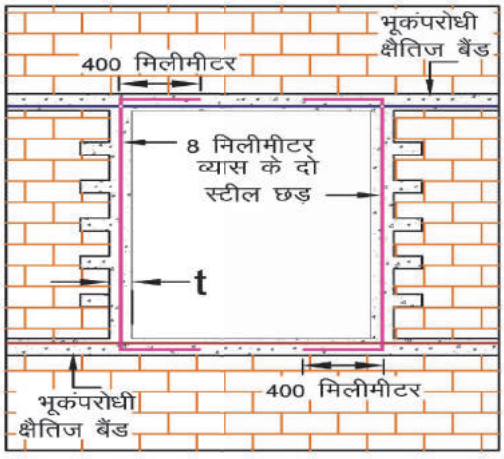


दरवाजे एवं खिड़कियों के दोनों तरफ दीवार में कंक्रीट में खड़े स्टील छड़

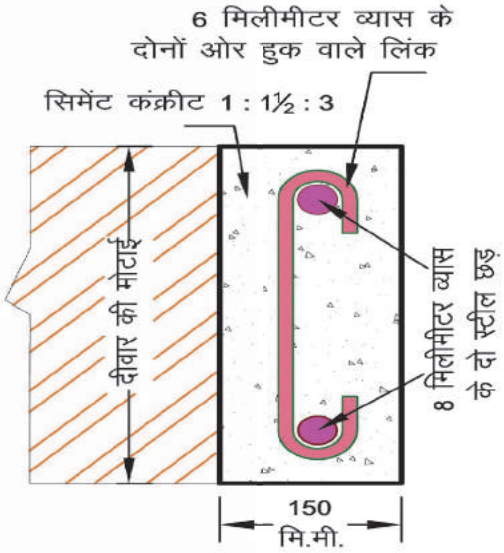


t पर आड़ीकाट

## मकान में सीढ़ी घर किस प्रकार बनाएंगे ?

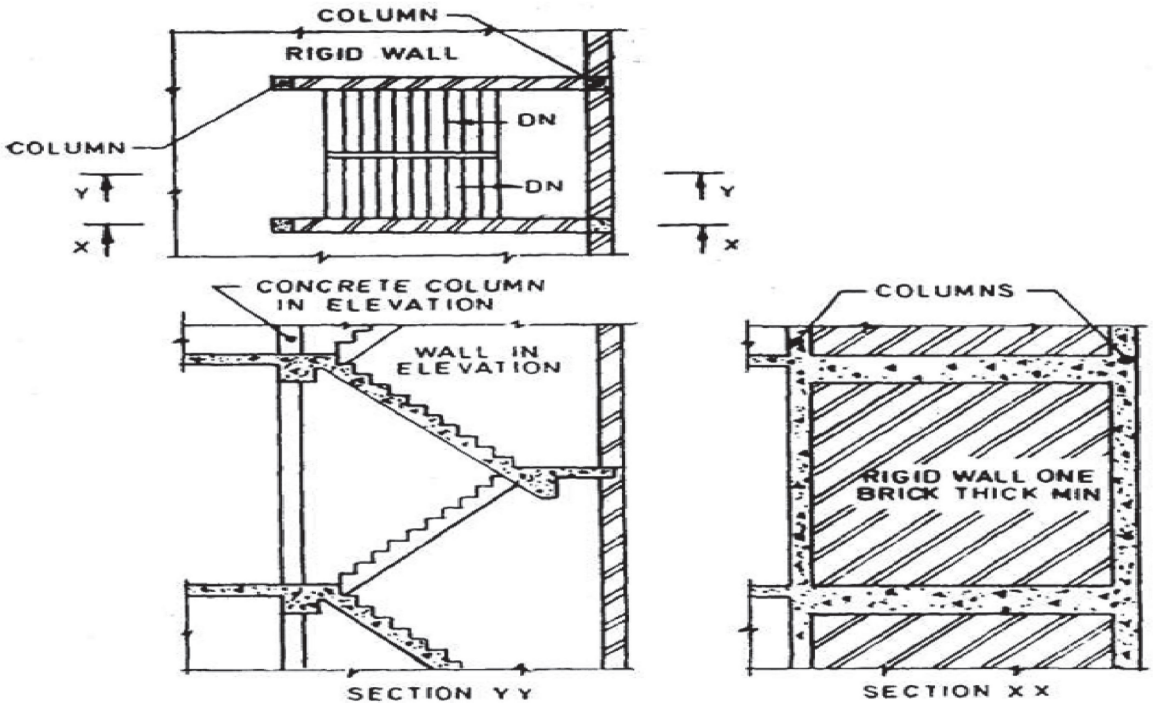

## एक मंजिल मकान के लिए, 125 मिमी. (5 इंच) मोटे भारवाहक दिवार का निर्माण

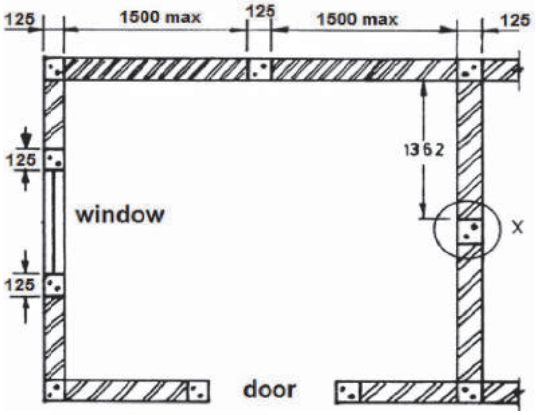


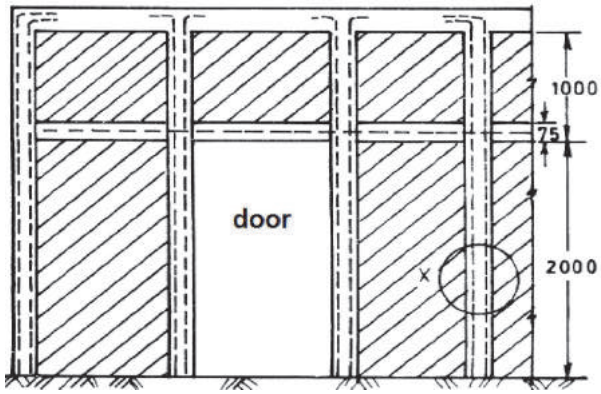


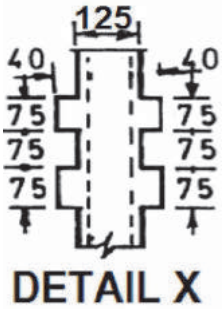


- दिवार के जोड़ों एवं कोनों पर आर.सी.सी. पिलर
- दिवार के बीच में 1.5 मीटर पर आर.सी.सी. पिलर
- खिड़कियों एवं दरवाजों के पाखा पर आर.सी.सी. पिलर
- सिल्ल, लिंटल एवं छत लेवेल पर आर.सी.सी. बैंड
- दिवार की उँचाई 3 मीटर

## भारवाहक दीवार वाले भूकम्परोधी भवन
## नींव के साथ टाई बीम का संबंधन

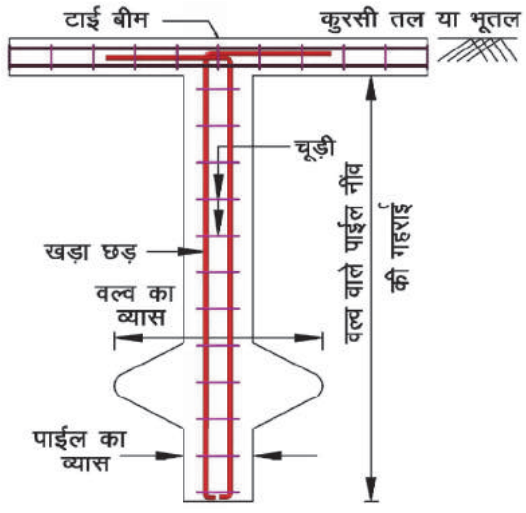


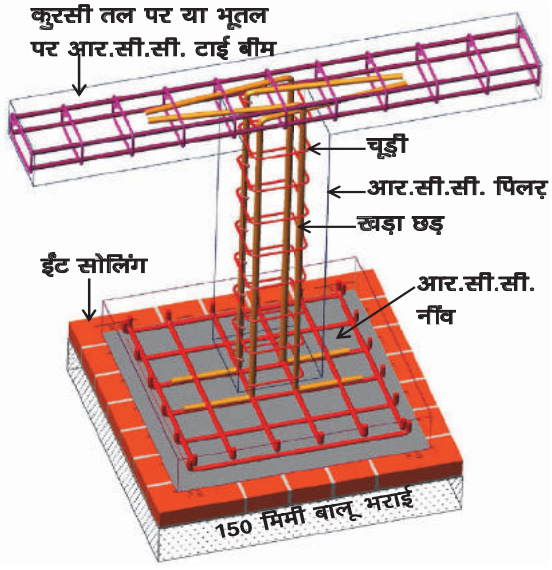

**भूकम्प में दिवारों को एकजुट रहना जरूरी है। दिवारों के जोड़ों पर बंधन मजबूत बनाएं ।**

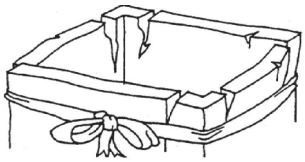

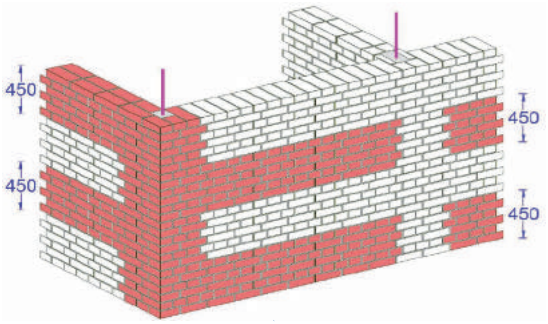


**दिवार के जोड़ों के पास, बारी–बारी से, दोनों दिवारों में 450 मिमी उँचा दांता बनाकर जोडाई करें।**

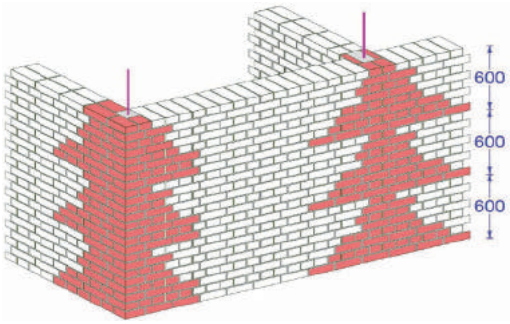


**दिवार के जोड़ों पर 600 मिमी उँचा सीढीनुमा जोडाई करें, फिर बीच का दिवार बनाएं।**

## भवन निर्माण सामग्री

सदा साफ और ताजा भवन निर्माण सामग्रियों का उपयोग करें।

गिट्टी में 20 मिमी. से 6 मिमी. तक सभी साइज मिला रहना चाहिए।

बालू में मोटे दाने से लेकर महीन दाने तक मिला रहना चाहिए।

गर्द से बचाने के लिए, बालू और स्टोनचिप्स (गिट्टी) को पोलीथीन चादर बिछाकर उसपर रखें तथा इन्हें पोलीथीन चादर से ढ़क दें।

## भवन निर्माण सामग्री

ईंट लाल रंग के, ठीक से पके तथा एक ही आकार प्रकार के होने चाहिए।

सिमेंट ताजा होना चाहिए। इसे सूखे स्थान पर जमीन से उपर रखें। सिमेंट के मिश्रण में पानी मिलाने के एक घंटे के अंदर उपयोग कर लेना अनिवार्य है।

निर्माण में उसी जल का उपयोग करें जिसे आप पी सकते हैं।

## ईंट जोड़ाई भारवाहक दीवार

सिमेंटःबालू मसाला 1:4 और 1:6

ईंट को चार से छः घंटे तक साफ पानी में डुबाकर रखें।

- ईंटों के बीच 10 से 12 मि.मी. का गैप रखें।
- ईंटों के बीच पूरा–पूरा मसाला भरें
- एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 0.9 मीटर उँची दीवार बनाऐं।
- अगले 10 दिनों तक दिवार को पानी से भिगाकर रखें।

## शटरिंग, कंक्रीट बनाना एवं ढ़ालना

- ढलाई से एक दिन पहले ही सभी सामग्री इकट्ठा कर लें।
- 20 मिमी. गिट्टी एवं 12 मिमी. गिट्टी को आधा–आधा मिलाऐं।
- शटरिंग एवं बल्ली लगाएं। छड़ों को बाँधें; कवर ब्लौक एवं चेयर लगाएं।
- मिक्सर मशीन से कंक्रीट बनाएं। सिमेंट:बालू:गिट्टी का अनुपात 1:1.5:3 रखें। सिमेंट के एक बैग पर 25–30 लिटर पानी को मिलाएं।
- कंक्रीट की ढ़लाई को भाइब्रेटर या 16 मिमी. के छड़ से सघन करें।
- 10 दिनों तक कंक्रीट को पानी से लगातार भिगोकर रखें।
- शटरिंग हटाने के समय कंक्रीट के सतह की जाँच करें।
- यदि 40 डिग्री के उपर गरमी रहे, तेज हवा बहती हो और गिट्टी, बालू तथा पानी गरम हो तो सुबह में या शाम में ढ़लाई करें।

**जंग से बचाव के लिए छड़ों का न्यूनतम कवर**

| | |
|---|---|
| नींव में | 50 मि.मी. |
| पिलर में | 40 मि.मी. |
| बीम में | 25 मि.मी. |
| बैंड में | 25 मि.मी. |
| स्लैब में | 15 मि.मी. |

ढ़लाई से एक महीने पहले कवर ब्लौक ढ़ाल लें।

छड़ के नीचे कवर ब्लौक

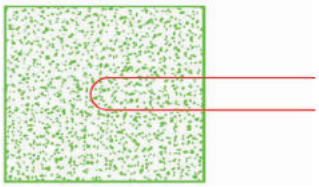

छड़ के बगल का कवर ब्लौक

स्लैब के उपरी लेयर छड़ों के लिये 1 मी. पर चेयर

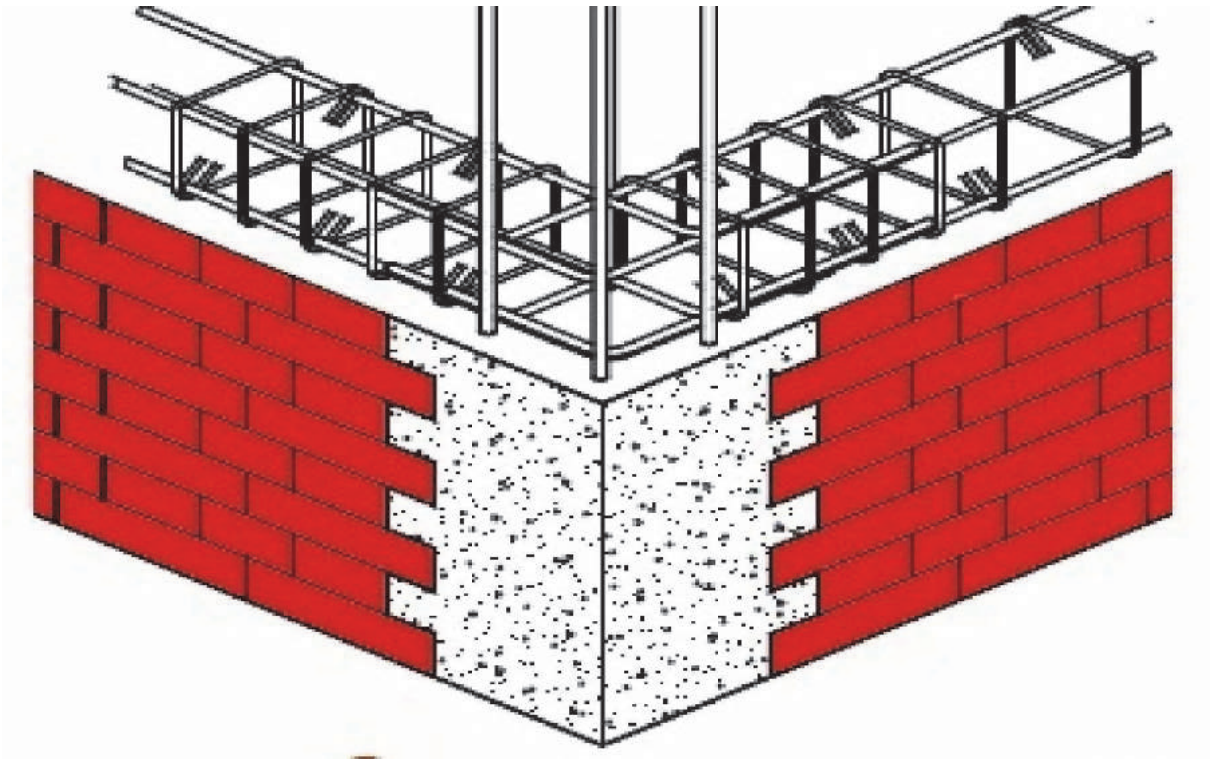

- ईंट जोड़ाई के अंतिम सिरों पर 40 मिमी. का दांता बनाएं।
- 1.2 मीटर की उँचाई तक ईंट जोड़ाई करें। जोड़ाई के साथ ही 1.2 मीटर की उँचाई तक पिलर का शटरिंग करें।
- कंक्रीट बनाकर ढ़लाई करें, भाइब्रेटर या 16 मिमी. के छड़ से कंक्रीटो को सघन करें।
- 24 घंटे के बाद शटरिंग हटा लें। पिलर के सतह पर जूट बोड़ी बांधें। बोड़ी को 10 दिनों तक पानी से लगातार भिगोकर रखें।
- फिर अगले 0.9 मीटर की उँचाई के लिए उपरोक्त कार्य की दुहराएं।

| बाँस के प्रकार | वर्णन | लम्बाई | व्यास | गांठों की दूरी | छल्ला की मोटाई |
|---|---|---|---|---|---|
| हरौत | लम्बा; धूसर हरा; मोटा गांठ, उपर उजला छल्ला, नीचे रोवेंदार; निचले गांठों से निकली पत्ताविहीन कठोर शाखाऐं | 12–20 मीटर | 8–15 सेमी. | 20–40 सेमी. | मोटा दिवार, व्यास का एक तिहाई |
| चाब | हरा–भरा; गांठों के नीचे कुछ चौड़ा उजला छल्ला; नीचे बहुत कम शाखाऐं, निचले गांठों से निकली रेशेदार जड़ें | 7–23 मीटर | 5–10 सेमी. | 40–70 सेमी. | पतला दिवार |
| मखौर | मध्यम लम्बाई; सीधा, हरा, चिकना; प्रायः रोवेंदार गांठ; उपर ज्यादा शाखाऐं, नचले गांठों से निकलती जड़ें | 6–15 मीटर | 5–10 सेमी. | 25–45 सेमी. | मोटा दिवार |

# बाँस खम्बे की नमी से सुरक्षा

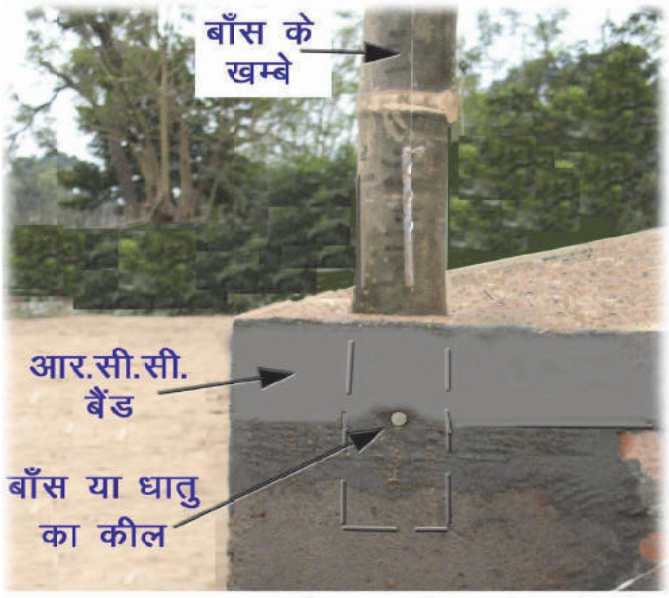


कुरसी पर ईंट जोड़ाई में गड़े बाँस के खम्बे

- बाँस खम्बा को जमीन में नहीं गाड़ें
- जमीन में precast कंक्रीट का खूँटा गाड़ें या ईंट पीलर का आधार बनाऐं
- बाँस खम्बे के निचले सिरे को खूँटा या पीलर से जकड़ दें

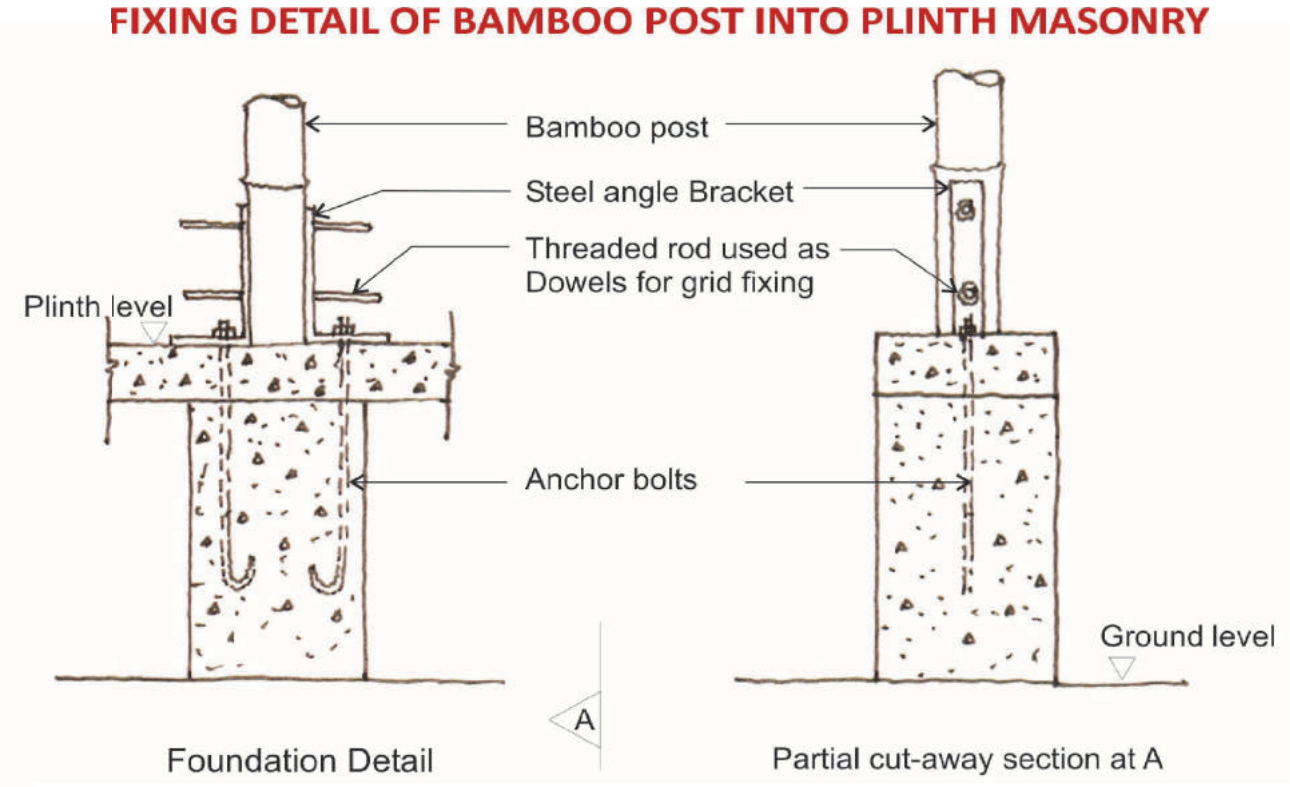


**तूफ़ान से वचाव के लिये तिरछा बन्धनीं:–**

**– बाँस के खम्बों के बीच दीवार में**

**– ओलती स्तर पर टाई बाँस के बीच**

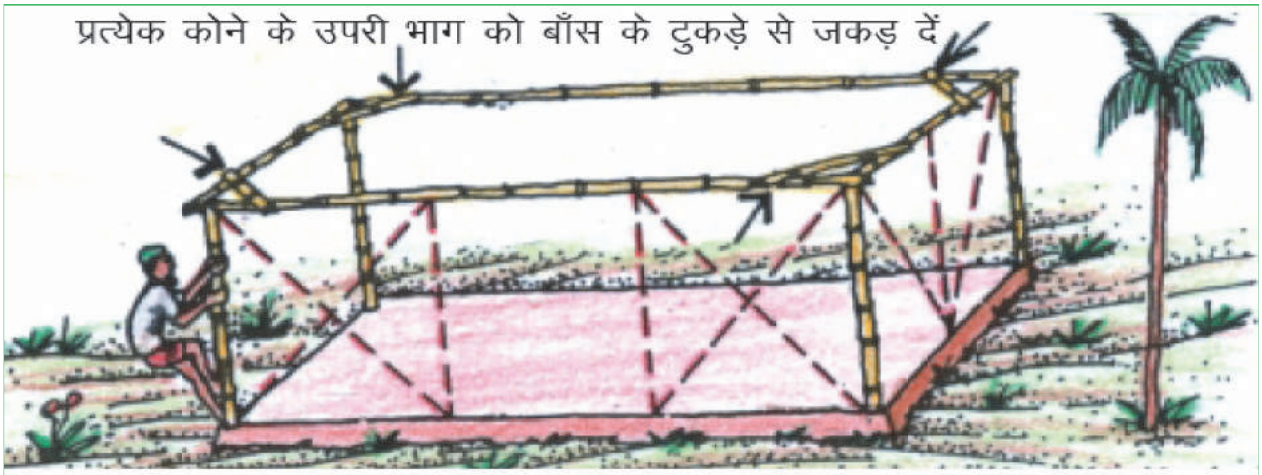


बाँस को बीचोबीच चीरकर दोनों दिशाओं में तिरछा बन्धनी लगाऐं

**बाँस के संरचना ढाँचे के स्थायित्व के लिये दीवार फलकों में खम्बों के साथ तिरछा बन्धनी का उपयोग**

# बाँस को बाँधने की सामग्री

- बाँस एवं बत्तियों में कॉटी मत ठोकें, यह फट जाता है।
- बर्मा से छेद करके, दोनो छोर पर छल्ला लगे बोल्ट का उपयोग करें।
- जूट या नारियल रस्सी के बदले अच्छे प्रकार के नायलन रस्सी अथवा **GI** तार का उपयोग करें।

तिरछा बन्धनी, दीवाल फलक एवं खम्बे के उपरी सिरों को मिलानेवाली बाँस को खम्बे के साथ जकड़ दें।

पर्लिन को कड़ी के साथ और कड़ी को खम्बे के उपरी सिरों को मिलानेवाली बाँस के साथ जकड़ दें।

बाँस के ढ़ाँचे का बंधन

मचान के लिये अतिरिक्त
बाँस के खम्बे खड़ा करें।

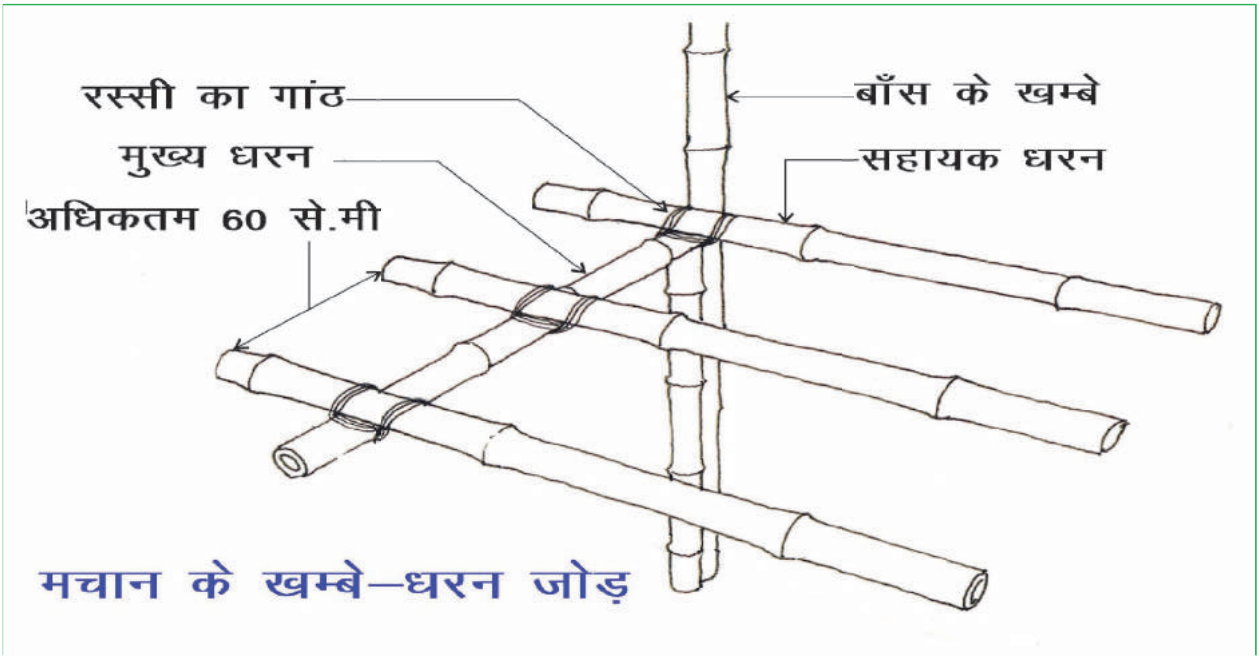


# बाँस के घर की रूपरेखा

- सरल आयताकार रूपरेखा
- घर के आकार **3 a x 2a,**
- खम्बों की आपसी दूरी, **a = 1.5** से **1.8** मीटर
- द्वारो के आकार सीमित रखें।
- वर्षा से सुरक्षा हेतु कुरसी की परिधि पर सिमेंटगारे 1:6 में दीवार

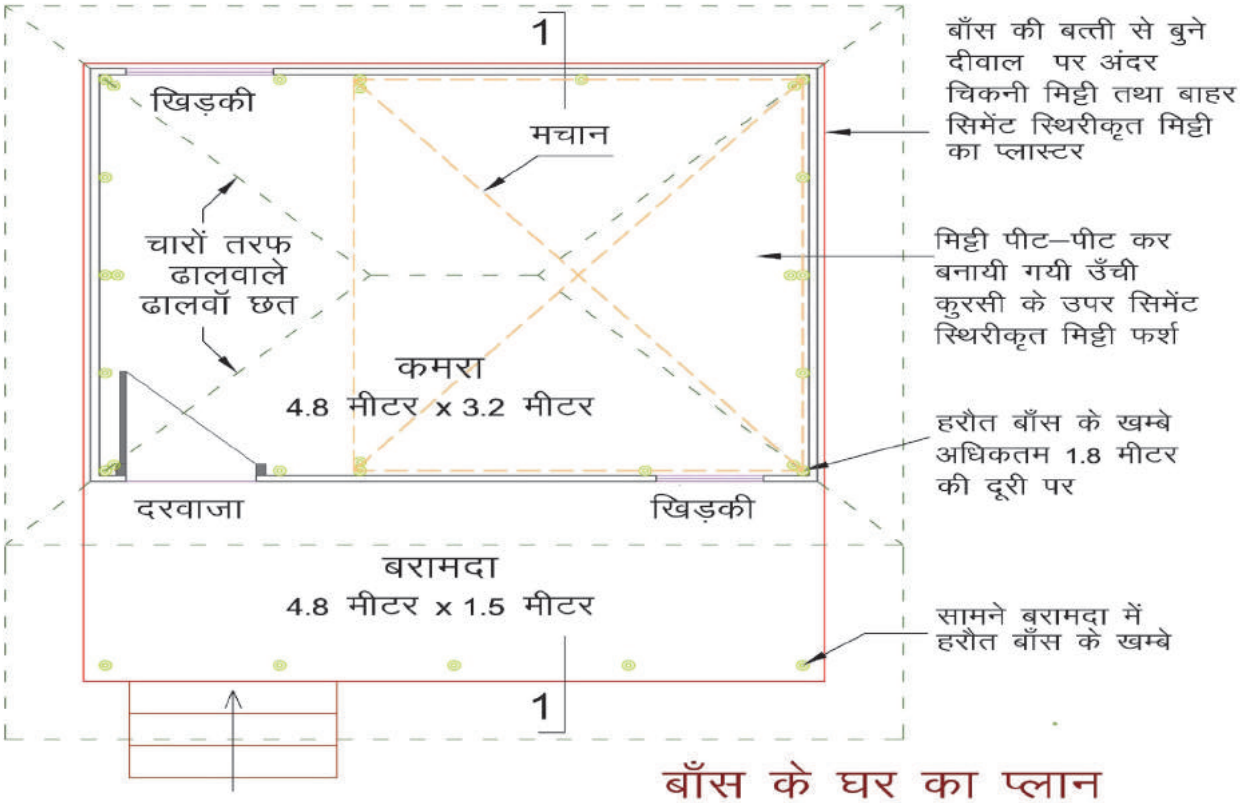


बाँस के घर का प्लान

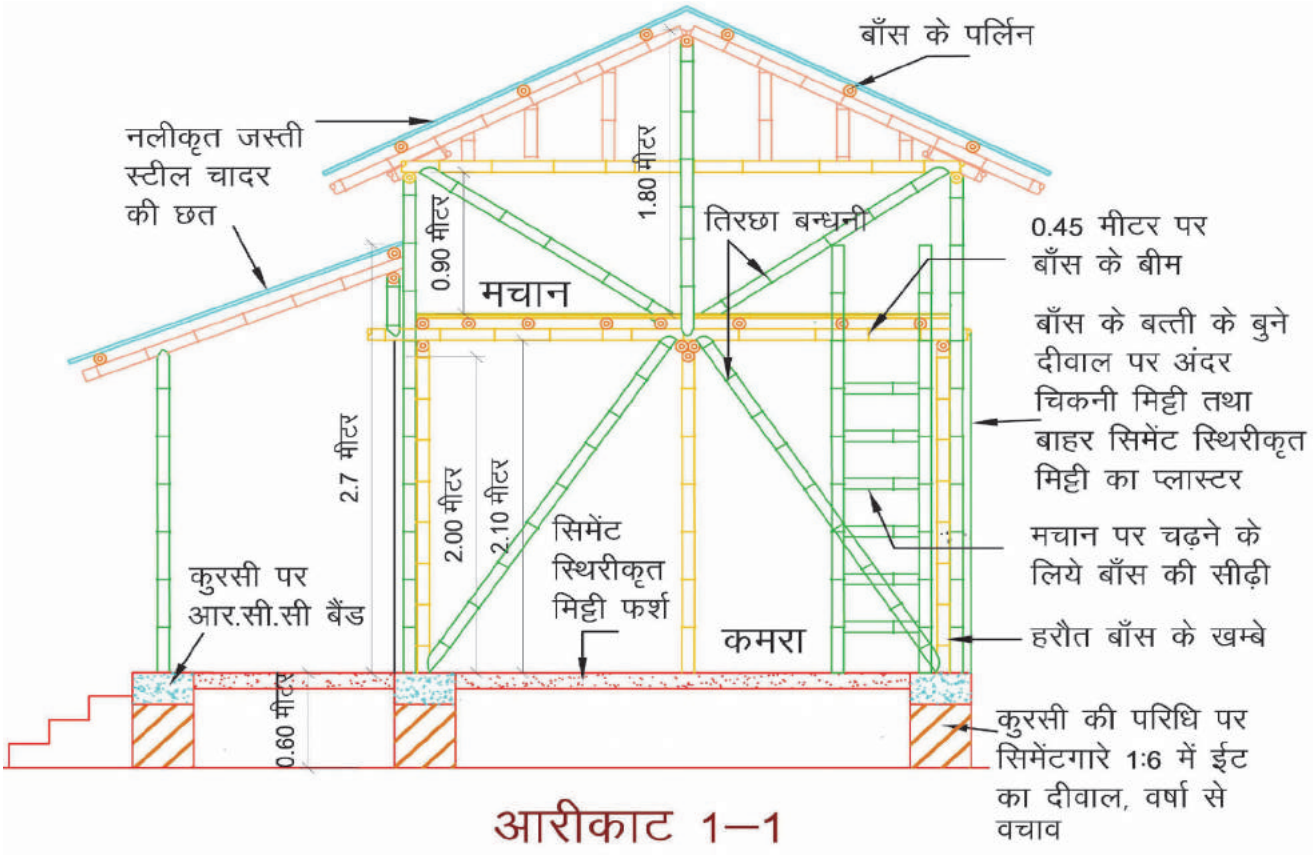


आरीकाट 1–1

## बाँस से घर निर्माण के आवश्यक विन्दु

- परिरक्षक रासायनिक उपचार (Chemical preservative)
- बाँस के खम्बे 1.5 मीटर से 1.8 मीटर की दूरी पर रखें।
- बाँस खम्बे को कंक्रीट खूँटे या ईंट पीलर पर रखें।
- खम्बों के बीच तथा छत संरचना में, तिरछा बन्धनी लगाऐं।
- ढालवॉ छत के नीचे मचान का निर्माण करें।
- नायलन रस्सी अथवा गैलवनीकृत तार का उपयोग करें।
- चारों तरफ ढालवाले छत का निर्माण करें।
- छत संरचना के ढॉचे को दीवार से जकड़ दें।
- GI Sheet छत को जे बोल्ट के सहारे कड़ी से जकड़ दें।
- सिमेंट–मिट्टी मिश्रण पीट–पीट कर उँची कुरसी बनाऐं।

## 1. परिचय

**(i)** आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की आपदा आने पर हमारे समुदाय में भारी नुकसान के अंदेशे को नकारा नहीं जा सकता है। विभिन्न आपदाओं में जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन तैयारी तथा कार्यवाही योजनाओं को सुचारू रूप से तैयार किया जाये तथा इसे अमल में लाया जाये। सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी बात यह है कि समुदाय के लोगों को आपदा प्रबंधन में इस प्रकार जागरूक किया जाये जिससे कि वे किसी आपात स्थिति में कारगर ढंग से कार्यवाही करने या उससे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में तैयार रहें।

**(ii)** वर्तमान परिवेश में यह जरूरी है आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाये तथा समायान्तराल पर इसका रिहर्सल भी किया जाये ताकि समुदाय के लोग इससे भली-भांति अवगत रहे। साथ ही, घरों में आपातकालीन किट को तैयार कर-के रखा जाये जिसकी मदद आपदा के दौरान लिया जा सके।

## 2. मॉक ड्रील कराने का उद्देश्य

**(i)** किसी आपदा के दौरान समुदाय के लोग उचित कार्यवाही कर सके ताकि नुकसान कम से कम हो।

**(ii)** मॉक ड्रील एक ऐसा माध्यम है जिससे समुदाय के लोगों में आपदा के दौरान उचित कार्यवाही हेतु साहस व विश्वास पैदा होता है।

**(iii)** लोगों को जीवन बचाव से सम्बंधित तकनीक की जानकारी देना।

**(iv)** समुदाय द्वारा तैयार किये गये 'आपदा प्रबंधन योजना' की वास्तविकता का सर्वेक्षण करना तथा कमियों को बताना ताकि भविष्य में उसे सुधारा जा सके।

## 3. रेस्पांस टीमों का गठन : मुख्य काम

### टीम - I. आपदा प्रबंधन समिति

**(i)** 'आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना।

**(ii)** समयान्तराल पर 'आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे **update** करना ।

**(iii)** आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा पंचायत/ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव सम्बंधित तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन करना।

**(iv)** समय-समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर-सर-कारी संगठनों के मदद से आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉक ड्रील आयोजित करना।

**(v)** आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न

संगठनों का सम्पर्क नम्बर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे अध्यतन करना।

**(vi)** आपदा से सम्बंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रील में समुदाय के अधिकतर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

### II. जगरूकता अभियान समिति

**(i)** आपदा के प्रति समुदाय के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन करना।

**(ii)** आपदा प्रबंधन से सम्बंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, तस्वीर, पम्पलेट, आसान तरीका **(Simple Tips), Do's Don't** करना।

**(iii)** आपदा प्रबंधन से सम्बंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।

### III. चेतावनी दल

आपदा के दौरान समुदाय के लोगों को तुरंत सूचित करना।

### IV. निकासी दल

**(i)** किसी आपातकालीन आपदा के दौरान समुदाय के लोगों को घर से बाहर शान्तिपूर्वक ढ़ंग से निकालने में मदद करना तथा उन्हें खुले जगह (एसेम्बली प्वाइंट) में इकट्ठा करना।

**(ii)** ऐसेम्बली प्वाइंट में लोगों की गिनती करना तथा इसकी जानकारी 'आपदा प्रबंधन कमीटी' व खोज व बचाव टीम को देना।

### V. सुरक्षा दल

किसी आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना तथा बहुमूल्य सामानों की देखभाल करना।

### VI. खोज व बचाव दल

खुली जगह (एसेम्बली प्वाइंट) में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई व्यक्ति गुम हो तो तुरन्त खोज व बचाव कार्य करना।

### VII. प्राथमिक उपचार टीम

**(i)** घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना।

**(ii)** प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।

### VIII. अग्नि शमन दल

आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।

### IX. परिवहन प्रबंधन दल

किसी आपातकालीन आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।

### X. आश्रय संचालन दल

किसी आपातकालीन आपदा के तुरंत बाद राहत शिविर तक लोगों को पहुंचाना तथा उन्हें मदद करना। तत्कालिक राहत शिविर पहले से मुकर्रर किया जाना चाहिए जो कि सुरक्षित हो।

## 4. मॉक ड्रिल का तरतीब

### समुदाय के लोगों द्वारा

**चरण-1: अलार्म**

पूर्व निर्धारित समय पर 01 मिनट तक भूकंप आने की चेतावनी दें। इसके लिए पूर्व निर्धारित एलार्म/सायरन होना चाहिए जो समुदाय के लोगों को पता हो।

**चरण-2: डक, कवर, होल्ड की कार्यवाही**

इस चरण में प्रत्युत्तर स्वरूप लागों को झुकना, टेबल/लकड़ी के मजबूत पलंग/चौकी आदि में कवर लेना एवं उसे मजबूती से पकड़ना इत्यादि शामिल है।

**चरण-3: निकासी**

**(i)** भूकम्प के वार्निंग एलार्म/सायरन के बन्द हाने के बाद लोगों को घरों से बाहर शान्तिपूर्ण तरीके से निकाला जायेगा।

**(i)** तत्पश्चात घरों/ बिल्डिंग डैमेज की स्थिति को चैक किया जायेगा। यदि घरों का कोई कमरा ध्वस्त होता है और उसमें कोई व्यक्ति फँसा हो तो तुरन्त इसकी सूचना पुलिस/स्थानीय प्रशासन को दी जायेगी और राहत व बचाव की मॉग की जायेगी।

## चरण-4: सेफ रूट से असेम्बली क्षेत्र में ईकट्ठा हो जाएं तथा हैड काउन्ट करें

ग्रामीणों को पूर्व निर्धारित खुले जगह/एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा किया जायेगा तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य सुरक्षित है, इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति गुम हो तो उसे खोज एवं बचाव टीम द्वारा ढूंढ़ा जाये।

## चरण-5: खोज एवं बचाव दल द्वारा कार्यवाही

इस चरण मे ं समुदाय स्तर पर गठित खोज एवं बचाव टीम अपना कार्य करेगी।

## चरण-6: प्रथम चिकित्सा उपचारक दल द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार

प्रथम चिकित्सा उपचारक टीम घायलों को अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रदान करेगी।

### चरण-7: सभी लोगों का अन्तिम गणना

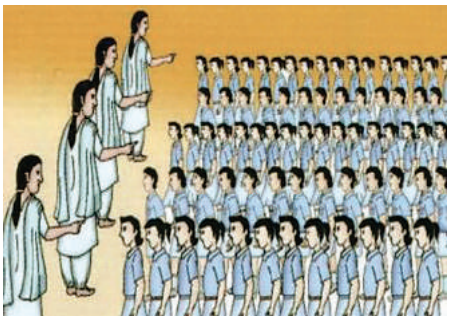

इस क्रम में खुले जगह/एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा हुये सभी लोगों की अन्तिम गणना की जायेगी।

### चरण-8: मुल्यांकन

पूर्व निर्धारित समुदाय के विशिष्ट लोगों/पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं इस दौरान आई समस्याओं को अवगत कराया जायेगा ताकि भविश्य में इस प्रकार के मॉक ड्रील में इसे ठीक किया जा सके।

## 5. निष्कर्ष

विभिन्न प्रकार के आपदाओं के संदर्भ में पंचायत/ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने वाले मॉक ड्रील वास्तव में 'आपदा प्रबंधन योजना' का एक परीक्षण है। आपातकालीन स्थिति के दौरान समुदाय में अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों को और बेहतर बनाने के लिए यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तरीका है ताकि आपदा के वास्तविक घटना के दौरान क्षति को कम किया जा सके। साथ ही, मॉक ड्रील आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य से जुड़े राहत बचाव दलों को एक साझा मंच प्रदान करता है जिससे उनके आत्म-विश्वास में बढ़ावा मिलता है एवं उनकी व्यवसायिक कार्यकुशलता एवं उपलब्ध संसाधनों का सही मूल्यांकन होता है।

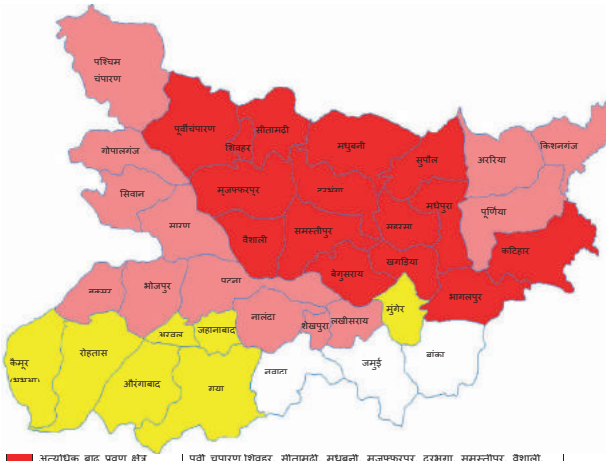


| | | |
|---|---|---|
| | अत्याधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र | पूर्वी चपारण,शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभगा, समस्तीपुर, वैशाली, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय,आगलपुर, कटिहार |
| | सामान्य बाढ़ प्रवण क्षेत्र | पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया |
| | त्वरित बाढ़ प्रवण क्षेत्र[1] | कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, मुंगेर |
| | अति न्यून बाढ़ प्रवण क्षेत्र | नवादा, जमुई, बांका |

[1]वर्ष 2016 में आई बाढ़ ने ऐसे कई मानक स्थापित कर दिए । जिन जिलों में कभी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा, उन जिलों को भी पड़ोस के राज्यों से पानी आकर प्रभावित किया तथा भारी नुकसान पंहुचाया|

**(I)** वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व तटबंधों का निरीक्षण कर कमजोर/ क्षतिग्रस्त या खतरे वाले स्थलों के बारे में स्थानीय प्रशासन/ जिला प्रशासन/ जल संसाधन विभाग को सूचित करना ताकि समय से उसकी मरम्मत हो जाये।

**(2)** सुरक्षित आश्रय स्थल/ शरण स्थल और वहाँ पहुँचने के सुरक्षित मार्ग को चिन्हित कर इसके बारे में लोगों/ समुदाय को जागरूक करना।

**(3)** गाँव पंचायत के निजी नाव मालिकों को नावों की मरम्मति और किसी भी आपदा के समय तैयार रखने के लिए प्रेरित करना।

**(4)** पारिवारिक किट की तैयारी कराना जिसके 8 आयाम/भाग है –

**(I)** परिवार के सदस्यों की उम्र और आवश्यकतानुसार 7 दिनों का तैयार खाना जैसे–चूड़ा, मुरही, सत्तू, भुना हुआ चना, गुड, नमक, बिस्किट इत्यादि।

**(II)** आश्रय निर्माण सामग्री जैसे– तारपोलिन शीट, रस्सी, बांस–बल्ली, बिछाने और ओढने का सामान, मच्छरदानी, रोजमर्रा के कपड़े इत्यादि।

**(iii)** प्रकाश व्यवस्था जैसे टॉर्च, बैटरी चालित लाइट, मोमबत्ती, दियासलाई, लाइटर, लालटेन आदि।

**(iv)** सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज/ कागजात जैसे–आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, केवाला, खतियान, रसीद, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण–पत्र, बच्चों का टीकाकरण कार्ड इत्यादि।

**(v)** नकदी और बहुमूल्य आभूषण।

**(vi)** बच्चों के खिलौने तथा शिक्षण सामग्री।

**(vii)** प्राथमिक उपचार के सामान और जरुरी दवाईयाँ।

**(viii)** आरोग्य से सम्बंधित सामग्रियां

जैसे–साबुन, ब्रश, कंघी, तेल, आ–ईना, नेल कटर, शेविंग किट, सेने–टरी नैपकिन, पानी के बर्तन इत्यादि।

**(5)** घर में रखे खाद्यान्नों एवं पशु चारा का सुरक्षित भण्डारण ताकि वो पानी में भींगकर या सीलन के कारण सड़े–गले नहीं या खराब न हो।

**(6)** चापाकलों को सुरक्षित करना जैसे– मरम्मति, extention pipe से ऊँचीकरण, ऊँचा चबूतरा निर्माण, विसंक्रमण इत्यादि।

**(7)** बाढ़ सूचना एवं संसाधन केंद्र की स्थापना–

**(I)** बाढ़ सूचना एवं संसाधन केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें।

**(II)** सूचना एवं संसाधन केंद्र पर आवश्यक उपकरणों यथा– मेगा फोन, लाठी, ट–ॉर्च, रस्सा, लाईफ जैकेट इत्यादि का इंतजाम रखें।

**(III)** महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर जैसे– केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, वर्षामापी केंद्र, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, स्थानीय प्रशासन इत्यादि को चार्ट पेपर पर लिखकर प्रदर्शित करें।

**(IV)** पूर्व चेतावनी हेतु सूचना संग्रह एवं प्रसारण प्रणाली विकसित करें।

**(V)** कार्यदल और वार्ड सदस्य की विभिन्न पालियों मे (चक्रवार) जिम्मेवारी तय करें।

**(8)** गाँव की पारिवारिक सूची बनाना एवं उस सूची में नाजुक परिवारों को पहले से चिन्हित कर रखना ताकि आपदा के समय वैसे परिवारों को त्वरित स–हायता उपलब्ध करायी जा सके।

**(9)** पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, जल एवं स्वच्छता के लिए छद्म अभ्यास (Mock drill) करवाना।

**(10)** गाँव के सभी पशुओं का टीकाकरण (HSBQ) करवा लेना।

**(11)** यह सुनिश्चित कर लेना कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से बाढ़ से पहले राशन और किरासन का वितर–ण हो जाये।

**(12)** सभी बच्चों के गले में उसके नाम व पता सहित परिचय पत्र लगवाना।

**(13)** सभी गड्ढों और डूबने का खतरा वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां लाल झण्डी या और कोई संकेत लगवाना।

**(14)** बाढ़ के दौरान भी गाँव में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा की उपलब्धता हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय बनाये रखना और यह सुनिश्चित करवाना कि ANM, ASHA, आंगनव–ाड़ी सेविकाओं के पास पर्याप्त मात्रा में आवश्यक प्राथमिक उपचार साम–ग्रियां एवं दवाईयाँ उपलब्ध हैं।

## (1) वाटर बोटल (Water Bottle) राफ्ट

यह घरो में मौजूद खाली पानी की बोतलों से तैयार किया जाता है। छः से सात खाली बोटलों को रस्सी की सहायता से बाँध कर इस प्रकार के राफ्ट को बनाया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि सभी खाली बोटलों के ढक्कन अच्छी तरह से बन्द हो। एक व्यक्ति बाढ़ के दौरान इस प्रकार से तैयार राफ्ट को अपने छाती में बाँधकर सुरक्षित जगह तक जा सकता है।

## (2) बैरल राफ्ट

यह समान्यतः एक या दो खाली पी0वी0सी0 बैरल को बाँस (बम्बू) से रस्सी की सहायता से बाँधकर तैयार किया जाता है। इसकी मदद से बाढ़ के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते है। खाली बैरेल को इस्तेमाल करने से पहले इसके ढक्कन को अच्छी तरह बन्द कर लिया जाये।

### (3) बम्बू राफ्ट

यह बॉस (बम्बू) को रस्सी से बॉधकर जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल से भी बाढ ग्रस्त इलाके में एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक आसानी से जा सकते है।

### (4) ट्यूब राफ्ट

यह राफ्ट गाडी के ट्यूब (जो कि पंक्चर न हो) को हवा भरकर बनाया जाता है। इसकी मदद से एक व्यक्ति बाढ़ ग्रस्त इलाकों में एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक जा सकता है।

### (5) बॉल राफ्ट

यह राफ्ट बच्चों के खेलने वाले फुटबॉल/बॉलीबॉल (जो कि पंक्चर न हो) में हवा भरकर बनाया जाता है। इसे दो बॉल को रस्सी से अच्छी तरह बाँधकर तैयार किया जाता है। एक व्यक्ति इस प्रकार तैयार राफ्ट को अपने छाती से अच्छी प्रकार लगाकर बाढ के पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित जा सकता है।

### (6) जैरीकेन राफ्ट

यह राफ्ट घर में मौजूद प्लास्टिक जैरीकेन की मदद से तैयार किया जाता है। एक व्यक्ति दो खाली प्लास्टिक जैरीकेन (व्यस्क के लिए कम से कम 20 ली0 का) को रस्सी से अच्छी तरह बॉधकर इस प्रकार तैयार राफ्ट को अपने छाती से अच्छी तरह लगाकर बाढ़ ग्रस्त इलाके में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है।

### (7) नारियल राफ्ट

यह राफ्ट घरों/स्थानीय बजारों में उपलब्ध सूखे नारियलों की मदद से तैयार किया जाता है। 6–8 सूखे नारियलों को रस्सी से अच्छी तरह बाँधकर इसे बनाया जाता है। एक व्यक्ति इस प्रकार तैयार राफ्ट को अपने छाती से अच्छी प्रकार लगाकर बाढ के पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है।

### (8) तसला राफ्ट

यह राफ्ट घरों मे मौजूद खाना बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले दो तसलों (Allumin-ium Utensil) की मदद से तैयार किया जाता है। सबसे पहले तसला के मुँह को प्लास्टिक और रस्सी की मदद से अच्छी तरह बंद (सील)किया जाता है। फिर रस्सी से दो तसलों को जोड़कर इस राफ्ट को बनाया जाता है। एक व्यक्ति इस प्रकार तैयार राफ्ट को अपने छाती से अच्छी प्रकार लगाकर बाढ़ के पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है।

### (9) टिन राफ्ट

यह राफ्ट घरों में उपलब्ध खाली टिन के डब्बों एवं बाँस से जरूरत के मुताबिक बनाया जाता है। ध्यान रहें, इस प्रकार के राफ्ट इस्तेमाल करने से पहले खाली टिन के डब्बों के मुँह को अच्छी तरह बंद (सील) कर दिया जाये।

### (10) केला तना राफ्ट

इस प्रकार के राफ्ट केले के तने, बॉस की खपच्ची तथा रस्सी की मदद से तैयार किया जाता है। इसका ईस्तेमाल कर बाढ़ के दौरान बच कर सुरक्षित स्थान पर जाया जा सकता है।

बिहार में बाढ प्रतिवर्ष आनेवाली प्राकृतिक आपदा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों जान–माल का नुकसान होता है। बाढ़ में हम अपनी जान की रक्षा तथा शरण स्थल तक जाने की योजना की तैयारी कर लेते हैं, परन्तु बाढ़ के समय पशु की रक्षा मे असमर्थ हो जाते हैं। पशुओं को सुरक्षित स्थल तक ले जाने के लिए नाव उपलब्ध नहीं हो पाती। हालांकि पशु तैरना जानते हैं, पर दिशाभ्रम हो जाने के कारण सुरक्षित जगहों पर खुद नहीं जा पाते।

उस आपदा के समय हमें घरेलू उपलब्ध संसाधनो से पशुओं को पानी से निकालने के लिए राफ्ट की जरूरत महसूस होती है। आइये देखें किस तरह राफ्ट बनाई जाती है –

## क) विभिन्न राफ्ट के प्रकार

ड्रम राफ्ट

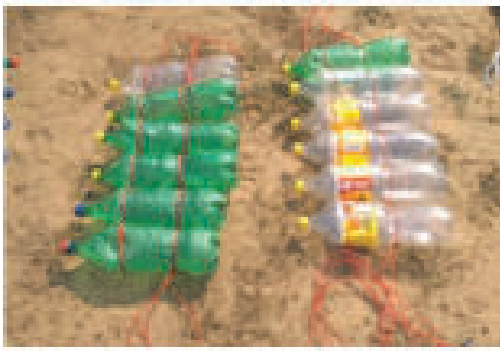

बोतल राफ्ट

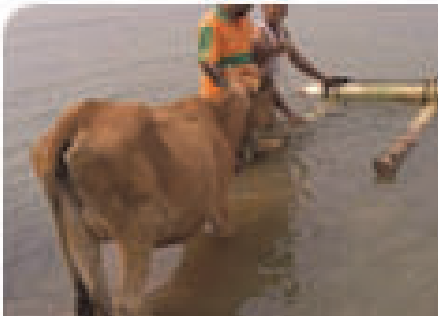

केले का तना

बाँस राफ्ट

## ख) राफ्ट बाँधने के तरीके

## ग) सफलतापूर्वक पार कराने की विधि

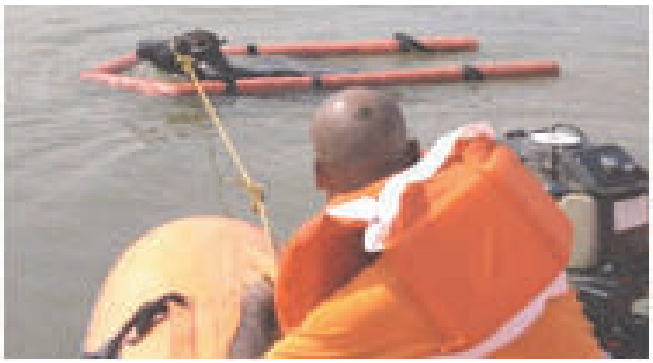

पशुओं को अलग बोट न मिलने पर राफ्ट बांध कर बोट के पीछे बांध दे। आदमी और पशु को एकसाथ नाव पर न ले जाएँ। उपर्युक्त राफ्टों को पहना कर पशु को बाढ में नदी–धारा पार करने में सबल कर सकते हैं।

# अध्याय 06 (ग) सुखाड़ प्रबंधन एवं उसके लिए की जाने वाली तैयारी

वर्षा ऋतु में लम्बे समय तक अल्प वर्षापात एवं जल चक्र के असंतुलन के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सुखाड़ की स्थिति में जल की उपलब्धता में कमी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण कालान्तर में अनाज की पैदावार में कमी हो जाती है। सुखाड़ एक मंद गति से आने वाली आपदा है, जिसका असर लम्बे समय तक देखने में आता है। सुखाड़ का सर्वाधिक कुप्रभाव कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुधन आदि पर पड़ता है।

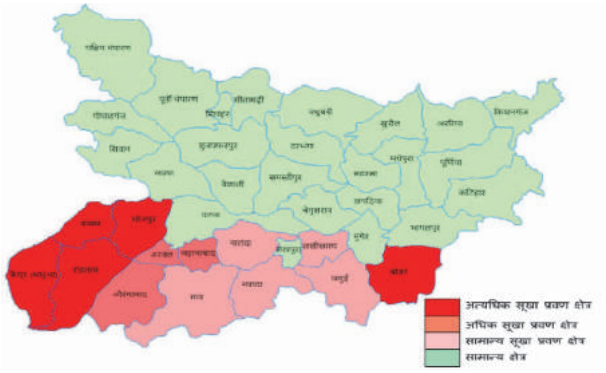


## सुखाड़ की स्थिति की रोकथाम हेतु क्या करें–

- खेतों में मेड़, चेक डैम एवं उचित स्थान पर छोटे-छोटे तालाब बनाकर वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई की जा सकती है।
- वर्षा जल की गुणवत्ता पीने योग्य सबसे उत्तम है। इसलिए विभिन्न उपाय कर वर्षा जल का संचयन करें।
- मौसम विज्ञान अथवा कृषि विभाग से वर्षा की स्थिति की जानकारी के आधार पर फसलों में आवश्यक बदलाव करें।
- स्थानीय कृषि विकास केन्द्र से संपर्क कर मिट्टी में नमी बनाये रखने के तरीके एवं आकस्मिक फसल योजना की जानकारी प्राप्त करें।
- फसलों की बुआई के पूर्व फसल बीमा करा लें।
- पेय जल के लिए पुराने चापाकलों की मरम्मती सुनिश्चित करें।
- सुखाड़ से निपटने के लिए पशुओं के लिए पर्याप्त चारा का प्रबंधन करें एवं पशु चिकित्सालय से निरंतर पशुओं की जाँच करायें।
- कृषि कार्य एवं पीने के लिए संचित जल को बेकार न बहने दें और उसे दूषित न करें।
- पशुओं को खुले धूप में ज्यादा देर तक न छोड़ें।
- कम सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों की बुआई करें।

# अध्याय 06 (घ) चक्रवाती तूफान /आँधी से बचाव की जानकारी

गर्मी के मौसम में कमोबेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वोतर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जन–जीवन कुप्रभावित हुआ था तथा जन–धन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोवेश सभी जिलों में आँधी की घटनाओं के चलते जन–धन की भी क्षति होती है।

**जब तक आँधी तूफान शांत न हो जाय, तब तक घर से बाहर न निकलें।**

**(1)** आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें।
**(2)** रेडियो और टी0वी0 पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
**(3)** पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें।
**(4)** बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है।
**(5)** घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान मे आश्रय लें।

## चक्रवाती तूफान या आँधी से बचाव हेतु ढ़ालदार छत का निर्माणः–

- वायु गति के प्रभाव से बचने के लिये, एक या दो तरफ ढाल के बदले, चारों तरफ ढलाने वाली छत बनाना चाहिए। वर्षा से दीवारों के बचाव हेतु चारों तरफ छत 18 ईंच तक लटका सकते हैं। लटके हुए कड़ी के अंतिम पर्लिन को दीवार के साथ कसकर बाँधना चाहिए।

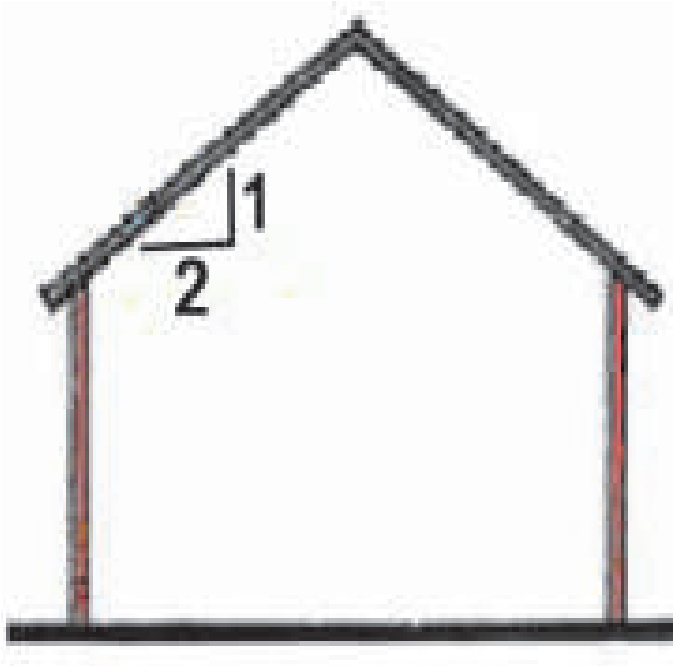


- वायु चूषण के कारण छत को ऊपर उठने के प्रभाव को कम करने के लिए, छत की ढ़ाल 2:1 (2 पड़ेः 1 खड़े) अपनाएं।

# (घ) चक्रवाती तूफान /आँधी से बचाव की जानकारी

- स्टील चादर वाली छतों की संरचना ढाँचे में बाँस की मुख्य कड़ी 600 मि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं रखी जाये। खपरैल छतों में यह 300 मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। खपरैल छतों में तार (GI Wire) से तिरछी बन्धनी लगाऐं।
- छत के जस्ती स्टील चादर (GI Sheet) को, अलकतरा वाशर एवं लोहे के वाशर के साथ, J बोल्ट के सहारे या पेंच के सहारे, छत की कड़ी (पर्लिन) से जकड़ दें।

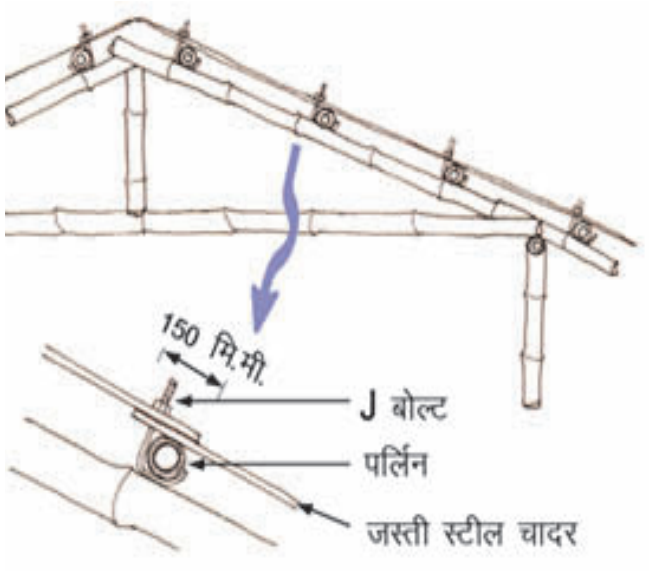


- जहाँ आँधी का प्रकोप ज्यादा हो तो U बोल्ट लगायें।
- कील पार कराकर मोड़ा जा सके। इन कीलों अथवा J बोल्टों की परस्पर दूरी 18 ईंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छत के निचले भाग के उपर स्टील की बत्ती लगाकर, J बोल्ट के सहारे सबसे निचले पर्लिन के साथ बाँध सकते हैं।

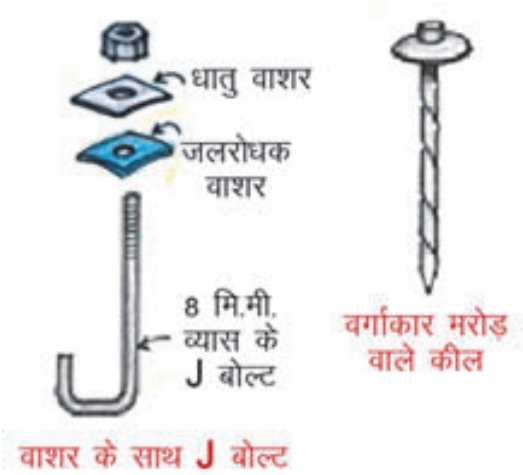


**नोटः- हलकी सामग्री से बनी छत जो दीवार के साथ सुदृढता पूर्वक न जुड़ी हों, वो उड़ सकती हैं।**

अध्याय 06

# (ड.) वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय

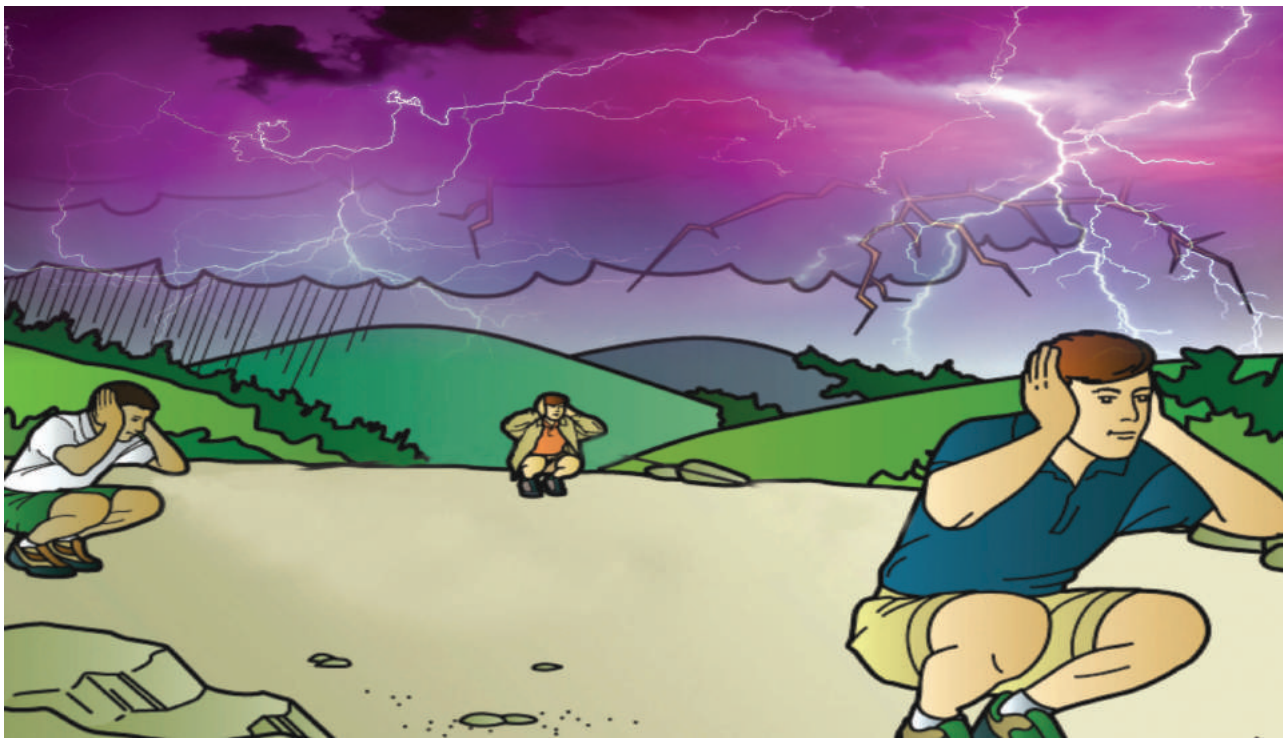

सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय प्रायः आसमान में बिजली कड़कती/चमकती है तथा आसमानी बिजली/वज्रपात/ठनका गिरने से आमजन प्रभावित होते हैं। ठनका गिरने से जन-धन को होने वाली हानि से बचाव के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें।

**क्या करें:-**

- यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएँ, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें अन्य बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनायें रखें।
- समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
- यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों की शरण में चले जायें।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
- धातु से बने कृषि यंत्र- डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- आसमानी बिजली के झटके से घायल

# (ड.) वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय

होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- स्थानीय रेडियों अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।

- **यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों तो तथा किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो –**

  (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे- लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।

  (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।

  (ग) जमीन पर कदापि न लेटें।

- ठनका के मामलें में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयाघात है। अगर जरूरी हो तो ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' **(Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)** प्रारंभ कर दें।

- ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' **(Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)** देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।

- यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।

**क्या न करें:-**

- ऊँचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।

- साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊँचे वृक्ष, ऊँची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

- पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।

- खुले आकाश में रहने को बाध्य हों तो नीचे के स्थलों को चुने। एक साथ कई आदमी इकट्ठे न हों। दो लोगों के बीच की दूरी कम-से-कम 15 फीट हो।

- यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छूएँ।

अध्याय 06

# (च) लू (गरम हवा) से बचाव के उपाय

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

## क्या करें :-

- जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार-बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मा का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढके व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे- तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक का सेवन करें।
- घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक-चीनी का घोल, छाछ, नींबू-पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौफ तथा खस को भी शामिल करें।
- जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- रात में घर में ताजी और ठंढ़ी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- स्थानीय मौसम के पूवार्नुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से

# (च) लू (गरम हवा) से बचाव के उपाय

लगातार जानकारियां लेते रहें।

- अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
- लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- ठंढे गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंढ़े पानी से नहलायें।
- शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखें आदि का प्रयोग करें।
- गर्दन, पेट एवं सिर पर बार–बार गीला तथा ठंढ़ा कपड़ा रखें।
- व्यक्ति को ओ0आर0एस0/नींबू – पानी नमक चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- लू लगे व्यक्ति की हालत में एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाये।

## क्या न करें :-

- जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- चाय, काफी जैसे– गर्म पेय तथा जर्दा तंब–ाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन न करें।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे – मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, सेवन न करें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करें या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने–पीने न दें।
- बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोडें।

# अध्याय 06 (छ) शीतलहर से बचाव के उपाय

राज्य में ठंढ के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीत लहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से0 से कम हो जाय तो इसे शीत लहर की स्थिति माना जाता है। शीत लहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**शीत लहर या ठंढ लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं:-**

**(1)** शरीर का ठंढा होना एवं इसके अंगों का सुन्न पड़ना।
**(2)** अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन।
**(3)** बार-बार जी मिचलाना या उल्टी का होना।
**(4)** अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

**क्या करें:-**

**(1)** अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।

**(2)** यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बा-हर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को

# अध्याय 06 (छ) शीतलहर से बचाव के उपाय

भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।

**(3)** समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।

**(4)** शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।

**(5)** बन्द कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुंएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।

**(6)** हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।

**(7)** राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।

**(8)** राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन-बसेरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का प्रयोग करें।

**(9)** उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।

**(10)** विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सा परामर्श लें। एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या-102 या 108 पर सम्पर्क करें।

**(11)** पशुओं के बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।

# अध्याय 06 (ज) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर सामान्य जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य

विगत कुछ सालों से हम यह महसूस कर रहें हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बृद्धि हो रही है । जिसका सीधा–2 असर आमजन के स्वास्थ्य तथा फसल उत्पादन पर पड रहा है । इसके प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है ।

## क्या करें

- देशी खादों का प्रयोग करें ।
- देशी कीटनाशक का प्रयोग करें ।
- अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ।
- कम पानी में अच्छी पैदावार देनें वाली फसलों को ही लगाएं ।
- पानी की बचत करें ।
- ग्रीन कवरेज बढाने हेतु सभी को जागरूक करें ।
- धुआँ रहित चूल्हे का प्रयोग करें ताकि वातावरण मे आक्सीजन की मात्रा बढ़े।
- कोरे कागज को दोनो तरफ लिखने हेतु प्रयोग करें ।
- एल0ई0डी बल्ब का प्रयोग करें ।
- समग्र जल स्रोत प्रबन्धन विधि जैसे– तालाब/पोखर निर्माण व साफ सफाई, आहार पाईन निर्माण तथा संरक्षण, कुओं का जीर्णोद्धार तथा उडाही करवाना ।
- बदलते जलवायु के सन्दर्भ में नये फसल के बारे में चर्चा करना ।

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के सन्दर्भ में कम पानी में उगाई जा सकने वाली वाली मुख्य फसलों के नाम जैसे– मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, तोरी, नई प्रजाति के धान तथा गेंहू की फसलों के नाम आदि । कागज या शीघ्र प्राकृतिक तरीके से सड़नेवाले पात्रों का उपयोग करें या शीशा या स्टील के गिलास का ही उपयोग करें ।

## क्या न करें

- प्लास्टिक के बोतल बन्द पेयजल का उपयोग नहीं करें ।
- प्लास्टिक/थर्मोकोल के गिलास एवं प्लेट आदि का उपयोग नहीं करें ।
- रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करे ।
- रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करें ।
- हरे पेडों की कटाई न करें ।

# अध्याय 06 (झ) आपदाओं के समय पेयजल, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं किए जाने वाले कार्य

## पेयजल

- डूबे हुए चापाकल का पानी न पीयें। यदि पीना ही पड़े तो उसे पहले उबालकर या हैलोजन की गोली का उपयोग कर उपचारित कर लें। जल शुद्धिकरण के लिए 4 एमजी प्रति लीटर की दर से हैलोजन की गोली का इस्तेमाल करें।
- प्रभावित क्षेत्र के सभी चापाकलों का ब्लीचिंग पाउडर के घोल का इस्तेमाल कर विसंक्रमण कर लें और तब उस चापाकल का पानी पीने के काम में लें।
- पानी हमेशा साफ और ढ़क्कन वाले बर्तन में रखें और उसमें से पानी निकालने के लिए साफ मग या डंडीदार टिसनी का इस्तेमाल करें।
- पेयजल स्रोत के आस-पास कीचड़ और गन्दगी न जमने दें।
- गाँव /पंचायत/वार्ड में जल एवं स्वच्छता कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण करवायें और उन्हें काम पर लगायें।
- यदि आबादी विस्थापित हो तो शरण स्थल पर तत्काल सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने की व्यवस्था करें।

## स्वच्छता

- गाँव पंचायत वार्ड में जल एवं स्वच्छता कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण करवायें और उन्हें काम पर लगायें।
- शरण स्थल पर चलंत शौचालय एवं कचड़ा गड्ढा का निर्माण
- समुदाय के बीच स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता/जन शिक्षण एवं नियमित निगरानी करवाना
- विस्थापित समुदायों की महिलाओं एवं किशोरियों के लिए अलग शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण।

- भोजन के पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोना
- घर तथा आस-पास की साफ सफाई
- शौचालय का उपयोग
- कूड़े-कचड़े एवं गोबर का सुरक्षित निपान-कचड़ा गड्ढा **(Garbage Pit)**
- बेकार पानी का सुरक्षित निपटान
- व्यक्तिगत स्वच्छता, रोज नहाना, नाखूनों, बालों एवं दांतों एवं कपड़ों की नियमित सफाई

## पोषण

- स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यदल का गठन एवं प्रशिक्षण करवाकर उसके माध्यम से बच्चों,

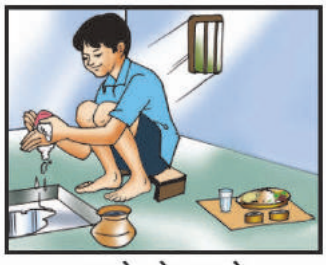

खाने से पहले

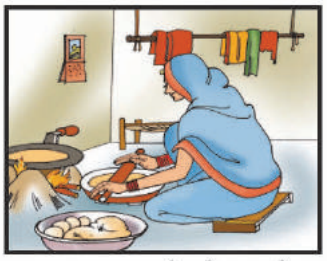

खाना पकाने से पहले

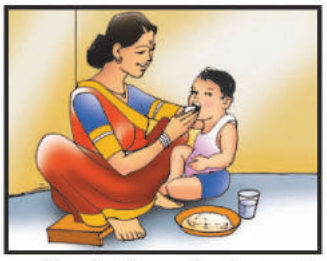

बच्चों को खिलाने से पहले

किशोरियों, गर्भवती/धात्री माताओं के पोषण सम्बन्धी जन शिक्षण का कार्य करवाना।

- बच्चों के उचित घरेलू देख-भाल के लिए माता-पिता को प्रशिक्षित करना और कार्यदल के माध्यम से यह निगरानी करवाना कि घरेलु स्तर पर भी बच्चों को सही तरीके से उचित आहार मिल रहा है।

गृह वाटिका (Kitchen Garden)- पपीता, केला, बथुआ, पालक, लाल साग, पटुआ, बंधा गोभी, गाजर, चुकंदर, धनिया एवं अन्य हरी साग-सब्जियां के माध्यम से भोजन में पौष्टिकता को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

- यह सुनिश्चित करना कि आंगनवाड़ी केंद्र का सञ्चालन सही तरीके से हो रहा है और सभी सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं।

## स्वास्थ्य

- **VHSNC** को सक्रिय करवाना।
- **VHSNC** को नियमित आयोजित करवाना।
- आपदा प्रभावित गाँव/ समुदाय/शरण स्थल में यह सुनिश्चित करवाना की कोई बच्चा या किशोरी या गर्भवती किसी टीका (**Vaccin**) से वंचित न रह जाये

ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषणसमिति (VHSNC) :
VHSNC एक ग्राम स्तरीय समिति है जो महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के मुद्दे पर सभी स्तरों पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। इसका गठन राजस्व गाँव/ वार्ड स्तर पर किया जाता है।

VHSND ग्राम पंचायत के आधीन एक उप समिति के रूप में कार्य करती है। इसमे आँगनबाड़ी सेविकाएँ, ए.एन.एम, आशा, ग्राम पंचायत की महिला सदस्य, वे माताएँ जो स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवाएँ ले रही हैं, स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं, अन्य महिला समूह तथा विभिन्न सेवा प्रदाता जैसे मनरेगा कर्मी इत्यादि सदस्य हो सकते हैं।

- आपदा प्रभावित गाँव /समुदाय/शरण स्थल में नियमित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाना
- यह सुनिश्चित करवाना कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति न बिगड़े और सभी लोग स्वास्थ्यकर व्यवहार के प्रति सचेत हैं और आचरण कर रहे हैं

## बाल सुरक्षा

- सभी बच्चों को परिवार में बड़ों की निगरानी में रखे और उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें।
- नदी, पोखरा या गड्ढे के किनारे खेलने न जाने दें।
- शरण स्थल पर बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करें और उस स्थल की समुचित निगरानी रखें।
- माता-पिता से अलग हुए बच्चों को विशेष सहानुभूति और सांत्वना की आवश्यकता होती है। उनका पंजीकरण करें और यथाशीघ्र परिवार का पता लगाकर परिवार में भेजें क्योंकि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका परिवार होता है।
- यदि परिवार का पता नहीं चल रहा हो तो सभी उपलब्ध विवरणी के साथ बच्चे को चाइल्ड लाइन को समर्पित करें।
- यह विशेष निगरानी रखे कि प्रभावित क्षेत्र या शरण स्थल में किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा कोई व्यक्ति उसे किसी तरह के प्रलोभन में तो नहीं फंसा रहा या उसके साथ अन्य कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा।

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## सर्प प्रबन्धन

सर्प प्रबंधन से अभिप्राय है–

- साँप की पहचान
- साँप को हटाना
- साँप को पकड़ना
- साँप को सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे जगह पर छोड़ना
- साँप की सुरक्षित हैण्डलिंग करना

## सर्प एवं सर्पदंश

कुछ चिन्तनीय तथ्य

- भारत में प्रतिवर्ष सर्पदंश के कारण हजारों लोगों की मृत्यु होती है। इसके पीड़ित मुख्यतः ग्रामवासी, किसान एवं मजदूर इत्यादि है।
- भारत में सर्पदंश का इलाज अभी भी ''ट्रायल एवं एरर मेथड'' स्तर पर है।
- भारत की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कार्य के लिहाज से सर्पदंश के खतरे के दायरे में आते है।
- ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सर्पदंश प्रबन्धन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है।
- भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी तक संर्पदंश उपचार के रूढ़िवादी पद्धति पर आश्रित है।

कुछ अन्य चिन्तनीय तथ्य

| देश | जहरीले सर्प | बगैर जहर वाले सर्प | सर्पदंश से वार्षिक मृत्यु |
|---|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 85% | 15% | 0 |
| अमेरिका | 65–70% | 30–35% | 09 |
| भारत | 15% | 85% | 57,000 |

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## भारत में पाये जाने वाले सापों पर एक नजर

| जहरीले सर्प | संभावित जहरीले सर्प | हल्के जहरीले साँप | बगैर जहर वाले साँप | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 61 प्रजाति | 01 प्रजाति | 42 प्रजाति | 171 | 275 |

## बगैर जहर वाले साँप

**Banded Water Snake**(

## जहरीले सापों के पाये जाने वाले जगह

जमीन पर (ताजापानी एवं एस्च्यूरीज समेत) — 42 प्रकार के

समुद्र में — 20 प्रकार के

## भारत में पाये जाने वाले चार बड़े खतरनाक जहरीले सॉप

स्पेक्टेक्ल कोबरा (नाजा नाजा)

कॉमन करैत (बंगारूज कैरूलियस)

रसैल्स वाइपर (डाबोइया रसैली)

सॉ स्केल्ड वाइपर (एचिस कारिनेटस)

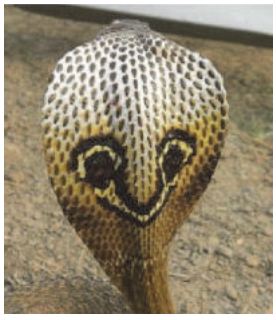

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## भारत के अन्य समान रूप से खतरनाक जहरीले सॉप

- बैन्डेड करैत (बंगारूज फैस्सियेटस)
- मोनोक्लैड कोबरा (नाजा काउथिया)
- किंग कोबरा (ओफियोफेगए हानाह)
- ब्लैक करैत (बंगारूज नाइजर)
- सी स्नैक – हाइड्रोफिस, लेटिकाउडा, केरिलिया, प्रैस्कूटाटा, एन्हाइड्रिना, लेपेमिक, एस्ट्रोटिया एवं पेलामिए
- पिट वाइपर – ट्राइमेरेसुरस, प्रोटोबोथ्राप्स, ग्लाइडियस, हाइपनेल एवं ओवेफिस

## कुछ अन्य जहरीले सॉप

मोनोक्लैड कोबरा

तथ्य

- अत्यधिक जहरीला
- वैनम न्यूरोटॉक्सक
- गुस्सैल नहीं होता

बैन्डेड करैत

तथ्य

- अत्यधिक जहरीला
- वैनम न्यूरोटॉक्सक
- गुस्सैल नहीं होता

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## किंग कोबरा

## तथ्य

- अत्यधिक जहरीला
- भारी मात्रा में जहर प्रवेश करा सकता है।
- वैनम न्यूरोटॉक्सिक
- ज्यादा गुस्सैल नहीं होता

## पिट वाइपर

पिट वाइपर जहरीले होते है पर इनका वैनम मनुष्य को मारने योग्य जहरीला नहीं होता अपवाद स्वरूप अगर कुछ एक को छोड़ दें।

## सर्पदंश

- सर्पदंश बाढ़ की स्थिति में कहीं भी किसी भी समय हो सकता है।
- बाढ़ के दौरान साँप ऊँची और सूखी जगह की तलाश में रहता है।
- भारत के बड़े चार साँप सामान्यतः मनुष्य के साथ ही रहते हुए देखे गये है एवं इसी कारण बाढ़ के दौरान ज्यादा से ज्यादा सर्पदंश की घटनाएं होती है।

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

- दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा सर्पदंश एवं सबसे ज्यादा मृत्यु के लिए जिम्मेदार साँप रसैल्स वाइपर है।
- इस कम में दूसरा स्थान स्पैक्टेक्लैड कोबरा का है।
- नींद के दौरान सबसे ज्यादा सर्पदंश का अंदेशा कामन करैत से है।

## साँप किस प्रकार काटता है?

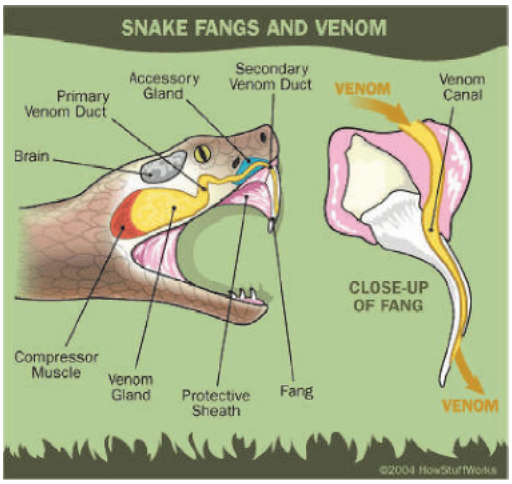


## पता चलने वाले लक्षण

### स्पैक्टेक्लैड कोबरा

### लक्षण

- काटे गए जगह पर दर्द
- नींद आना
- साँस लेने में परेशानी
- धँसी हुई पलकें(Drooping eyelids)
- नेक्रोसिस (शरीर से कोशिकाओं की मृत्यु)
- पक्षाघात
- मुँह पर झाग का आना
- निगलने में परेशानी

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## कामन करैत

## लक्षण

- नींद आना
- साँस लेने में परेशानी
- पेट में अत्यधिक दर्द
- धॅसी हुई पलकें (Drooping eyelids)
- निगलने में परेशानी
- पक्षाघात
- जी मिचलाना

## रसैल्स वाइपर

## लक्षण

- काटे गए जगह पर जलन के साथ दर्द
- पीठ के निचले हिस्से एवं लोइन (Loin) पसली के कमर के हड्डी के बीच की जगह) में दर्द।
- हेमोरेज के कारण भारी मात्रा में बाहरी एवं भीतरी खून का निकलना।
- काटे गये स्थान पर तेजी से सूजन।
- कभी–कभी चजवेपे (पलकों का बोझिल होना) नजर आता है।
- अत्यधिक नेकोसिस
- रेनल फेल्योर (किडनी का काम करना बंद कर देना)

## सा स्केल्ड वाइपर

## लक्षण

- काटे गये स्थान पर जलन एवं दर्द ।
- पीठ के निचले भाग एवं लोइन (पसली एवं कमर के हड्डी के बीच वाली जगह) पर दर्द ।
- हेमोरेज के कारण आन्तरिक कोशिकाओं एवं बाह्य कोशिकाओं में रक्तस्राव ।
- अत्यधिक इन्फलेमेशन ।
- काटे गये स्थान पर तेजी से जलन।
- अत्यधिक नेकोसिस।

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## जहरीले एवं वगैर जहरवाले सॉप

| | जहरीले सॉप | वगैर जहरवाले सॉप |
|---|---|---|
| सिर | त्रिकोण – अपवाद कोबरा | गोलाकार |
| सिर के सल्क | छोटा | बडा |
| बेली स्केल | फैला हुआ | छोटा पुरी चौडाई तक नही फैलता |
| फैंग (विषदंत) | उपस्थित | अनुपस्थित |
| पुतलियॉ | इलिप्टिकल पुतली | गोलाकार |
| एनल प्लेट | एक लाइन वाली प्लेट | दो लाइन वाली प्लेट |
| सॉप के आंख एवं नथुनों के बीच पिट या छेद | पिट वाइपर में उपस्थित | अनुपस्थित |
| बाइट का निशान | दंश का निशान | छोटे दॉतों की लाइन |

## जहरीले एवं वगैर जहरवाले सॉप

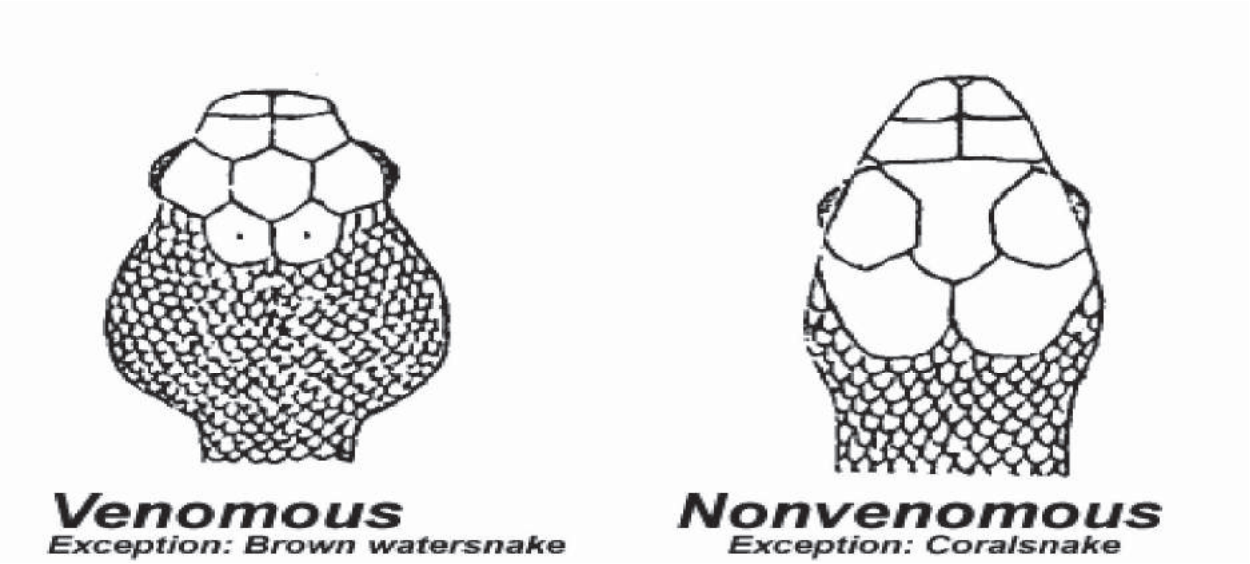

## जहरीले एवं वगैर जहरवाले सॉप

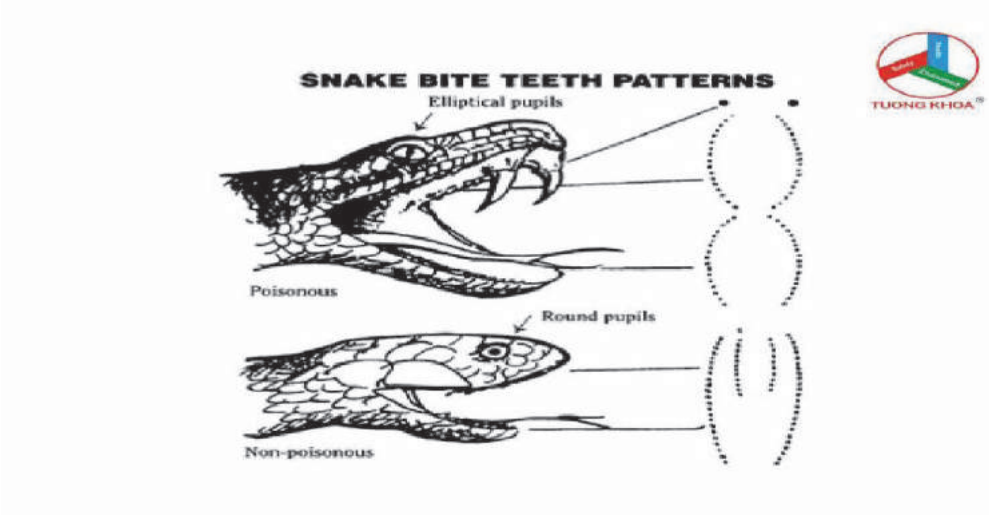


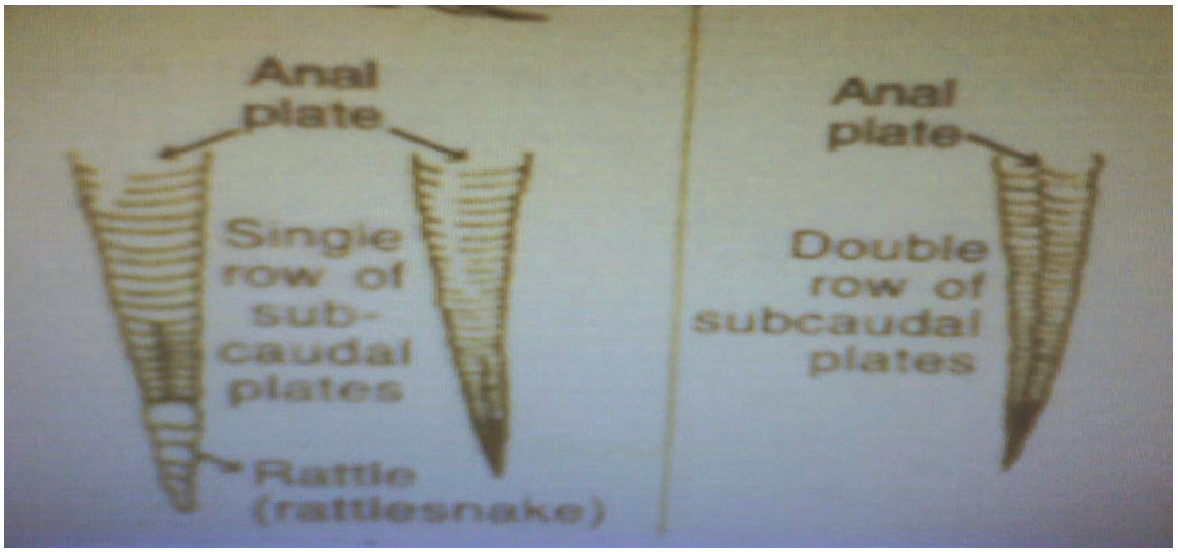

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

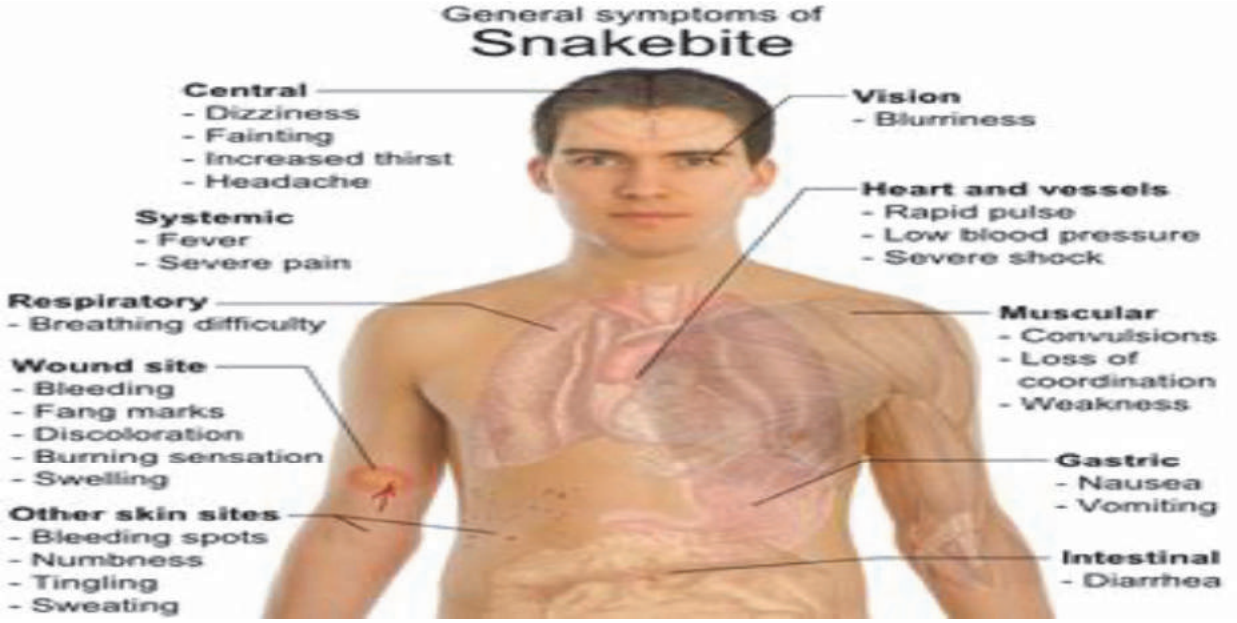


## सर्पदंश प्रबंधन

- भय एवं चिन्ता न करें–सभी साँप जहरीले नहीं होते।
- सभी जहरीले साँपों के पास हर समय पूरा जहर नहीं होता अगर पूरा जहर हो तो भी वो इसका लिथल डोज हमेशा नहीं प्रवेश कराते है।
- जॉच करें कि जहरीले या बिना जहर वाले साँप ने काटा है। फिर भी वगैर जहर के कहे जाने वाले साँप भी व्यक्ति विशेष के संकमित होने या एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकते है।
- अगर मरीज लेटा हुआ है तो काटे गये अंग को शरीर के लेवल पर रखने की कोशिश करे। अंग को ऊपर उठाने से जहर शरीर में जा सकता है, शरीर के लेवल स नीचे रखने पर सूजन बढ़ सकती है।
- जितनी जल्दी हो सके नजदीकी अस्पताल या चिकित्सीय स्थान पर पहूँचने की कोशिश करें।
- अगर संभव हो तो साँप की पहचान करें या उसे मार दें एवं साँप को साथ अस्पताल ले जाए।

अध्याय 06

# (ण) सर्प दंश से सुरक्षा एवं बचाव

## सर्पदंश प्रबंधन

| तुरन्त क्या करें ? | क्या न करें? |
|---|---|
| • काटे गये जगह को साबून पानी से घोए।<br>• काटे गये जगह को स्थिर करके रखे ।<br>• चिकित्सीय सहायता ले। | • बर्फ अथवा अन्य ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल काटे गये सीन पर न करें। अनुसंधान के अनुसार यह खतरनाक हो सकता है।<br>• टुर्निकेट न बाँधे। इससे संबंधित अंग में रक्त प्रवाह पूरी तरह रूक सकता है एवं संबंधित अंग की क्षति हो सकती है।<br>• बिजली का झटका न दें । यह अभी भी अनुसंधान के अन्तर्गत है एवं इसके कारण मरीज को नुकसान पहूँच सकता है।<br>• काटे गये स्थल पर चीरा न लगाए। इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी है एवं यह आगे नुकसान पहूँचाता है। |

## सांप पकड़ने का महत्वपूर्ण उपकरण

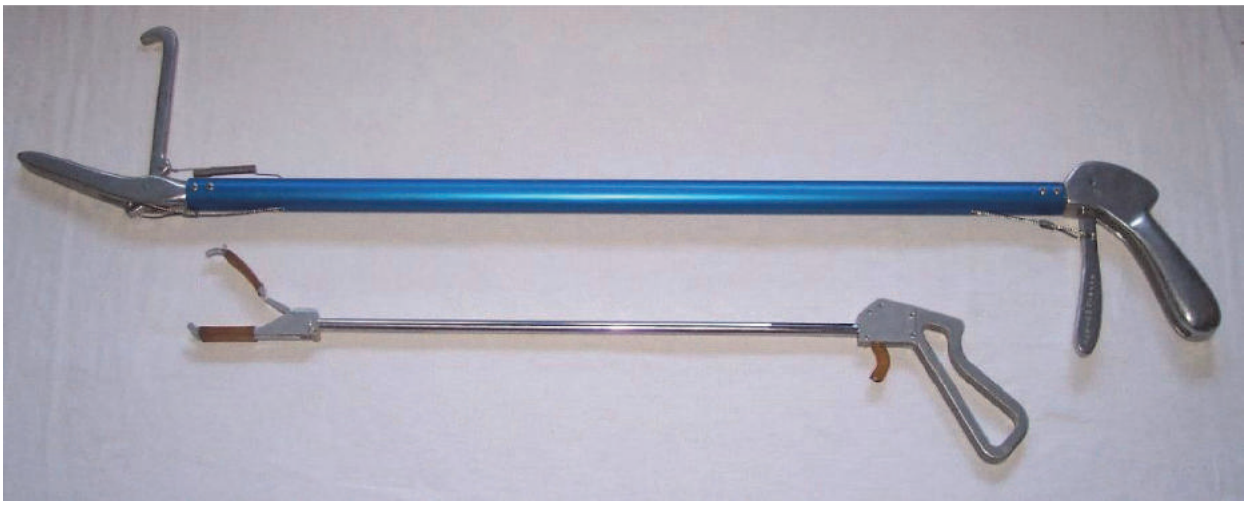

अध्याय 07

# (क) नाव दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों में नाव डूबने की दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियाँ चली जाती है। जिन्हें रोका जा सकता है, अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर लें।

- जिस नाव पर लदान क्षमता दशार्ते हुए सफेद पट्टी का निशान एवं पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव चलने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दशार्ने वाला सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जायें।
- किसी भी स्थिति में ओभर लोडेड नाव पर न बैठें।
- जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों, उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठे व उतरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निदेर्शानुसार उतरें व चढ़ें।

# अध्याय 07 (क) नाव दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी उपाय

- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दवाब न डालें।

## नाविक एवं नाव मालिकों के लिए सलाह :-

- जब तेज हवा/खराब मौसम/आंधी/बारिश हो रही हो तो नाविक या नाव मालिक नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों की सवारी बैठती हो तो उस नाव पर दो नाविक होना अनिवार्य हैं तथा 30 से उपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर तीन नाविक का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठाएँ।
- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रहा हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव मे आवश्यक बर्तन रखें तथा लाइफ जैकेट/बांस, हवा भरी ट्यूब इत्यादि को उचित स्थान पर रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि अति आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ ही नाव का चालन करें।
- मानसून के मौसम में सूर्योदय के पूर्व एवं शाम 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

# अध्याय 07 (ख) पानी में डूबने से सुरक्षा एवं उपाय

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों/तालाबों में स्नान करने, कपड़ा एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर/किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:-

**क्या न करें:-**

☯ खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।

**क्या करें:-**

**(1)** बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।

**(2)** बच्चों को पुल/पुलिया/उंचे टीलों से पानी में कूद कर पानी में स्नान करने से रोकें।

**(3)** नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।

**(4)** डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए शोर मचायें।

**(5)** गांव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दु:खद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

**डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें:-**

(क) सबसे पहले देख लें, यदि डूबे हुए व्यक्ति के मुंह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।

(ख) नाक और मुंह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।

(ग) नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।

(घ) नब्ज व सांस का पता नही चलने पर डूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3-4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।

# (ख) पानी में डूबने से सुरक्षा एवं उपाय

(ड़) प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने/सांस ले सकने की स्थिति में हैं तो उसे ऐसा करने के लिए प्रात्साहित करें।

(च) यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।

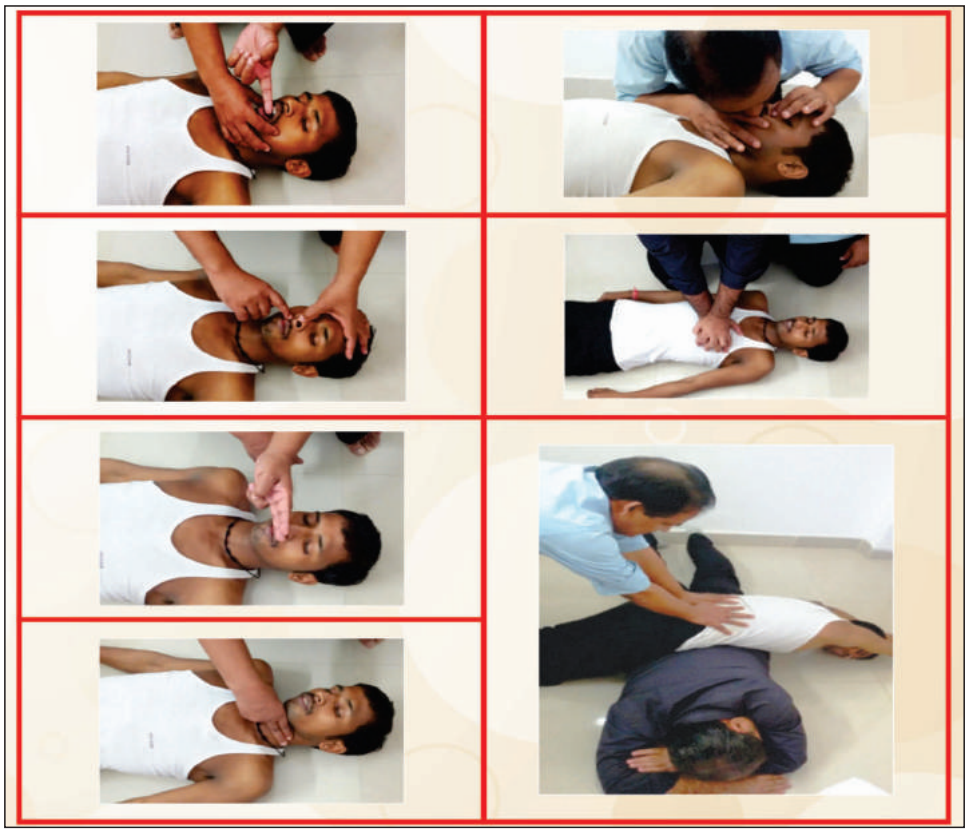

(छ) उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचायें गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।

(ज) डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।

(झ) डूबे हुए व्यक्ति के पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा जैसा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे-धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।

(ट) डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।

(ठ) मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।

(ड) उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गये व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।

अध्याय 07

# (ग) सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय

**90 प्रतिशत सड़क हादसों का कारण तेज गति से वाहन चालन है।**

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में होती हैं। नई–नई सड़कों के निर्माण एवं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते और थोड़ी सावधानी बरत कर एवं सजग होकर हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते है–

## सड़क दुर्धटनाओ के कारण

- सडकों की खराब अवस्था
- सुरक्षा नियमों की अवहेलना
- वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग
- मद्यपान कर वाहन चलाना
- ओवरलोडिंग (गाडियों में आवश्यकता से अधिक लोगो को बैठाना)
- वाहन चलाते वक्त हड़बडी/जल्दबाजी में रहना
- बेतरतीब गाड़ी चलाना
- दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेमलेट का प्रयोग न करना

## निम्नलिखित नियमों का पालन करें

### सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कैसे करें?

**पीड़ित के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता**

**संकटपूर्ण चार मिनट**–किसी भी सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रूकना होता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण वायु मार्ग का अवरूद्ध होना है।

**इन्हें याद रखें और अमल में लायें:**

1. स्थल को सुरक्षित बनाएं 2. घायल तथा बेहोश अथवा पीड़ित व्यक्ति को खोजें
3. उनकी सहायता करें और 4. औरों को भी मदद के लिए बुलाएं

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज की प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे पहले सुनिश्चित करें कि **श्वास में अवरोध (ऑक्सीजन न मिलना), हृदय की गति का एकदम से रूकना, तीव्र रक्तस्त्राव** और **अन्य चोटें / बीमारियाँ** तो नहीं है। यदि इसमें से कुछ भी है तो;

**ए बी सी के नियम का अनुसरण करें**

**ए. एयरवे यानी वायु मार्ग**–वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें

**बी. ब्रीदिंग यानी सांस लेना**–मुँह से मुँह में सांस छोड़कर (प्राणवायु), संचार में मदद करें

**सी. सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार**–खून बहने को रोकें

# अध्याय 07 (ग) सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय

- सड़क पार करते समय पहले दायें, फिर बायें फिर दायें देख कर ही सड़क पार करें।
- जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- वाहन हमेशा सड़क के बायीं ओर और निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक एवं यात्री हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
- नशे की हालत में गाड़ी कभी न चलायें।
- ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- गाड़ी दाये और बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत अवश्य दें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का ईलाज सबसे पहले करें इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- किसी भी गाड़ी से उतरते समय गाड़ी को किनारे कर के हमेशा बायीं तरफ से हीं उतरे ।
- दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें।
- सड़क के बायें चलें एवं सभी सड़क चिह्नों का अनुपालन करें।
- सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी बरतें।
- गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें इससे दुर्घटना हो सकती है।
- गंतव्य की दूरी एवं ट्रैफिक के हिसाब से समय लेकर चलें ताकि कभी भी जरूरत से अधिक गति में चलाने की आवश्यकता न पड़े।
- गाड़ी चलाते समय शांत दिमाग से एवं धैर्यपूर्वक चलायें।
- रेल फाटक पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।

# अध्याय 07 (घ) अगलगी की रोकथाम के उपाय

बिहार में प्रत्येक वर्ष अगलगी की अनेक घटनायें घटती हैं। माह मार्च से जून तक के महीनों में मौनसून के आगमन पूर्व भीषण गर्मी पड़ती है, इस समय पछुआ हवा का प्रकोप भी बढ़ जाता है, अगलगी से हमारे घरों, खेत खलियानों एवं जान-माल की व्यापक क्षति होती है। हालांकि राज्य के सभी 38 जिले अगलगी-प्रवण हैं, परंतु बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के **12 जिलों यथा औरंगाबाद, गया, रोहतास,नालंदा, बेगूसराय, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, पू0 चंपारण, प0 चंपारण तथा मधुबनी** को अगलगी की दृष्टि से **Hot-spot** जिले घोषित किया है जहाँ अगलगी की ज्यादा घटनाएँ गत वर्षों में घटित हुई हैं

## अगलगी के प्रमुख कारण

**(I)** मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी/गोइंठे से खाना बनाने के समय लापरवाही/खाना बन जाने के बाद चूल्हे की आग को न बुझाना।

**(II)** खाना बनाते समय साड़ी का आँचल या दुप्पट्टे का खयाल नहीं रखने से उनमें आग पकड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। नाइलॉन या सिंथेटिक कपड़े ज्वलनशील होते हैं आग पकड़ने पर पिघल कर शरीर से चिपक जाते हैं।

**(III)** चूल्हे के पास अधिक जलावन रखना।

**(IV)** घरों में ढिबरी के इस्तेमाल में लापरवाही।

**(V)** जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बंता है, वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/ लीक होना।

**(VI)** स्टोव में क्षमता से अधिक तेल भरना।

**(VII)** बरसात के मौसम में जलावन गीला रहने के कारण खाना बनाने के बाद लकड़ी को सुखाने हेतु चूल्हे पर छोड़ देना।

**(VIII)** मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाये ही छोड़ देना।

**(IX)** पेड़ों, खेतों अथवा घरों की छतों से होकर गुजरते बिजली के कमजोर तारों के तेज हवा में टूटना।

**(X)** बिजली का शॉर्ट सर्किट होना।

**(XI)** बिजली के उपकरणों के उपयोग में अस-

# (घ) अगलगी की रोकथाम के उपाय

ावधानी।

**(XII)** बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।

**(XIII)** गेहूँ की दौनी के समय थ्रेशेर से निकली चिंगारी के कारण खलिहान में आग का लगना।

**(XIV)** गेहूँ की कच्ची बाली एवं खेसारी की छेमी को आग पर (बच्चों ग्रामीणों द्वारा) खेत के पास ही भूनना।

**(XV)** गेहूँ कट जाने के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।

**(XVI)** शादियों में पटाखों के इस्तेमाल में लापरवाही।

**(XVII)** अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।

**(XVIII)** बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाये यत्र-तत्र फेक देना।

**(XVIII)** पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।

## अगलगी की रोकथाम के उपाय/ बचाव हेतु उपायः-

### भोजन बनाते समय

**(I)** दिन का खाना सुबह 9 बजे से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाए।

**(II)** कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगाएं।

**(III)** हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।

**(IV)** भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें ।

**(V)** रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगाएं।

**(VI)** रसोईघर की छत ऊँची रखी जाए।

**(VII)** जहाँ पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखें।

**(VIII)** खाना खाने के समय ढीले-ढाले और पा- ॅलियस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, सिर्फ सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।

### घर के अंदर एवं बाहरः-

**(IX)** आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।

**(X)** दीपक, लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।

**(XI)** शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।

**(XII)** जहाँ कहीं लूज तार दिखे, उसकी सूचना तुरंत ऊर्जा विभाग/ संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें।

**(XIII)** जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर न फेकें।

**(XIV)** सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें

**(XV)** ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हारा गेहूँ, खेसारी, छिमी लाकर भूनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपे निगरानी रखें।

**(XVI)** मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।

# अध्याय 07 (घ) अगलगी की रोकथाम के उपाय

## आग लग जाने की स्थिति में क्या करें:-

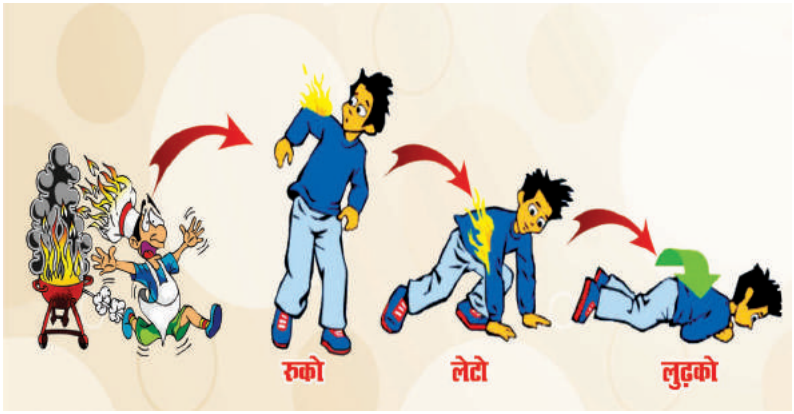


**(I)** आग लग जाने से यदि भवन के अंदर धुआं भर जाए तो घुटन से बचने के लिए नीचे झुक कर या रेंगते हुए बाहर निकलें।

**(II)** अगर आग अनियंत्रित हो जाए तो पीड़ित व्यक्ति को कंबल से आग बुझने तक लपेटे रखें।

**(III)** आग से जले भाग पर पानी उड़ेलें, बर्फ नहीं और तबतक पानी उड़ेलते रहें जबतक कि जलन में कमी ना आ जाए।

**(IV)** अगर हाथ या पैर कि अंगुली जल जाए तो सूखे एवं बिना चिपकने वाली चीजों से अलग-अलग करके ड्रेसिंग कर दें।

**(V)** अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर आग बुझाने का प्रयास करें।

**(VI)** यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति बिना कोई रुकावट के साँस लें और अगर साँस रुक गई है तो कृत्रिम स्वांस दें।

**(VII)** जले भाग को हमेशा ऊँचा रखें तथा किसी प्रकार का दबाव न डालें।

## जन प्रतिनिधि की भूमिका

**(I)** पंचायत में उपलब्ध संचार माध्यमों / मंदिरों / मस्जिदों आदि का अगलगी पर जन जागरूकता हेतु उपयोग करना एवं सभी का सहयोग प्राप्त करना।

**(II)** गाँव स्तर पर अगलगी पर सोशल ऑडिट में पंचायतों की मदद करना ताकि अगलगी के कारणों का पता चल सके।

**(III)** ग्राम कचहरी द्वारा आग से बचाव हेतु नोटिस जारी करें।

**(IV)** ग्राम स्तर पर बैठक करके अगलगी एवं बचाव उपायों को ग्राम के सभी निवासियों को अवगत कराएं।

**(V)** जलस्त्रोतों/पंपिंग सेट/बोरिंग को तैयार हालत में रखने हेतु समुदाय को प्रेरित करना ताकि अगलगी होने पर पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके।

**आग लगने पर तुरंत टोल फ्री नं. 101 पर फोन करें अथवा अग्नि शामक कार्यालय को संपर्क करें**

# अध्याय 07 (ड.) भगदड़ /भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय

बिहार में दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ, श्रावणी मेला, मुहर्रम में ताजिया निकलने के दौरान, प्रकाश पर्व तथा अन्य असंगठित समारोह एवं सम्मेलन के अवसर पर कई स्थानों पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, जिससे भगदड़ होने की संभावना हो सकती है। भगदड़ के दौरान ज्यादातर मरने वाले बच्चे एवं महिलाएँ होती हैं। अतः भीड़ को सही तरीके से नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन करना प्रशासन के लिए चुनौती भरा काम हो जाता है। परंतु यदि हम सभी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें तथा भीड़ प्रबंधन हेतु प्रशासन के निदेशों का पालन करें हम निर्विघ्न इन महापर्वों का आनंद ले सकते हैं ।

## भीड़-भाड़ वाले स्थानों में निम्न बातों का ध्यान रखें

**(1)** भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे धार्मिक पूजा स्थल, मेले, उत्सवों आदि में सावधान रहें व अनुशासिक तरीके से चलें।

**(2)** यदि संभव हो तो बच्चों, बुजुर्गों व विकलांगों को अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ना ले जायें।

**(3)** महिलाओं और बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नंबर अवश्य रखें ।

**(4)** प्रशासन एवं स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण में पूर्ण सहयोग दें।

**(5)** बेवजह शोर ना मचाएँ, अफवाएं ना फैलायें और साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें।

**(6)** जल्दबाजी न करें। यदि आगे चलता हुआ कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उ-सकी सहायता करें ।

**(7)** निर्धारित मार्गों पर ही चलें और रास्ते में लगे सांकेतिक चिन्हों का ध्यान रखें ।

# अध्याय 07 (ड.) भगदड़ /भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय

**(8)** किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों/ स्वयंसेवकों की मदद लें ।

## भगदड़ की स्थिति में क्या करें:-

**(1)** स्थिति सामान्य होने पर घायल व्यक्तियों को रास्ते से उठाकर पास के सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उ-नकी सहायता करें ।

**(2)** घायलों के इर्द-गिर्द भीड़ न इक-ट्ठी होने दें व हवा आने दें, क्योंकि भगदड़ में अधिकतर लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं ।

**(3)** पुलिस व राहत कर्मियों को उनके कार्य में सहयोग करें।

**(4)** अफवाहें न फैलाएन और न उन पर ध्यान दें।

## दशहरा, दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों, दशहरा मेला एवं रावण-वध के अवसर पर सुरक्षा हेतु जरूरी सलाह:-

**(1)** पूजा पंडालों/मेलों में चलते-फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएं ।

**(2)** यदि आप छोटे बच्चों को छट पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं, तो उनकी जेबों में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन नंबर अवश्य रख दे।

**(3)** यदि आप परिवार या समूह के साथ हैं तो किसी आपात स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नंबर साथ रखें।

# अध्याय 07 (ड.) भगदड़ /भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा के उपाय

**(4)** किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें।

**(5)** अपने बहुमूल्य समानों की रक्षा स्वयं करें।

**(6)** बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें ।

**(7)** प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उ-सके अनुसार व्यवहार करें।

**(8)** किसी प्रकार की अफवाहें न फैलाएन और न उन पर ध्यान दें।

**(9)** मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़े न ही उन्हें इधर-उधर जाने दें ।

**(10)** दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले के भीतर न जायें।

**(11)** मेले में किसी भी प्रकार के पटाखे/ ज्वलनशील पदार्थ न ले जायें तथा धूम्रपान न करें ।

**(12)** मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलायें।

## छठ पर्व के दौरान क्या करें:-

**(1)** छठ पर्व के दौरान घाटों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें ।

**(2)** यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं, तो उनकी जेबों में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन नंबर अवश्य रख दें ।

**(3)** बैरिकेडिंग को न पार करें और खतर-नाक घाटों की ओर या घहरे पानी में ना जायें ।

**(4)** छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आ-तिशबाजी न करें ।

**(5)** किसी भी प्रकार की गंदगी न फैल-ाएं।

**(6)** अफवाहें न फैलाएन और न उन पर ध्यान दें ।

**(7)** अगर आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करके बात करें।

## सुरक्षित दीपावली पूजा हेतु सलाहः-

**(I)** दीपावली ज्योति पर्व है इसलिए पटाखें न जलायें।

**(II)** यदि बहुत आवश्यकता हो तो कम ध्वनि एवं कम ज्वलनशील पटाखें ही जलायें।

**(III)** आधे जले या न जल सके पटाखे को पुनः जलाने का प्रयास न करें।

**(IV)** हवा में उड़ने वाले पटाखों को जलाने से परहेज करें ।

**(V)** पटाखों को शरीर से दूर रखकर जलायें।

**(VI)** घर के अंदर पटाखें न जलायें।

**(VII)** पटाखें जलाते समय बच्चों पर नजर रखें ।

**(VIII)** पटाखें जलाते समय ढीले या सिंथेटिक कपड़े न पहनें ।

**(IX)** चक्री/अनार को समतल जमीन पर ही जलाएं ।

**(X)** पटाखें जलाते समय पास में पानी से भरी बाल्टी रखें ।

**(XI)** आँख में जलन होने पर आँखों को पानी से धोयें व चिकित्सक को दिखायें।

**(XII)** जले हुए पटाखों को पानी की बाल्टी में डाल दें ।

## प्राथमिक उपचार की विधिः-

**(I)** सर्वप्रथम घायल व जले हुए व्यक्ति को अग्निवाले स्थान से हटायें ।

**(II)** अगर जलने के बाद दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है हालत गंभीर नहीं है।

**(III)** ऐसे में जले हुए हिस्से को पानी की धार के नीचे रखें ।

**(IV)** जले हुए भाग पर राख, मिट्टी, पा-ऊडर, बटर, ग्रीस तथा कोई अन्य पदार्थ न डालें ।

**(V)** जले हुए भाग को साफ सूती कपड़ों से ढक दिया जाए।

**(VI)** प्राथमिक उपचार के बाद अथवा अधिक जल जाने की स्थिति में पीड़ित को नजदीकी अस्पताल में दिखायें।

# अध्याय 08 स्वस्थ रहने के कुछ उपाय- 'दस का दम, स्वस्थ रहेंगे हम'

## दस का दम स्वस्थ रहेंगे हम!

1 लड़कियों की शिक्षा कम से कम 12वीं तक एवं शादी 18 के बाद ही

2 गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्यकर्मी द्वारा समुचित जाँच

3 जन्म के एक घंटे के अन्दर स्तनपान की शुरूआत और छः महीने तक सिर्फ माँ का दूध, ऊपरी खाना छः महीने के बाद

4 बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण समय पर बिना चूके

5 बेटी-बेटा एक समान/बच्चे दो ही अच्छे/बच्चों के बीच तीन साल का अन्तर

6 बच्चों के दस्त के इलाज के लिए ओ.आर.एस. और ज़िंक का प्रयोग

7 कमजोरी एवं खून की कमी से बचने के लिए हरी साग-सब्जियाँ, फल और देसी आहार

8 खाने और खिलाने के पहले एवं शौच के बाद साबुन या ताजा राख से हाथ धोना

9 शौच सिर्फ शौचालय में,गंदे पानी एवं कूड़े-कचरे का सही जगह पर निपटान, मच्छरों से बचाव

10 नियमित योग व्यायाम,स्वास्थ्य परीक्षण एवं नशा से परहेज

अध्याय 08

# सरकार द्वारा निर्धारित सहाय्य मानदर एवं प्रक्रियाएं

## सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर संबंधी आदेश निम्न हैं-

**(I)** वर्ष 2015-2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी साहाय्य मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-1973, दिनांक 26.05.2015 द्वारा निर्गत।

**(II)** अनाज के बदले नगद राशि रू. 3,000/- भुगतान से संबंधी आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1432, दिनांक 04.04.2016

**(III)** फसल क्षति होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी एवं गृहक्षति अनुदान के वितरण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1602, दिनांक 02.05.2015

**(IV)** शीतलहर, ओलावृष्टि, आंधी एवं वर्षा से हुए फसल क्षति के आलोक में प्रभावित कृषकों के बीच कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1498, दिनांक-24.09.2015।

**(V)** भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक-52, दिनांक 26.05.2012

**(VI)** अग्निकांड के मद्देनजर प्रभावितों को सभी अनुदान मदों में राशि उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1659, दिनांक 25.04.2016

**प्रक्रियाएं:-**

**(VII)** साहाय्य वितरण हेतु निगरानी-स-ह-अनुश्रवण समिति गठन संबंधी आपदा प्रबंधन विभाग का परिपत्र संख्या-2262, दिनांक 26.07.2007

अध्याय 08

# प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

**(I)** प्रशिक्षक प्रतिभागियों को 4-5 अथवा अधिक समूहों में विभक्त करेंगे। प्रत्येक समूह को चर्चा हेतु विषय दिए जाएंगे तथा प्रत्येक समूह चर्चा के उपरान्त अपना प्रस्तुतीकरण देंगे।

**(II)** समूह चर्चा का उद्देश्य है: आपदा प्रबंधन संबंधी पारंपरिक ज्ञान को साझा करना, प्रतिभागियों में अब तक बताए गए विषयों की जानकारी का पता लगाना, उनमें सामूहिक रुप से कार्य करने की क्षमता बढ़ाना तथा सामूहिक नेतृत्व की भावना पैदा करना।

# प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006.....52 (प्र0)..... / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–26.05.12

**विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।**

महाशय,

ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की घटनायें होती रहती है। अग्निकांड की छिटपुट घटनायें होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को निर्धारित मानदर के अनुरूप सहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु भीषण अग्निकांडों, जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियां/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जानमाल की गंभीर क्षति होती है, से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अतएव जिला पदाधिकारी भीषण अग्निकांडों में आवश्यकतानुसार विशेष राहत केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं। यह विशेष राहत केन्द्र कम अवधि के लिए चलाए जायेंगे जिसका निर्धारण स्थिति विशेष के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार अनुदान का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित करेंगे। मुफ्त साहाय्य एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार अपने अस्थायी आवासन की व्यवस्था कर लें। तब विशेष कैम्प की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे राहत केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :–

1. **कैम्प कार्यालय** – कैम्प कार्यालय खोलकर प्रभावित परिवारों का पंजीयन कर लिया जाय जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाय। इस कार्य हेतु हल्का कर्मचारी। पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की सेवा ली जा सकती है
2. **आवासन**– घटना स्थल के समीप किसी सरकारी पक्का मकान यथा विद्यालय भवन /सामुदायिक भवन/आंगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत भवन आदि के परिसर में अथवा टेन्टों में प्रभावित परिवारों को आवासित किया जाय। यदि टेन्ट उपलब्ध न हों तो आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित गति से सूचित किया जाए ताकि अन्य जिलों में उपलब्ध टेन्ट उक्त जिले में भेजवाए जाए।

3. **भोजन**– प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह –शाम) मुहैया कराया जाना है। इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी एवं ईंधन की आवश्यकता होगी। यह प्रयास रहे कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने का कार्य यथा संभव स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के माध्यम से कराया जाय।

   भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी । कैम्प में आये हुए विस्थापित महिलाओं/पुरूषों की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए।

   **इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।**

4. **दरी /चटाई**– विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
5. **वस्त्र एवं बर्त्तन** – विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक–27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का कय कर सके।
6. **बच्चों के लिए दूध**– पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह–शाम) आवश्कतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा।
7. **रोशनी**– कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।
8. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता**– पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर, फेनाईल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।
9. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा**– कैम्प में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। नये संशोधित मानदर के अनुसार चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा दिया जाना है।
10. **सुरक्षा व्यवस्था**– अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायेगी।
11. **संचार सुविधा**– आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
12. **मानदर**– कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:–

| | |
|---|---|
| 1. पका हुआ भोजन | (क) दो वक्त (सुबह–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा। |
| | (ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए, चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा। |
| | (ग) चावल प्रति व्यस्क–500 ग्राम, प्रति अवस्क–200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा। |
| | (घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा। |
| | (ड़) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से। |
| | (च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से। |
| | (छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा। |
| | (ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। |
| 2. रोशनी | (क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था । |
| | (ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारिण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। |
| | (ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा। |
| | (घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 3. दरी/चादर | इसकी व्यवस्था सरकारी संख्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे। |

| | |
|---|---|
| 4. बच्चों के लिए दुग्ध | (क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा। |
| | (ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 5. वस्त्र / बर्त्तन | (क) विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक– 27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का क्रय कर सके। |
| 6. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता | इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। |
| 7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM मद से की जायेगी। |
| 8. संचार | शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमान्य होगा। |
| 9. कैम्प व्यवस्था | परिवहन तथा आकस्मिक व्यय–यथा आवश्यकता। |

13. **लेखा/पंजियों का संधारण–** कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियों संधारित की जाएगी।

(क) लेखा संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग

से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ध) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगाः–

| क्र0सं0 | मद | शीर्ष |
|---|---|---|
| 1 | भोजन सामग्री | 2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति |
| 2 | दरी/चटाई एवं रोशनी | 2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण |
| 3 | वस्त्र एवं बर्त्तन | 2245–02–101–0007– क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान |
| 4 | बच्चों के लिए दूध | 2245–02–800–0006–कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार |
| 5 | पेयजल | 2245–02–102–0001–पेयजल की आपूर्ति |
| 6 | अस्थायी शौचालय | 2245–02–109–0001–खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना |
| 7 | संचार सुविधा | 2245–02–112–0004–संचार उपकरणों का क्रय |

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ । अनुरोध है कि इसे माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अभिज्ञान में लाया जाए।

प्रधान सचिव

पत्रांक .....1498...../आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 24/4/15

विषयः **माह फरवरी–मार्च 2015 में शीतलहर, ओलावृष्टि, आंधी एवं वर्षा से हुए फसल क्षति के आलोक में प्रभावित कृषकों के बीच कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से आपके जिले माह फरवरी–मार्च 2015 में शीतलहर, ओलावृष्टि, आंधी एवं वर्षा से हुए फसल क्षति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में कृषि विभाग को तत्काल 16.08 करोड़ रूपये आवंटित किया जा चुका है। कृषि विभाग द्वारा यह राशि शीघ्र ही आपको उपआवंटित कर दी जाएगी। शेष राशि कृषि विभाग को पूर्व आवंटित राशि का 75% व्यय होने पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि इनपुट अनुदान का वितरण पंचायत स्तर पर गठित निगरानी–सह–अनुश्रवण समिति के समक्ष कैम्प आयोजित कर RTGS/ चेक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर किया जाएगा। लाभुको की सूची जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि कृषि इनपुट अनुदान के वितरण के पूर्व इसकी सभी तैयारी समुचित रूप से कर ली जाए।

विश्वासभाजन
24/4/15
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

पत्रांक–1/प्रा0आ0–13/2015 ....1602........./आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–2/5/15

विषय– **RTGS/NEFT के माध्यम से कृषि इनपुट की सब्सिडी एवं गृह क्षति अनुदान के वितरण करने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि चक्रवातीय तूफान/ओलापात एवं भूकम्प के फलस्वरूप जानमाल के साथ–साथ कच्चे–पक्के मकानों एवं फसलों की काफी क्षति हुई है। प्रभावित परिवारों एवं संबंधित कृषकों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) से निर्धारित मानदर के अनुसार गृहक्षति अनुदान तथा कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराया जा रहा है। गृहक्षति अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement)/ NEFT (National Electronics Funds Transfer) से किया जाना है।

RTGS/NEFT के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी एवं गृह क्षति अनुदान के वितरण करने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् रूप से किया जाता है :

**I. कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण**

i. सर्वप्रथम राजस्व तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मी (Field functionaries) **सर्वेक्षण** कर वैसे कृषकों, जिनके फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं, की एक प्रारंभिक सूची तैयार करेंगे। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।

ii. प्रारंभिक सूची की Random जांच जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी/वरीय उपसमाहर्त्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि उपसमाहर्त्ता के द्वारा कराई जाएगी। तदोपरांत प्रभावित कृषकों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

iii. अंतिम रूप से तैयार की गई सूची को संबंधित जिलों के बेबसाईट तथा प्रखंडों/ अंचलों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित सूची

पर प्राप्त आपत्तियों की जांच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

iv. अंतिम रूप से सूची तैयार करने के पश्चात् कृषि इनपुट वितरण के लिए लाभुकों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इन आवेदन पत्रों के साथ लाभुकों के बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, जिसपर बैंक का नाम, खाता सं0, IFSC Code एवं किसान का फोटोग्राफ आदि होता है, की छायाप्रति तथा संबंधित कृषि क्षेत्र की लगान रसीद की छायाप्रति भी प्राप्त की जायेगी। आवेदन पत्रों पर कृषकों के मोबाईल सं0 भी प्राप्त किये जायेंगे (अगर हो तो)।

v. तत्पश्चात् बैंकों द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से राशि अंतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित लाभुक के बैंक खातों में निर्धारित मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान की राशि का अंतरण किया जाएगा।

vi. राशि का अंतरण हो जाने के उपरांत यथासंभव लाभुक को उनके मोबाइल पर सूचना दे दी जाएगी।

vii. यदि RTGS/NEFT के माध्यम से राशि का अंतरण किसी कारण संभव न हो पा रहा हो तो विशेष परिस्थिति में A/C payee चेक के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा सकता है।

**II. <u>गृह क्षति अनुदान का वितरण</u> –**

i. कृषि इनपुट सब्सिडी के वितरण से संबधित प्रकिया ही गृह क्षति अनुदान के वितरण में लागू होगी।

ii. गृह क्षति अनुदान के आवेदन पत्रों में नष्ट/क्षतिग्रस्त मकानों का फोटोग्राफ भी संलग्न किया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त सभी कागजातों को ग्रामवार प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में विधिवत संधारण किया जाएगा ताकि उसे आवश्यकतानुसार लेखा–परीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक......1602....../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 1432 /आ0प्र0 4/4/16.

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**सभी प्रमंडलीय आयुक्त,**
**सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।**

**विषय :** **आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में उपलब्ध कराए जानेवाले 1 क्वीं0 खाद्यान्न के स्थान पर ₹ 3,000/– (तीन हजार रुपये) की राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।**

महाशय,

कृपया अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 की तिथि से प्रभावी साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में प्रेषित विभागीय पत्रांक 1913 दिनांक 26.05.2015 का उल्लेख किया जाए। अवगत हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है । संसूचित मानदर के अनुसार मुफ्त साहाय्य के रूप में प्रति वयस्क 60/– रु0 प्रतिदिन एवं प्रति अवयस्क 45/– रु0 प्रतिदिन की राशि निर्धारित है। तद्नुसार उक्त पत्र में अंकित किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में 01 क्विंटल खाद्यान्न (50 किलो गेहूँ+ 50 किलो चावल) तथा 3,000/– नकद अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि यह मुफ्त साहाय्य एक माह की अवधि के लिए दिया जाता है।

2. अवगत हैं कि अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न से कर ली जाती है तथा भारत सरकार से O.M.S.S. (Open Market Sales Scheme) योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने पर व्यवहृत खाद्यान्न का समायोजन तद्नुसार किया जाता है। परन्तु वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने एवं OMSS योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों के मुफ्त साहाय्य के रूप में उपयोग करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के घटित हो जाने के बाद भारत सरकार से मुफ्त साहाय्य मद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जाता है, परन्तु आवंटन प्राप्त होने एवं उसके उठाव में काफी समय लग जाने के कारण आपदा पीड़ितों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में व्यावहारिक कठिनाई होती है।

3. अतएव सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने तथा OMSS को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति में मुफ्त साहाय्य के रूप में खाद्यान्न के मद में प्रति परिवार 3,000/– रु0 नकद राशि उपलब्ध करायी जाए। यह राशि नकद अनुदान मद में दिये जानेवाले 3,000/– रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

4. इस प्रकार अगले आदेश तक मुफ्त साहाय्य के रूप में कुल 3,000/– रु0 + 3,000/– रु0 = 6,000 रु0 की राशि पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

5. साथ ही उपरोक्तानुसार मुफ्त साहाय्य तथा बर्त्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी।

6. कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

# प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

पत्रांक 1/प्रा0आ0(2)–24/2006 1659 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक– 25/9/16

विषयः **अग्निकांड के मद्देनजर प्रभावितों को सभी अनुदान मदों में राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि जिलों में अग्निकांड की घटना होने पर प्रायः अनुग्रह अनुदान, नगद अनुदान मद, खाद्यान्न मद तथा वस्त्रादि मद की राशि का भुगतान करने के उपरान्त अन्य अनुदान मदों यथा गृह क्षति/ फसल क्षति/ पशु क्षति इत्यादि की राशि का भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना ससमय नहीं की जाती है जिससे प्रभवितों को अन्य अनुदान ससमय भुगतान नहीं हो पाता है। यह भी दृष्टांत पाया जा रहा है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों की लंबित अनुदान के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना बाद के वित्तीय वर्षों में की जाती है। ऐसी स्थिति खेदजनक है। पूर्व के वित्तीय वर्षों की लंबित अधियाचना शीर्षवार की जाय।

यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय जिलों की निकासी को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्निकांड के विभिन्न शीर्षो में उपलब्ध करायी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित रहने के कारण नहीं हो पायी जिसके कारण उनके द्वारा राशि को प्रत्यर्पित कर देना पड़ा। सभी जिला पदाधिकारी अपने स्तर से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा अवश्य कर ले तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के समायोजन हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

अतः अनुरोध है कि अग्निकांड की घटना होने पर तत्काल अनुग्रह अनुदान, नगद अनुदान, खाद्यान्न मद तथा वस्त्रादि मद की अनुदान की राशि का भुगतान करते हुए गृह क्षति/ फसल क्षति/ पशु क्षति इत्यादि का आकलन करते हुए यथाशीघ्र अधियाचना कर ली जाय तथा पूर्व के वर्षों के लंबित मामलों के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना शीर्षवार भी शीघ्र कर ली जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1659 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/9/16

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

पत्रांक- 2262 /आ0प्र0

FAX

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 26/7/07

**विषय-जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर तथा नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति की व्यवस्था और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

दिनांक 23.07.2007 को माननीय मुख्य मंत्री के स्तर पर बाढ़/राहत कार्यों की समीक्षा की बैठक की गई। इस बैठक में माननीय मुख्य मंत्री का निदेश प्राप्त हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर पूर्व से निर्धारित बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इस संदर्भ में आपका ध्यान निम्नलिखित परिपत्रों पर आकृष्ट किया जाता है, जो सुलभ प्रसंग हेतु पुनः इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं:

1. विभागीय पत्रांक 1388/आ0प्र0, दिनांक 24.07.2005 । इस परिपत्र से जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन की सूचना भेजी गई थी। जिले स्तर पर इस समिति के अध्यक्ष जिले के माननीय प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम घोषित हैं। प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख तथा पंचायत स्तर पर मुखिया अध्यक्ष हैं। जिले स्तर पर सदस्य सचिव जिला पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर अंचलाधिकारी तथा पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी निर्धारित किये गये हैं। यह सदस्य सचिवों की जिम्मेदारी है कि इन समितियों की बैठक उचित अन्तराल पर सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष से बैठक की तिथि/समय प्राप्त कर कार्यवाही करें। बाढ़ के समय में यह और भी आवश्यक है कि इनमें समिति की बैठक प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो।

कृपया माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा दिये गये निदेश को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तथा सरकार के इस निर्णय के आलोक में आप से आग्रह है कि आप न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि प्रखण्ड/पंचायत समिति के स्तरों पर इन समितियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

2. नगर स्तर के लिए विभागीय पत्रांक 1004/आ0प्र0, दिनांक 08.07.2005 से जिला स्तर पर तथा नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित है।

जिला पदाधिकारी से आग्रह है कि वे जिला स्तर के अलावा नगर निगम तथ अन्य स्तरों पर भी गठित समिति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कार्यक्रम सुनिश्चित करने की कृपा करें।

कृपया जब भी ये बैठक हो उनकी कार्रवाई अन्य संबंधित के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग को भी भेजी जाय, जिससे कि राज्य स्तर पर आपके जिलों में हुई बैठकों में लिये गये निर्णय की सूचना प्राप्त हो, तथा तत्संबंधी राज्यस्तरीय अनुश्रवण एवं कार्यवाही भी प्रभावी ढंग से हो सके।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 2262. /आ0प्र0, पटना, दिनांक- 26/7/07

प्रतिलिपि: बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री के अप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव
26/7/07

# प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

1973

पत्रांक 1प्रा0आ0–17 / 2015 / ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7 / 2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7 / 2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

| क्र0 सं0 | मद का नाम/ITEM | भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014/एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance |
|---|---|---|
| 1 | GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदानः– | |
| | a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons | **Rs.4.00 lakh** per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. |
| | (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | ₹ 4.00 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यों एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो। |
| | b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s). | **Rs. 59,100/-** per person, when the disability is between 40% and 60%.<br>**Rs. 2.00 Lakh** per person, when the disability is more than 60%.<br>Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability. |
| | (ख) हाथ–पैर या ऑखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | ₹ 59,100.00 प्रति व्यक्ति<br>(जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो)<br><br>₹ 2.00 लाख प्रति व्यक्ति<br>(जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो)<br><br>बशर्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो। |
| | c) Grievous injury requiring hospitalization | Rs 12,700/- per person requiring hospitalization for more than a week.<br>**Rs. 4,300/-** per person requiring hospitalization for less than a week |
| | (ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े। | ₹ 12,700 प्रति व्यक्ति<br>(एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर)<br>₹ 4,300 प्रति व्यक्ति<br>(एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर) |
| | d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity. | **Rs.1,800/-** per family, for loss of clothing.<br>**Rs.2,000/-** per family, for loss of utensils/ household goods |

| | | |
|---|---|---|
| | (घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो। | ₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए |
| | e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected. | **Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.<br><br>Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान। | ₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।<br><br>राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं।<br>साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी।<br>➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी।<br>➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आकमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना |

| | | |
|---|---|---|
| | | चाहिए। |
| 2 | **SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य** | |
| | (a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected | As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).<br>- By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.] |
| | (क) खोज एव बचाव उपायों की लागत/ आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन। | वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा।<br>➢ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं |
| | (b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives. | As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).<br>The quantum of assistance will be limited to the actual<br>expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity. |
| | (ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था | वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा।<br>➢ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी। |
| 3 | **RELIEF MEASURES/ राहत कार्य** | |
| | a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps. | As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration<br>and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or |

| | | |
|---|---|---|
| | | widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.<br>Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM). |
| | (क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। | 30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/ भूकम्प/ बाढ से बड़े पैमाने की तबाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनो तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है। |
| | b) Air dropping of essential supplies | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br>- The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only. |
| | (ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण। | ➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।<br>➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी। |
| | c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas | As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time |

| | | |
|---|---|---|
| | | period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति | एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| 4 | **CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई** | |
| | a) Clearance of debris in public areas. | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF |
| | (क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | b) Draining off flood water in affected areas | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF). |
| | (ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | c) Disposal of dead bodies/ Carcases | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). |
| | (ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन। | वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| 5 | **AGRICULTURE/ कृषि** | |
| (i) | **Assistance farmers having landholding upto 2 ha./ 2** | |

| | | |
|---|---|---|
| | हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य। | |
| I | **Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य** | |
| | a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.) | **Rs. 12,200/-** per hectare for each item.<br><br>(Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme) |
| | b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas | |
| | c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms | |
| | (क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो) | ₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए<br><br>(बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो) |
| | (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए | |
| | (ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति | |
| | d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers. | **Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records. |
| | (घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति। | ₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर<br><br>सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं। |
| **B** | **Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)** | |
| | a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops | **Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas .<br>**Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas. |
| | (क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए | ₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।<br>₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रु0 से कम नहीं दी जाएगी । |

| | | |
|---|---|---|
| | b) Perennial crops | **Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas |
| | (ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए | ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत ) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए सहायय राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। |
| | c) Sericulture | **Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar<br>**Rs. 6,000/-** per ha. for Muga. |
| | (ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए | ₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए<br>₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए |
| **(ii)** | **Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding .** | **Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas .<br>**Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas<br><br>**Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas<br><br>- Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer . |
| **(ii)** | कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो। | ₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।<br>33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक। |
| 6 | **ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता** | |
| | i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage. | ***Milch animals*** -<br>**Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc.<br>**Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Draught animals*** -<br>**Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc.<br>**Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule<br><br>- The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).<br><br>***Poultry:-***<br>Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.<br><br>*Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners. |
| | i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओ का प्रतिस्थापन। | दूध देने वाला जानवर<br>भैस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि<br>₹ 30,000/- की दर से<br>भेड़/बकरी ₹ 3,000/- की दर से<br><br>अदुग्धकारी जानवर<br>ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से<br>बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से<br><br>सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी)<br>पॉल्ट्री<br>₹ 50/– प्रति चिड़ियाँ की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा |

| | | |
|---|---|---|
| | | के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा।<br><br>**टिप्पणी:–** इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो। |
| | ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps. | Large animals- **Rs. 70/-** per day<br><br>Small animals- **Rs. 35/-** per day,<br><br>Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.<br>Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related. |
| | ii) पशु शिविरों में पशुचारा / feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु। | बड़ा पशु ₹ 70 / – प्रतिदिन की दर से ।<br>छोटा पशु ₹ 35 / – प्रतिदिन की दर से ।<br><br>साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनो तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।<br>राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले |

| | | |
|---|---|---|
| | | में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा। |
| | iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps | As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census. |
| | iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन | वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन०डी०आर०एफ० से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा। |
| 7 | **FISHERY/ मत्स्य पालन** | |
| | i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost<br>-- Boat<br>-- Dugout-Canoe<br>-- Catamaran<br>-- net<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.) | **Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only<br><br>**Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net<br><br>**Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats<br><br>**Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net |
| | (i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती/पुर्नस्थापन–<br>क्षतिग्रस्त या खो जाने पर –<br>• नाव<br>• डोगी<br>• कटमरैन<br>• जाल<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।) | ₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए<br><br>₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए<br><br>₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए<br><br>₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | ii) Input subsidy for fish seed farm | **Rs. 8,200** per hectare.<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.) |
| | (ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी | ₹ 8,200/- प्रति हेक्टर<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।) |
| 8 | **HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता | |
| | i) For replacement of damaged tools/ equipment | **Rs. 4,100** per artisan for equipments.<br>- Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement. |
| | (i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी<br>बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| | ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods | **Rs. 4,100** per artisan for raw material.<br>- Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement. |
| | (ii) कच्चे माल/ प्रकियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए<br>बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| 9 | **HOUSING/** अवास/मकान | |
| | **a) Fully damaged/ destroyed houses** | |
| | i) Pucca house<br>ii) Kutcha House | **Rs. 95,100/-** per house, in plain areas.<br>**Rs. 95,100/-** प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए<br>**Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas |
| | (क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान | |

| | | |
|---|---|---|
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | including Integrated Action Plan (IAP) districts. **Rs.1,01,900/-** प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई०ए०पी० जिलो सहित |
| | b) **Severely damaged houses** | |
| | i) Pucca House<br>ii) Kutcha House | |
| | **(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान** | |
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | |
| | (c) **Partially Damaged Houses –** | |
| | (i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 5,200/-** per house |
| | (ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 3,200/-** per house |
| | **(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।** | |
| | **(i)** पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 5,200/– प्रति मकान |
| | (ii) कच्चा (झोपडी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 3,200/– प्रति मकान |
| | d) **Damaged / destroyed huts:** | **Rs. 4,100/-** per hut,<br>*(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)*<br><br>*Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government |
| | **(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी** | ₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी<br><br>(झोपडी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)<br><br>टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए। |
| | e) Cattle shed attached with house | **Rs.2,100/-** per shed. |
| | **(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड** | ₹ 2,100/– प्रति पशु शेड |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **INFRASTRUCTURE/ अधारमूत संरचना** | |
| | Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:<br><br>(1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.*<br><br>Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded. | **Activities of immediate nature :**<br>Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.**<br><br>***Assessment of requirements :***<br><br>Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br><br>- As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are<br><br>• Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR)<br><br>• Hills: upto 20% of total of OR and PR.<br>• In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States.<br>• In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case |

| | | |
|---|---|---|
| | | of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes.<br>• Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer. |
| | अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियॉं।<br>Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है। | **तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :**<br><br>तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।<br><br>**आवश्यकताओं का आंकलन :**<br><br>आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा।<br>➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चक्रवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय:<br>• सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत<br>• पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| | | • सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा।<br>• पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा।<br>• क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा।<br>• क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा।<br>• क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रासफॉर्मर देय होगा। |
| 11. | PROCUREMENT/ खरीद | |

| | | |
|---|---|---|
| | | SDRF. |
| | आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| 12 | **Capacity Building / क्षमता निर्माण** | Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC)<br>- The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF. |
| | | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा मे भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से

2020 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से लागू होगा तथा एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

**APPENDIX**
**(Item No. 10)**
**Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.**

**1. Drinking Water Supply :**
i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

**2. Roads**
i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
ii) Repair of breached culverts.
iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

**3. Irrigation :**
i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.
iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

**4. Health :**
Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

**5. Community assets of Panchayat**
a) Repair of village internal roads.
b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
c) Repair of internal water supply lines.
d) Repair of street lights.
e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

**6. Power:** Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

*****

(परिशिष्ट मद संख्या–10 का)

**तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:–**

1. पेय जलापूर्ति:
   - I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग–टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/जल–कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।
   - II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
   - III. क्षतिग्रस्त पैंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।
2. सड़क:
   - I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधे की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।
   - II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।
   - III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
   - IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काउजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।
3. सिंचाई:
   - I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।
   - II. बंध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।
   - III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।
   - IV. शूक्ष्म, मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मति।
4. स्वास्थ्य:

   क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।
5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:

   (क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।

   (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।

   (ग) आंतरिक जलापूर्ति लाईन की मरम्मति।

   (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।

   (ड़) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।
6. ऊर्जा : पोल/ कन्डकटर एव 11 केवी के ट्रांसफॉर्मर।

7- The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

| | Items/ Particulars | Norms of assistance will be adopted for immediate repair |
|---|---|---|
| i) | Damage primary school building<br><br>Higher secondary/ middle/ college and other educational | Up to Rs. 1.50 lakh/unit |
| ii) | Primary Health Centre | Upto Rs. 1.50 lakh/unit |
| iii) | Electric poles and wires etc. | Normative cost (upto Rs 4000 per pole and Rs 0.50 |

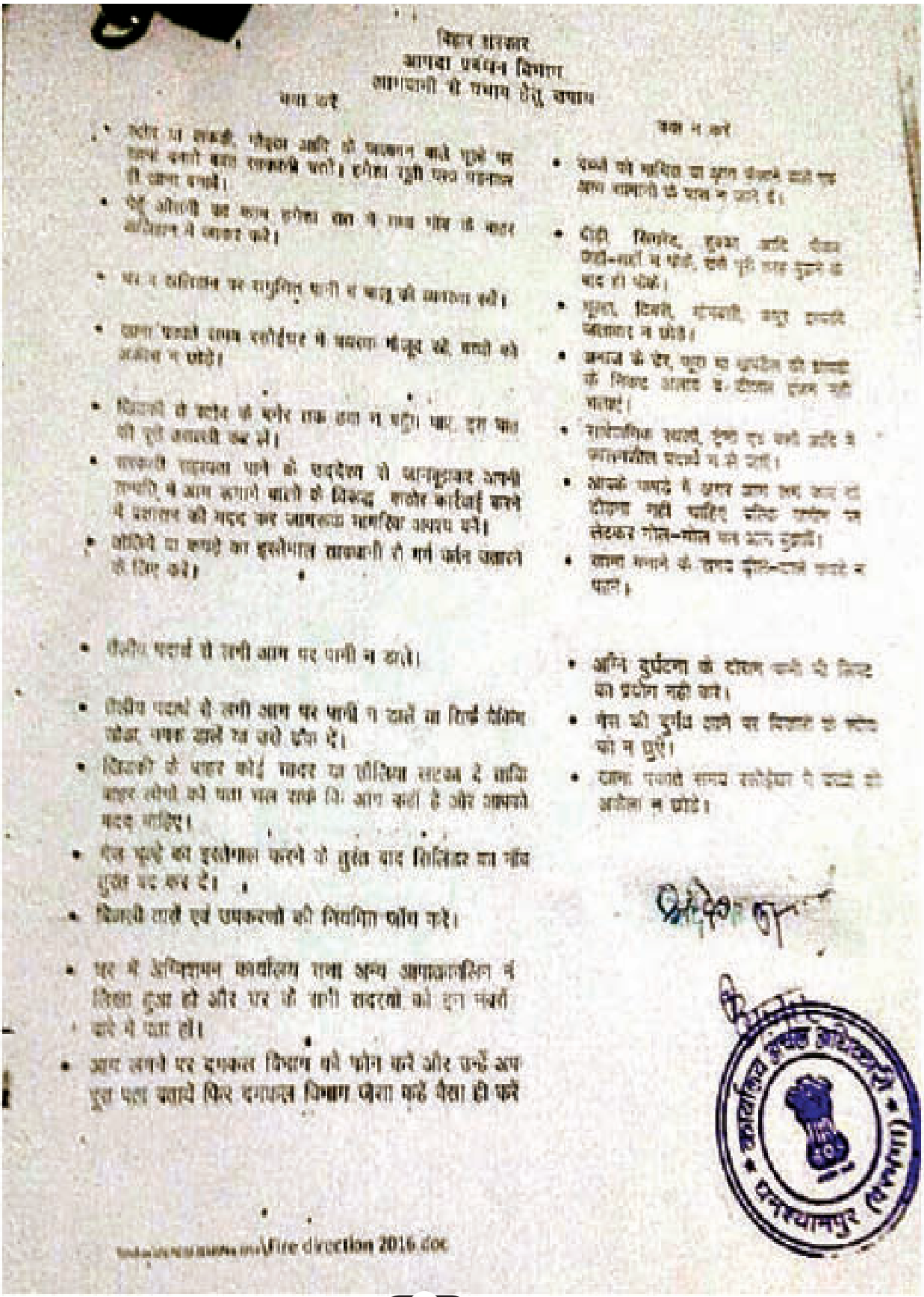

# प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा, प्रशिक्षण विषय की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण



बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

क्या करें

क्या न करें

- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें।

## आगलगी नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी

### आगलगी जौसी आपदा से बचाव हेतु समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम अंतर्गत जनहित में जारी अपील

जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि हमारे क्षेत्र मे प्रत्येक वर्श अगलगी की अनेक घटनाएं घटती है। माह मार्च (फागुन) से लेकर जून (जेठ) तक के समय मे आगलगी की घटना होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आगलगी एक घर से तो प्रारम्भ होती है लेकिन सौकड़ो घरों को मिनटो मे जलाकर राख कर देती है। थोड़ी सी असावधानी के कारण अधिक मात्रा में जान माल की छति होती है जिसके कारण हमारे वर्शो की मेहनत से कमाई हुई सम्पत्ति पलभर में जल कर राख हो जाती है।

इसलिए आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सर्वसाधारण को निर्दे[illegible]त किया जाता है कि निम्नलिखित नियमों का पालन करें

1 सभी व्यक्ति अपना भोजन सुबह 8 बजे तक एवं सायं का भोजन रात्री में 7 बजे के बाद बनाएँ।
2 जब तेज हवा चल रही हो तो भोजन न बनाये।
3 भोजन बनाते समय एवं भोजन बनाने के बाद एक से दो बाल्टी पानी भर कर ही मनसा घर से बाहर निकले।
4 जहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है उसके आस पास कोई भी सूखे जलावन ना रखें।
5 भोजन बनाने के बाद चुल्हे का आग पूर्ण रुप से पानी डालकर बुझा दें।
6 घर के आस पास लगे हुए पम्प सेट की जाँच कर उसे भी समय उपयोग में लाने के लिए तैयार अव य रखे।
7 दीपक (दिया) लालटेन, मुमबत्ती, को ऐसे जगह पर ना रखे जहाँ से गिर कर आग लगने की संभावना हो।
8 मवे ी घर, गोहाली फूस से बना घर दलान के उपर मठौउत पर मटटी के घड़ा मे पानी भर कर रखें।
9 घर मे एदि कोई भादी ब्याह या अन्य कोई उत्सव के लिए लगाए गए कनाट अथवा टेन्ट के निचे से बिजली के तार को ना ले जाए।
10 जहाँ पर सामुहिक भोजन इत्यादी का कार्य हो रहा हो वहाँ पर दो तीन ड्राम पानी अव य रखें। वहाँ पर भी भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाय।
11 थ्रेसर का इस्तमाल करते समय उसके पास प्रयाप्त मात्रा मे पानी रखें क्योंकि इससे उठने वाली आग की लपटों से खेत – खलिहान एवं घरों में आग लग सकती है।
12 आटा चक्की एवं सेलर से निकलनक वाले आग पर ध्यान रखें एवं इसके पास भी प्रयाप्त मात्रा में पानी रखे क्योंकि इससे भी आग लग सकती है।
13 सिगरेट या बीड़ी के लिए जलती हुई माचिस की तीली, अथवा अधजला बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर– उधर ना फेके।

यदि कोई परिवार इन निदे[illegible] का पालन नही करता है तो जाँच होने पर उसके उपर न्यूनतम 500/– दण्ड लगाया जाएगा।

निर्दे ित किए गए नियमों के अनुपालन हेतु यह सुनि चत किया जाये कि प्रत्येक वार्ड का सदस्य सरपंच ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के सहयोग से घर–घर जा कर इसका निरिक्षण करे।

8/4/15

आदे[illegible]ानुसार
अंचलाधिकारी
किरतपुर

ग्राम पंचायत राज जयदेवपट्टी

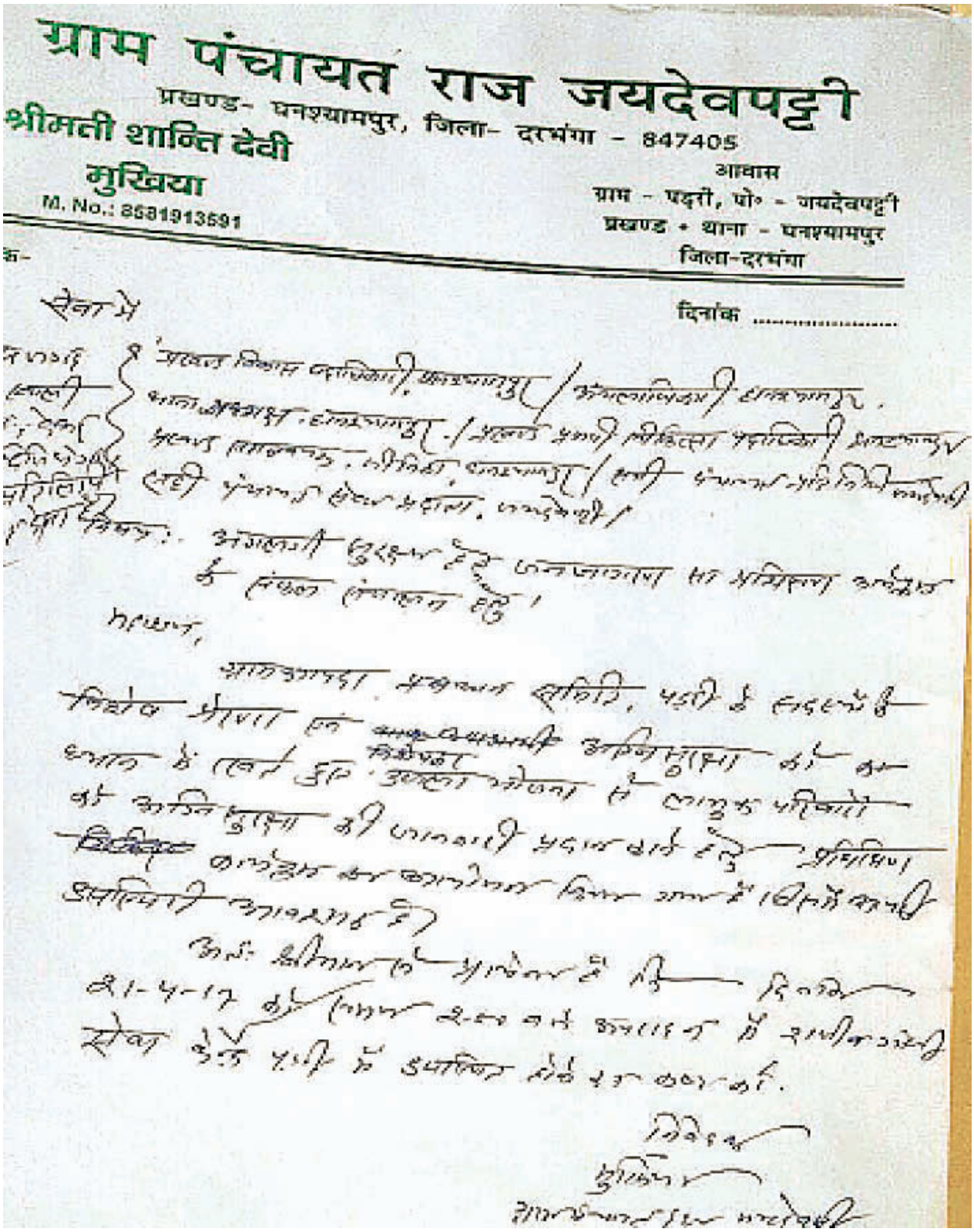

प्रखण्ड- घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा - 847405

श्रीमती शान्ति देवी
मुखिया
M. No.: 8581913591

आवास
ग्राम - पट्टी, पो० - जयदेवपट्टी
प्रखण्ड + थाना - घनश्यामपुर
जिला-दरभंगा

पत्रांक-

दिनांक ....................

सेवा में

महाशय,

21-4-17

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मुद्रण : जनवरी 2018